अध्याय IV

सहकारी बैंकिंग में गतिविधियां

प्रस्तावना

4.1 सहकारी सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग सेवाओं के प्रसार में सहकारी बैंकिंग ने भारत में भारी प्रगति की है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के निर्धन और निर्बल वर्गों के बीच अपनी व्यापक पहुंच के कारण सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों और गरीबों के लिए सरकार की अन्य योजनाओं में भी ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वित्तीय समावेशन पर विशेष ज़ोर की दृष्टि से सहकारी बैंकिंग ने भारतीय वित्त प्रणाली में पुनः नया महत्त्व प्राप्त कर लिया है। अतएव, हाल ही के नीतिगत उपायों का फोकस एक बार फिर भारत में सहकारी बैंकिंग को मजबूत बनाने की दिशा में चला गया है। ग्रामीण सहकारी समितियों की समस्याओं की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्यदल (2004) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2005 में शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में जारी किए गए 'विज़न दस्तावेज़' ने भारतीय सहकारी बैंकिंग ढांचे को फिर से नया बनाने के लिए व्यवहार्य और कार्यान्वयन योग्य व्यवस्थाओं के साथ एक नई संरचना उपलब्ध कराई है। हाल ही में की गयी पहल का जोर सहकारी बैंकिंग प्रणाली में फिर से जनता का विश्वास स्थापित करने के लिए इन संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर है। इसके विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को अभिकल्पित करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उनका सहकारी चरित्र और संस्थागत विशेषताएं ज्यों की त्यों बनी रहें।

4.2 भारत में सहकारी बैंकिंग ढांचे के दो मुख्य घटक हैं, यथा शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं। जहां शहरी सहकारी बैंकों का ढांचा एक स्तरीय है वहीं ग्रामीण सहकारी समितियों का ढांचा जटिल है। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के स्पष्टतः दो ढांचे हैं, यथा अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा (एसटीसीसीएस) और दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा (एलटीसीसीएस)। अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे में ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) होती हैं जो आधार स्तर का निर्माण करती हैं जबकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का स्तर मध्य में रहता है और राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) शीर्ष स्तर पर होते हैं। अल्पावधि सहकारी ऋण समितियां मूलतः किसानों और ग्रामीण दस्तकारों को अल्पावधि के लिए अधिकांशतः फसल ऋण और अन्य कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती हैं। ग्रामीण सहकारी समितियों का दीर्घावधि ढांचा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और विकेंद्रित जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) से बनता है। ये संस्थाएं कृषि, ग्रामीण उद्योगों और हाल ही में गृह निर्माण के क्षेत्र में निवेश करने के लिए खासतौर पर मध्यावधि से दीर्घावधि तक ऋण उपलब्ध कराने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। ग्रामीण सहकारी बैंकों का ढांचा देश के राज्यों में एक समान नहीं है और इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच काफी अंतर है। कुछ राज्यों में स्वयं अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करने वाले राज्य स्तरीय बैंकों वाला ऐकिक ढांचा है तो दूसरों में मिला-जुला ढांचा है, जिसमें ऐकिक और संघीय दोनों ही प्रकार की प्रणालियां हैं (चार्ट IV.1)।

4.3 मध्यम और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अदा की जा रही शहरी सहकारी बैंकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को सुदृढ़ बनाने के कदम उठाने जारी रखे। जून 2004 में यह निर्णय लिया गया था कि नए बैंक खोलने अथवा नए शाखाएं खोलने के लिए तब तक लाइसेंस जारी न किए जाएं जब तक कि मौजूदा शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक समुचित ढांचा स्थापित न हो जाए। मार्च 2005 में रिज़र्व बैंक ने एक ड्राफ्ट विज़न दस्तावेज तैयार किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा की गई थी और दोहरी विनियामक व्यवस्था को रेखांकित किया गया था जिसकी वजह से रिज़र्व बैंक को इस क्षेत्र की संस्थाओं की कमजोरियों को दूर करने में समस्या आ रही थी। दुहरे नियंत्रण की समस्या दूर करने के उद्देश्य से विज़न दस्तावेज में प्रत्येक राज्य में कमजोर और रुग्ण बैंकों का भावी सेट-अप तय करने में परामर्शी दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। विज़न दस्तावेज के अनुसार रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया ताकि शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य देखनेवाली दोनों एजेंसियों के दृष्टिकोण में अधिकाधिक संकेंद्रण सुनिश्चित किया जा सके। सहमति ज्ञापन के एक अंग के रूप में यह निर्णय लिया गया था कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य-स्तरीय कार्यदल (टीएएफसीयूबी) गठित किया जाए जिसमें रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार और शहरी सहकारी बैंकों के महासंघों /असोसिएशन के प्रतिनिधि हों। शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य-स्तरीय कार्यदल को यह कार्य सौंपा गया था कि वह राज्य में व्यावहारिक रूप से समर्थ और अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों का पता लगाए तथा पहले वाले के लिए पुनरुज्जीवन का मार्ग तथा बाद वाले प्रकार के बैंकों के लिए बाधारहित समापन का मार्ग उपलब्ध कराएं। समापन में बड़े बैंकों के साथ विलय/समामेलन, समितियों के रूप में परिवर्तन और एक अंतिम उपाय के रूप में अंततः समापन शामिल है। अब तक 13 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार (बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में) के साथ सहमति ज्ञापन

चार्ट IV.1: सहकारी ऋण संस्थाओं की सरंचना

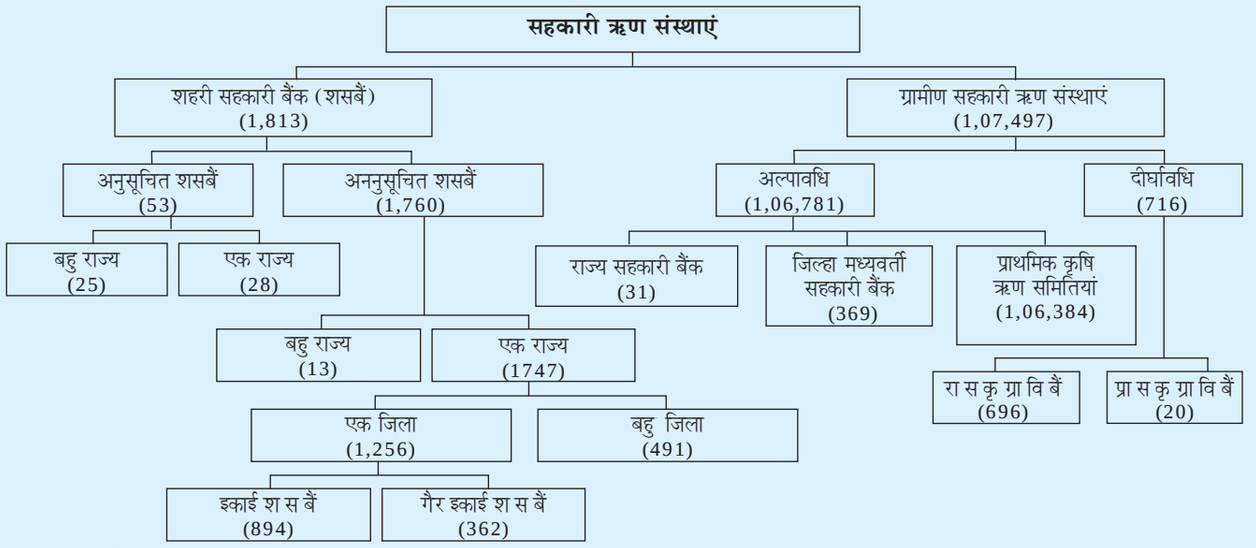

रा स कृ ग्रा वि बैं : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
प्रा स कृ ग्रा वि बैं : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े शहरी सहकारी बैंकों की मार्च 2007 के अंत की संस्थाओं की संख्या और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की मार्च 2006 के अंत की संख्या दर्शाते हैं।

पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जिसके अंतर्गत 1,511 शहरी सहकारी बैंक आते हैं अर्थात् इस क्षेत्र की 92 प्रतिशत जमाराशियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 83 प्रतिशत बैंक। हाल ही में बीते समय में इन पहलों का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में जनता का विश्वास बढ़ा है जोकि 2004-05 की गिरावट की प्रवृत्ति को उलटते हुए 2006-07 में हुई जमाराशियों की वृद्धि में परिलक्षित है।

4.4 उन राज्यों, जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं,में पर्यवेक्षण/विनियमन के समन्वित प्रयासों की सुविधा को देखते हुए ऐसे राज्यों में पात्र बैंकों के साथ-साथ बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों को कतिपय कारोबारी अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि ऐसे राज्यों के वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों को भी नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए।यह सुविधा 2004 से शहरी सहकारी बैंकों को उपलब्ध नहीं थी। इस क्षेत्र का फोकस अन्य बातों के साथ-साथ अब मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे का विकास करने के साथ ही गवर्नेंस के अनेक पहलुओं पर भी है। साथ ही सुदृढ़ बैंकों के साथ कमजोर बैंकों के विलय की प्रक्रिया के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, बशर्ते विलय के प्रस्तावों को ञअनापत्ति ञदेने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराये जाएं। 30 अक्तूबर 2007 की स्थिति के अनुसार संबद्ध सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक / सहकारी समितियों के पंजीयक (सीआरसीएस/आरसीएस) द्वारा सांविधिक आदेश जारी करने के बाद कुल 33 विलय हो चुके हैं। मार्च 2004 के अंत में मौजूदा 1,813 शहरी सहकारी बैंकों के अलावा, 259 शहरी सहकारी बैंक परिसमापन के विभिन्न चरणों में थे। शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में कमी के बावजूद उनके कारोबारी कार्य मध्यम गति से बढ़े। शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया।

4.5 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तावित करने हेतु 2004 में भारत सरकार द्वारा गठित कार्य दल (अध्यक्षः प्रो. ए. वैद्यनाथन) की सिफारिशें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार ने अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया है जो जनवरी 2006 में राज्य सरकारों को सूचित किया गया था। सभी राज्यों में यह पुनरुज्जीवन पैकेज कार्यान्वित करने के लिए नाबार्ड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। किसी भी राज्य में पुनरुज्जीवन पैकेज कार्यान्वित करने की प्रक्रिया भारत सरकार, सहभागी राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच एक सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर करने से प्रारंभ होती है। सभी सहभागी राज्यों में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा शुरू की जाएगी ताकि31 मार्च 2004 की स्थिति को उनकी संचित हानियों की राशि का और साथ ही ऐसी हानियों के उद्भव के आधार पर अर्थात् ऋण कारोबार के कारण हानि, जनवितरण कारोबार अथवा अन्य व्यापारी कारोबार के आधार पर ऐसी हानियों का उचित और स्वीकार्य के रूप में सही-सही आकलन किया जा सके। प्रत्येक सहभागी राज्य इस पुनरुज्जीवन पैकेज में परिकल्पित संस्थागत और

कानूनी सुधारों को अमली जामा पहनाने के लिए सहमति ज्ञापन के पैरा सं.9 के अनुसार एक अध्यादेश जारी करेगा और राज्य सहकारी समितियां अधिनियम को संशोधित करेगा अथवा आवश्यक कानून बनाएगा। इस पैकेज का कार्यान्वयन 13 राज्यों में प्रारंभ हो चुका है, यथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल जिन्होंने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किया है तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और मानव संसाधन विकास विषयक पहलों की विशेष लेखा परीक्षा करायी है। इन राज्यों ने संबद्ध सहकारी समितियां अधिनियमों में आवश्यक कानूनी संशोधन करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

4.6 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को छोड़कर ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सभी खंडों के तुलनपत्रों में 2005-06 के दौरान विस्तार हुआ है (परिशिष्ट सारणी IV.1)। तथापि, वर्ष के दौरान उनके वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई है। ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न खंडों के वित्तीय निष्पादन में भी व्यापक भिन्नताएं पाई गई हैं। एक ओर जहां अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं दोनों के ऊपरी स्तर (टियर) ने 2005-06 के दौरान लाभ कमाया, वहीं दूसरी ओर निम्न टियर (यथा पीएसीएस तथा पीसीएआरडीबी) ने समग्र रूप से नुकसान उठाया। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सिवाय जिन्होंने अपना वसूली निष्पादन सुधारा, सभी प्रकार के ग्रामीण शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में क्षरण हुआ। जिला मध्यवर्ती शहरी सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वसूली निष्पादन भी वर्ष के दौरान और खराब रहा।

4.7 इस अध्याय में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सहकारी बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ माइक्रो फाइनेंस के संबंध में नाबार्ड द्वारा उठाए गए कदमों का भी वर्णन किया गया हैं। यह अध्याय छह खंडों में विभाजित है। खंड 2 में नीतिगत उपायों के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार परिचालन दिए गए हैं जबकि खंड 3 ग्रामीण सहकारी बैंकों की नीतिगत गतिविधियों और निष्पादन पर केंद्रित है। व्यष्टि ऋण के क्षेत्र की गतिविधियां, जो कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के एक महत्त्वपूर्ण प्रबंधक के रूप में उभरी हैं, पर चर्चा खंड 4 में की गई है। खंड 5 में वर्ष के दौरान ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों को तराशने में अदा की गई नाबार्ड की भूमिका का वर्णन किया गया है। खंड 6 में इस क्षेत्र में वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आलोक में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के पुनरुज्जीवन हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है।

2. शहरी सहकारी बैंक

नीतिगत गतिविधियां

4.8 शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक परामर्शी व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया संतोषप्रद रूप से आगे बढ़ी। रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए विज़न दस्तावेज़ में दिए गए प्रस्तावों के अनुरूप 100 करोड़ रुपए से कम जमा आधार वाले और एक ही जिले के भीतर शाखाओं वाले छोटे शहरी सहकारी बैंकों अर्थात टियर I हेतु कम कठोर विवेकसम्मत मानदंड बनाए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों, विवेकसम्मत मानदंडों, प्रकटीकरण और एक्सपोजर मानदंडों और जोखिम प्रबंधन से संबंधित अनेक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। शहरी निर्धनों के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को विशेष छूट देने की दृष्टि से ऋण सुपुर्दगी (क्रेडिट डिलीवरी), ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन से संबंधित दिशा-निर्देशों का और अनुकूलन किया गया।

ढांचागत पहलें

विज़न दस्तावेज़

4.9 शहरी सहकारी बैंकों के लिए विज़न दस्तावेज़ में इस क्षेत्र की समस्याओं को रेखांकित किया गया है तथा अपनाए जाने वाले उन व्यापक उपायों का उल्लेख किया गया है ताकि शहरी सहकारी बैंक आवश्यक रूप से समाज के मध्यम और निम्न मध्यम वर्गों तथा सीमांत वर्गों को आवश्यकता आधारित तथा गुणवत्ता वाली बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग संस्थाओं के एक सुदृढ़ तथा स्वस्थ नेटवर्क के रूप में उभर सकें। विज़न दस्तावेज़ में दिए गए प्रस्तावों के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाना जारी रखा।

द्वि-स्तरीय (टू-टियर) विनियामक ढांचा

4.10 छोटे शहरी सहकारी बैंकों को अपनी ताकत बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों हेतु विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढांचे को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य विज़न दस्तावेज़ में दिए गए हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों को टियर I बैंक अर्थात वे बैंक जिनकी जमाराशियां 100 करोड़ रुपए से कम हैं और उनकी सभी शाखाएं एक ही जिले के भीतर हैं और टियर II बैंक (अर्थात सभी अन्य शहरी सहकारी बैंक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टियर I और टियर II बैंकों के लिए विवेकसम्मत मानदंड भी संशोधित किए गए थे। जहां टियर II बैंक 90 - दिवसीय ऋण चूक मानदंड के अधीन हैं ठीक वैसे ही जैसा कि वाणिज्य बैंकों पर लागू है, टियर I बैंकों के लिए 180-दिवसीय ऋण चूक मानदंड 31 मार्च 2008 तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य छोटे शहरी सहकारी बैंकों को राहत प्रदान करना है क्योंकि इसके लिए कम प्रावधानीकरण की जरूरत होती है जिसके फलस्वरूप लाभ बढ़ जाता है और उसे इन बैंकों का पूंजी आधार बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। तथापि, इन बैंकों को इस बीच की अवधि में पर्याप्त प्रावधान कर लेना जरूरी है ताकि वे भविष्य में 90-दिवसीय मानदंड अपनाने योग्य बन सकें।

4.11 इसके अलावा, टियर I बैंकों के लिए निम्नलिखित विभेदक आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड घोषित किए गए हैं : (i) किसी अवमानक आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु एक अप्रैल 2008 से 12-माह की अवधि लागू होगी; (ii) इन बैंकों को एक अप्रैल 2010 को या उसके बाद 3 वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत डी-III अग्रिमों (3 वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध) के जमानती भाग पर 100 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा; (iii) 31 मार्च 2010 को डी-III अग्रिमों के बकाया स्टॉक के लिए बैंकों को निम्नानुसार प्रावधान करना होगा : (क) 31 मार्च 2010 को 50 प्रतिशत; (ख) 31 मार्च 2011 को 60 प्रतिशत; (ग) 31 मार्च 2012 को 75 प्रतिशत; और (घ) 31 मार्च 2013 को 100 प्रतिशत। टियर II बैंकों के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे: (i) डी-III के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के लिए 100 प्रतिशत का प्रावधानीकरण उन पर लागू होगा जो एक अप्रैल 2006 को या उसके बाद के बजाय एक अप्रैल 2007 को या उसके बाद इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हों; (ii) 31 मार्च 2007 को डी-IIIआस्तियों के बकाया स्टॉक के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे निम्नानुसार प्रावधान करें, (क) 31 मार्च 2007 तक 50 प्रतिशत, (ख) 31 मार्च 2008 को 60 प्रतिशत, (ग) 31 मार्च 2009 को 75 प्रतिशत और (घ) 31 मार्च 2010 को 100 प्रतिशत।

4.12 यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च ऋण वृद्धि के बावजूद आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। टियर II के बारे में यह निर्णय लिया गया कि वे विशिष्ट क्षेत्रों के मानक अग्रिमों अर्थात वैयक्तिक ऋणों, पूंजी बाजार में एक्सपोज़र के रूप में पात्र ऋणों एवं अग्रिमों तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों पर सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा 1.0 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2.0 प्रतिशत करें।

4.13 टियर I बैंकों को दी जानेवाली अन्य छूट सरकारी प्रतिभूतियों में किए जानेवाले निवेश से संबंधित है। ऐसे निवेशों से जुड़ी बाजार जोखिमों को देखते हुए टियर I शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रखी गई ब्याज अर्जक जमाराशियों में लगाई गई निधियों की सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों में एसएलआर (एनडीटीएल के 15 प्रतिशत तक) बनाए रखने से छूट दी गई है टियर II बैंकों पर भी 'मानक अग्रिमों' के संबंध में पहले से कड़े प्रावधानीकरण मानदंड लगाए गए हैं जो कि कतिपय विशेष प्रकार के एक्सपोजरों के लिए 2 प्रतिशत हो सकते हैं। पर्यवेक्षण को तर्कसंगत बनाने के एक अंग के रूप में जहां बड़े शहरी सहकारी बैंकों को एक संयुक्त आफ साइट चौकसी (ओएसएस) रिपोर्टिंग प्रणाली, जिसमें आठ विवेकसम्मत पर्यवेक्षी विवरणियों का एक सेट रहता है, के अधीन रखा गया है, वहीं 50 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले तथा जिसकी शाखाएं एक ही जिले के भीतर हों ऐसे छोटे बैंकों के लिए 5 विवरणियों वाली एक सरलीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है। निकट भविष्य में यह सरलीकृत ओएसएस रिपोर्टिंग ढांचा 50 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले बैंकों पर भी लागू किया जाएगा।

दोहरे नियंत्रण की समस्या दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

4.14 ढेर सारे शहरी सहकारी बैंकों वाले राज्यों ने शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक परामर्शी व्यवस्था विकसित करने हेतु सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क किया है। अब तक 13 राज्यों यथा गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और कुल मिलाकर मार्च 2007 के अंत में 1,813 बैंकों में से 1,511 बैंक इनके अंतर्गत आते हैं अर्थात शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या का 81.5 प्रतिशत और क्षेत्र की कुल जमाराशियों का 67 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त, बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों, जिनके पास इस क्षेत्र की जमाराशियों का 25.5 प्रतिशत हिस्सा है, के संबंध में रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच भी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इस प्रकार शहरी सहकारी बैंकों का कुल 83 प्रतिशत जिसके पास कुल जमाराशियों का 92 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, सहमति ज्ञापन व्यवस्था के अंतर्गत आ गए हैं तथा सभी ऐसे बैंकों की समस्याएं अन्य महत्वपूर्ण पणधारकों जैसे कि राज्य/केंद्र सरकार और शहरी सहकारी बैंकों के महासंघ/एसोसिएशन से परामर्श करके दूर की जा रही हैं।

4.15 सहमति ज्ञापन के अंतर्गत व्यवस्थाओं के एक अंग के रूप में रिज़र्व बैंक सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्य दल (टीएएफसीयूबी) गठित करने के लिए वचनबद्ध है जिसमें रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार और शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि होंगे। तदनुसार, उन सभी राज्यों में टीएएफसीयूबी गठित किए गए हैं जिनके साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक केंद्रीय टीएएफसीयूबी गठित किया गया है। टीएएफसीयूबी राज्य में संभवतः व्यवहार्य और अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों का पता लगाएगा और व्यवहार्य के लिए पुनरुज्जीवन का पथ प्रदर्शित करने के साथ-साथ अव्यवहार्य बैंकों के लिए बाधारहित समापन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

4.16 अव्यवहार्य बैंकों का समापन सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय/समामेलन, समितियों में परिवर्तन अथवा अंतिम उपाय के रूप में समापन के माध्यम से हो सकेगा। पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए यह संस्थागत व्यवस्था उन राज्यों के बैंकों को उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने अभी तक रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

4.17 इसके अलावा, उन राज्यों, जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, में समन्वित पर्यवेक्षी/विनियामक साधनों से उत्पन्न कतिपय अतिरिक्त कारोबारी अवसर ऐसे राज्यों के पात्र बैंकों के साथ-साथ बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को भी दिए गए हैं। इन सुविधाओं में शामिल है करेंसी चेस्ट स्थापित करना, म्यूच्युअल फंड उत्पाद बेचना, प्राथमिक व्यापारी श्रेणी I और II का लाइसेंस देना, नए एटीएम खोलना, बिना जोखिम सहभागिता के बीमा कारोबार करने के लिए शिथिल मानदंड और एक्सटेंशन काउंटरों को शाखाओं में बदलना। वार्षिक नीति 2006-07 में यह घोषणा की गई थी कि ऐसे राज्यों में वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों को भी नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस देने के बारे में भी विचार किया जाएगा। शहरी सहकारी बैंकों को यह सुविधा 2004 से उपलब्ध नहीं थी।

अव्यवहार्य इकाइयों का विलय/समामेलन और समापन

4.18 विलय प्रस्तावों को रिजर्व बैंक द्वारा 'अनापत्ति' प्रदान करने के लिए पारदर्शी मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराकर शहरी सहकारी बैंकों के बीच विलय की प्रक्रिया को एक नया प्रोत्साहन दिया गया है। (बाक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1: शहरी सहकारी बैंकों का विलय और समामेलन

विलय प्रस्तावों को अनापत्ति प्रदान करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध करा कर सुदृढ़ इकाइयों के साथ कमजोर इकाइयों के विलय की प्रक्रिया के माध्यम से इस क्षेत्र का समेकन प्रारंभ कर दिया गया है। विलय/समामेलन हेतु प्रस्तावों पर विचार करते समय रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विलय के वित्तीय पहलुओं तक ही अपने अनुमोदन को सीमित रखता है। बैंकों का यह निर्णय लगभग पूरी तरह से स्वैच्छिक है कि वे अपने विलय प्रस्तावों के लिए अनापत्ति प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क करें। विलय संबंधी मार्गदशी सिद्धांतों का उद्देश्य बैंकों के बीच विलय हेतु पूर्वपेक्षाओं और उठाए जानेवाले कदमों का वर्णन करके प्रक्रिया को सुसाध्य बनाना है।

शहरी सहकारी बैंकों के विलय संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी होने के बाद रिजर्व बैंक को 52 बैंकों के संबंध में विलय हेतु 60 प्रस्ताव प्राप्त हुए। रिजर्व बैंक ने 37 मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया। इनमें से 20 विलय सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस)/ संबद्ध सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) द्वारा सांविधिक आदेश जारी करने पर पूरे हो गए। रिजर्व बैंक द्वारा विलय के चौदह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए जबकि तीन प्रस्ताव बैंकों द्वारा वापस ले लिए गए। शेष छह विचाराधीन हैं (सारणी 1 और 2)। अधिकांश लक्ष्य बैंक घाटा उठाने वाले शहरी सहकारी बैंक थे। कुछ मामलों में तो समेकन के उद्देश्य से लाभ कमाऊ बैंकों के विलय की भी अनुमति दी गई और कुछ मामलों में तो ऐसे बैंकों के संबंध में विलय की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें दीर्घावधि में अकेले (स्टैंड अलोन) चलाना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

विलय और समामेलन की प्रक्रिया जटिल है। लेने वाले बैंक द्वारा विलय प्रस्ताव आरसीएस/सीआरसीएस को भेजे जाते हैं और साथ ही साथ इस प्रस्ताव की एक प्रति कतिपय विशेष सूचनाओं के साथ रिजर्व बैंक को अग्रेषित की जाती है । रिजर्व बैंक इन प्रस्तावों की जांच करता है और इन्हें बारीक जांच तथा सिफारिश के लिए विशेषज्ञ दल के समक्ष रखता है। मूल्यांकन पर यदि प्रस्ताव योग्य पाया जाता है तो रिजर्व बैंक आरसीएस/सीआरसीएस तथा संबंधित बैंकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करता है। इसके बाद आरसीएस/सीआरसीएस सहकारी समितियां अधिनियम, जिसके अंतर्गत वह बैंक पंजीकृत है, के प्रावधानों के अनुपालन में लक्ष्य शहरी सहकारी बैंक को समामेलन का आदेश जारी करता है।

सारणी 1: अधिग्रहणकर्त्ता बैंकों का राज्यवार सविस्तार ब्यौरा

(21 मई 2007 की स्थिति)

क्रम सं.	अधिनियम जिसके अधीन पंजीकृत	अधिग्रहणकर्ता बैंकों की संख्या	प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	वापस लिए गए प्रस्तावों की संख्या	प्रोसेसिंग के अधीन प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बहुराज्य	7	20	15	4	1	शून्य
2.	महाराष्ट्र	11	18	8	6	शून्य	4
3.	गुजरात	8	11	9	1	1	शून्य
4.	आंध्रप्रदेश	3	3	2	1	शून्य	शून्य
5.	कर्नाटक	3	3	2	1	शून्य	शून्य
6.	राजस्थान	1	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
7.	पंजाब	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
8.	उत्तराखंड	3	3	शून्य	शून्य	1	2
कुल (1 से 8)		**37**	**60**	**37**	**14**	**3**	**6**

सारणी 2 : अधिग्रहीत बैंकों का सविस्तार ब्यौरा

(21 मई 2007 की स्थिति)

क्रम सं.	अधिनियम जिसके अधीन पंजीकृत	अधिग्रहीत बैंकों की संख्या	प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों	विलीन बैंकों की संख्या	वापस लिए के प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्ताव	प्रक्रियाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बहुराज्य	1	2	1	1	शून्य	1	शून्य
2.	महाराष्ट्र	17	21	11	5	1	6	3
3.	गुजरात	14	15	13	6	1	1	शून्य
4.	आंध्र प्रदेश	7	7	6	5	शून्य	1	शून्य
5.	कर्नाटक	3	5	3	1	शून्य	2	शून्य
6.	गोवा	1	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
7.	राजस्थान	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
8.	दिल्ली	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
9.	पंजाब	1	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मध्यप्रदेश	3	3	1	शून्य	शून्य	1	1
11.	उत्तराखंड	3	3	शून्य	शून्य	1	शून्य	2
कुल	**(1 to 11)**	**52**	**60**	**37**	**20**	**3**	**14**	**6**

ब्याज दरें/आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना

अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें

4.19 शहरी सहकारी बैंकों को अनिवासी बाह्य (एनआरई) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की बिना पर जमाकर्ताओं अथवा तीसरी पार्टियों को 20 लाख रुपए से अधिक के नए ऋण देने की मनाही थी। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे उच्चतम सीमा से बचने के लिए ऋण को कई हिस्सों में करके स्वीकृति देने का कार्य न करें।

4.20 वार्षिक नीति वक्तव्य 2006-07 की समीक्षा में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंक जोकि विदेशी मुद्रा के प्राथमिक व्यापारी हैं, को सूचित किया गया था कि 31 जनवरी 2007 से भारत में कारोबार की समाप्ति से लागू संविदा वाली सभी परिपक्वताओं की एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के संबंध में ब्याज संबंधित करेंसी / तत्संबंधित परिपक्वताओं के लिए लिबोर/स्वैप दरों की उच्चतम सीमा से 25 आधार अंक घटाकर प्राप्त सीमा के भीतर अदा किया जाएगा। एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर दरों की उच्चतम सीमा 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति से और संशोधित करके तत्संबंधित करेंसी/संबंधित परिपक्वताओं के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 75 आधार अंक घटाकर प्राप्त उच्चतम सीमा कर दी गई। चल दर जमाराशियों पर ब्याज संबंधित करेंसी/ परिपक्वता के लिए स्वैप दरों में 25 आधार अंक घटाकर प्राप्त उच्चतम सीमा के भीतर अदा किया जा सकता है। चल दर वाली जमाराशियों पर ब्याज प्रत्येक छह महीने में एक बार पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। ब्याज दरों को पुनः संशोधित करके संबंधित करेंसी/परिपक्वता के लिए स्वैप दरों की उच्चतम सीमा में 75 आधार अंक घटाकर प्राप्त उच्चतम सीमा तक कर दिया गया।

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें

4.21 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया था कि 24 अप्रैल 2007 को भारत में कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष की परिपक्वतावाली नई अनिवासी (बाह्य) रुपया सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें पहले वाले महीने के अंतिम कार्यदिवस को मौजूद संबंधित परिपक्वताओं के अमरीकी डालर हेतु लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी नीति

4.22 निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात सात चरणों में बढ़ाकर 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत कर दिया गया (सारणी IV.1)।

4.23 रिज़र्व बैंक ने उन बैंकों को भी दंडात्मक ब्याज की अदायगी से छूट दे दी जिन्होंने 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 के बीच की अवधि में 3.0 प्रतिशत का सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने में चूक की थी। भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 को प्रकाशित असाधारण गज़ट अधिसूचना में भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 अधिसूचित की और यह निर्धारित किया कि 1 अप्रैल 2007 वह तारीख होगी जिस तारीख को तत्संबंधित प्रावधान लागू हो जाएंगे। अधिसूचना को लंबित रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र सीआरआर शेष राशियों पर रिज़र्व बैंक सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को निम्न दर से ब्याज अदा करेगा (क) 24 जून 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से लेकर 8 दिसंबर 2006 तक 3.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से; (ख) 9 दिसंबर 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से लेकर 16 फरवरी 2007 तक 2.00 प्रतिशत की दर से ; (ग) 17 फरवरी 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से 1.00 प्रतिशत की दर से । यह भी निर्णय लिया गया कि 14 अप्रैल 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक में रखी पात्र नकद शेष राशियों पर (पहले के 1 प्रतिशत के बजाय) 0.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा किया जाएगा।

सारणी IV.1: नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन

	परिवर्तन लागू होने की तारीख*	एनडीटीएल पर सीआरआर (प्रतिशत)
	1	2
1.	23-दिसंबर-06	5.25
2.	6-जनवरी-07	5.50
3.	17-फरवरी-07	5.75
4.	3-मार्च-07	6.00
5.	14-अप्रैल-07	6.25
6.	28-अप्रैल-07	6.50
7.	4-अगस्त-07	7.00

* : उक्त दिनांक को प्रारंभ पखवाड़े से

4.24 तथापि, भारत सरकार की दिनांक 9 जनवरी 2007 की असाधारण अधिसूचना में 9 जनवरी 2007 वह तारीख घोषित की गई जिस तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 को छोड़कर शेष सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जानेवाले सीआरआर की न्यूनतम और उच्चतम सीमा को हटाने के साथ-साथ पात्र सीआरआर शेष राशियों पर ब्याज अदायगी हेतु व्यवस्था दी गई है। संबंधित प्रावधानों की अधिसूचना को लंबित रखते हुए सीआरआर पर न्यूनतम और उच्चतम सीमाएं फिर से बहाल कर दी गईं और रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि वह पात्र सीआरआर शेषराशियों पर ब्याज अदा करेगा किंतु वह मौद्रिक नीति दृष्टिकोण और समय-समय पर उठाए गए संबद्ध उपायों के अनुरूप होगा। संशोधनों के समनुरूप यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रखे जानेवाले सीआरआर शेषों पर रिज़र्व बैंक कोई ब्याज अदा नहीं करेगा।

विनियामक पहलें

जोखिम प्रबंध

4.25 टियर II बैंकों से अपेक्षित है कि वे विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात वैयक्तिक ऋणों, पूंजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में पात्र ऋण एवं अग्रिम तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण क्षेत्र में मानक अग्रिमों संबंधी सामान्य प्रावधानन अपेक्षाओं को मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दें। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र के एक्सपोज़र पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया।

4.26 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि साख-पत्र (एलसी) के अंतर्गत (जहां हिताधिकारी को 'प्रारक्षित के अंतर्गत' भुगतान न किया गया हो) खरीदे/भुनाए/बेचे गए बिल साखपत्र जारीकर्ता बैंक पर एक्सपोज़र माने जाएंगे न कि उधारकर्ता पर। पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु ऊपर दर्शाए गए सभी बेजमानती सौदों को एक जोखिम भार देना अनिवार्य है जैसा कि सामान्यतः अंतर-बैंक एक्सपोज़रों पर लागू होता है। 'प्रारक्षितों के अंतर्गत' किए जानेवाले सौदों में एक्सपोज़र उधारकर्ता पर माना जाएगा और तदनुसार उसे जोखिम भार दिया जाएगा।

4.27 चढ़ते शेयर बाजार के परिप्रेक्ष्य में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सतत आधार पर उनके द्वारा स्वीकृत की गई निधियों के अंतिम उपभोग की निगरानी करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे लेखा-परीक्षा जांच के निष्कर्षों की रिपोर्ट लेखा-परीक्षा समिति के बोर्ड के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत करें और उसे उनके अभिमतों के साथ निदेशक मंडल को प्रस्तुत करें।

4.28 बैंकों के स्वामित्व वाली और उनके अग्रिमों के निवेश संविभाग के एक काफी बड़े भाग के लिए जमानत के तौर पर उनके द्वारा स्वीकार की गई अचल आस्तियों का सही-सही और वास्तविक मूल्यन का मुद्दा पूंजी पर्याप्तता स्थिति के सही मापन हेतु इसके निहितार्थों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। तदनुसार बैंकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जो उन्हें इस प्रयोजन हेतु संपत्तियों के मूल्यांकन और मूल्यांककों की नियुक्ति संबंधी नीति तैयार करते समय अनुसरण करने होंगे।

4.29 भारत सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि एटीएम से जाली नोटों का संवितरण जाली नोटों को चलाने का प्रयास माना जाएगा। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे (i) जाली नोटों के संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अपनी शाखाओं तक प्रसार करें; (ii) इसके कार्यान्वयन की निगरानी करें और (iii) जाली नोटों का पता लगाने तथा पुलिस के पास फाइल किए गए मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी आंकड़ों का समेकन करने संबंधी कार्य निष्पादित करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय में एक 'जाली नोट सतर्कता कक्ष' स्थापित करें।

4.30 दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवास ऋण केवल प्राधिकृत ढांचों के लिए ही स्वीकृत किए जाएं और बैंक ऋण लेने वाले आवेदक से एक शपथपत्र पर यह वचन लें कि भवन स्वीकृत योजनाओं (प्लान) के अनुसार ही निर्मित किए जाएंगे और ये प्लान उस वचनपत्र के साथ संलग्न किए जाएं।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आंतकवाद के वित्तपोषण को रोकना

4.31 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे एन्टी मनी लांडरिंग स्टैंडर्ड के अनुपालन के संबंध में पूरी तरह से तैयार हैं। शहरी सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के लिए यह अनिवार्य है कि वे केवाइसी दिशानिर्देशों और एएमएल प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति की व्यक्तिगत रूप से अक्षरशः निगरानी करें और जारी अनुदेशों का पालन न करने पर उत्तरदायित्व तय करने की एक प्रणाली स्थापित करें। उन्हें इस संबंध में एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.32 पूरे विश्व में निधियों के अंतरण हेतु वायर ट्रांसफर एक तात्कालिक और सर्वाधिक अपनाया जाने वाला मार्ग है अतः, आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवादियों और अन्य अपराधियों को अपनी निधियां यहां-वहां भेजने के लिए वायर ट्रांसफर का बेरोकटोक उपयोग करने से रोका जाए और ऐसा कोई भी दुरुपयोग होने पर उसका पता लगाया जाए। अतएव शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सभी वायर ट्रांसफरों के बारे में अनिवार्यतः कतिपय सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सभी क्रास-बॉर्डर वायर ट्रांसफरों के साथ मौलिक अंतरणकर्ता (ओरिजिनेटर) का नाम व पता, मौजूदा खाते के विवरण अथवा उस देश विशेष में लागू अनन्य संदर्भ संख्या (यूनिक रेफरेंस नंबर) के बारे में सही सटीक और अर्थपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मौलिक अंतरणकर्ता संबंधी पूरी जानकारी अर्थात नाम, पता, खाता संख्या, आदि 50,000 रुपए और उससे अधिक के सभी देशी वायर अंतरणों के संबंध में जानकारी हिताधिकारी बैंक को अंतरणों के साथ दी जानी चाहिए / उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि बैंक को कुछ भी ऐसा लगे कि ग्राहक जानबूझकर रिपोर्टिंग या निगरानी से बचने के लिए अनेक हिताधिकारियों को 50,000 रुपए से कम के वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक को यह अंतरण करने से पूर्व पूरा ग्राहक परिचय अनिवार्यतः प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। ग्राहक द्वारा असहयोग करने पर उसकी पहचान करने के प्रयास किए जाने चाहिए और संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) वित्तीय गुप्तचर इकाई -भारत (एफआइयू

- आइएनडी) को भेजी जानी चाहिए । धन अंतरण करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग किए जाने पर मौलिक अंतरणकर्ता के संबंध में आवश्यक सूचनाएं भेजे जाने वाले संदेश में यह जानकारी शामिल की जानी चाहिए। अंतर-बैंक अंतरणों एवं निपटानों में जहां मौलिक अंतरणकर्ता और हिताधिकारी दोनों ही बैंक या वित्तीय संस्थाएं हैं, उपर्युक्त अपेक्षाओं के पालन से छूट होगी।

4.33 आदेशक बैंक, जहाँ से वायर ट्रांसफर मूलरूप से किया जाता है यह सुनिश्चित करेगा कि अर्हक वायर ट्रांसफर में मूल अंतरणकर्ता के बारे में पूरी जानकारी रहती है और मध्यस्थ बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वह पूरी जानकारी उस अंतरण के साथ ही बनी रहे। ऐसी सूचना का रिकार्ड 10 वर्ष तक संरक्षित रखा जाना चाहिए। हितताधिकारी बैंक में कारगर जोखिम आधारित प्रक्रियाएं होनी चाहिए ताकि वे मूल अंतरणकर्ता संबंधी पूरी जानकारी न देने वाले वायर ट्रांसफरों की पहचान कर सकें। मूल अंतरणकर्ता संबंधी सूचना की कमी को यह मूल्यांकन करने में कि कोई वायर ट्रांसफर या संबद्ध लेनदेन संदिग्ध हैं अथवा नहीं और उन्हें एफआइयू - आइएनडी को रिपोर्ट किया जाए अथवा नहीं, एक कारक माना जाएगा।

कार्पोरेट गवर्नेंस

4.34 शेयर बाजार घोटाला और उससे संबद्ध मामलों के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्तूबर 2003 से शहरी सहकारी बैंकों को निदेशकों, उनके संबंधियों और ऐसी किन्हीं भी फर्मों / प्रतिष्ठानों / कंपनियों को जिनमें कि उनके हित हों, कोई भी ऋण और अग्रिम (जमानती और बेजमानती दोनों) देने की मनाही थी। तथापि, पुनर्विचार करने पर 6 अक्तूबर 2005 को भारत सरकार के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित को उपर्युक्त अनुदेशों के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए (i) शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के स्टाफ निदेशकों को दिए जानेवाले नियमित कर्मचारी संबंधी ऋण; (ii) वेतन भोगियों के सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के निदेशकों को एक सदस्य के रूप में मिलने वाले सामान्य ऋण और (iii) बहु-राज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को मिलनेवाले सामान्य कर्मचारी संबद्ध ऋण। ढील देने के एक और उपाय के रूप में सरकार के परामर्श से शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे अपने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को उनके अपने नाम की मीयादी जमाराशियों और बीमा पालिसी की बिना पर ऋण लेने की अनुमति प्रदान करें।

ऋण संवितरण और वित्तीय समावेशन

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

4.35 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों के निवेश को तर्क संगत बनाने और बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को धीरे-धीरे सीधे उधार देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1 अप्रैल 2007 को या उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक/हुडको द्वारा जारी बांडों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं समझे जाएंगे।

4.36 शहरी सहकारी बैंकों को प्रति हिताधिकारी एक रिहाइशी इकाई के लिए 25 लाख रुपए की सीमा तक वैयक्तिक आवास ऋण देने की अनुमति दी गई है। तथापि, 15 लाख रुपए से अधिक का आवास ऋण लेनेवाले उधारकर्ताओं को दिया जानेवाला आवास वित्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार नहीं समझा जाएगा।

4.37 अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधारों का एक उचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों को लक्ष्यित हो और यह कि सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभ पददलित लोगों तक पहुंचें। अतएव शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए निर्धारित समग्र लक्ष्य और निर्बल वर्ग के लिए 25 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के भीतर यह सुनिश्चित करने की पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का एक उचित हिस्सा मिले।

4.38 अति लघु (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा बदली गई थी और इसे बैंकों को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित करना अनिवार्य था। शहरी सहकारी बैंकों को विनिर्माण या उत्पादन और सेवाएं देने के कार्य में संलग्न माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा सूचित की गई थी जोकि निम्नानुसार है : (i) वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन, प्रसंस्करण और परिरक्षण में संलग्न उद्यम - (क) जहां संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 25 लाख रुपए से कम है अतिलघु (माइक्रो) उद्यम है; (ख) जहां संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 25 लाख रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से कम है लघु उद्यम है; (ग) जहां संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है, मध्यम उद्यम है और (ii) सेवाएं देने में संलग्न उद्यम - (क) जहां उपकरणों में किया गया निवेश 10 लाख रुपए से कम है माइक्रो उद्यम; (ख) जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक किंतु 2 करोड़ रुपए से कम है, लघु उद्यम और (ग) जहां उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से कम है मध्यम उद्यम है (कृपया बाक्स II.4 भी देखें)। बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को दिए गए उधार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारों के प्रयोजन से की जाने वाली गणना में नहीं लिए जाएंगे।

कुक्कुटपालन उद्योग को राहत हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

4.39 देश के कुछ भागों में एविएन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) फैलने के कारण कुक्कुट पालन इकाइयों को भारी कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा था। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को दिशा-निर्देश

जारी किए गए, जिनके अनुसार 1 फरवरी 2006 को या उसके बाद कार्यशील पूंजी ऋणों के मूलधन और उस पर देय ब्याज के साथ ही मीयादी ऋणों की किस्त और उस पर देय ब्याज को मीयादी ऋण में परिवर्तित किया जाना था जो एक वर्ष तक के आरंभिक ऋण चुकौती स्थगन के साथ तीन वर्ष में होनेवाले भावी अनुमानित अंतर्वाह के आधार पर तय किस्तों में वसूला जाना चाहिए। यह राहत उन सभी पोल्ट्री खातों को दी गई थी जो 31 मार्च 2006 को मानक खातों के रूप में वर्गीकृत थे। कुक्कुट पालन (पोल्ट्री) उद्योग को ब्याज माफी की व्याप्ति और उसकी गणना पद्धति तथा संवितरण के बारे में अनुदेश शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए थे।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को राहत उपायों का पैकेज

4.40 विदर्भ के ऋणग्रस्त जिलों में किसानों की विपत्ति दूर करने के उद्देश्य से बैंकों को सूचित किया गया था कि वे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणानुसार कृषि ऋण के संबंध में पुनर्वास पैकेज कार्यान्वित करें। यह पैकेज अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलढाणा जिलों में लागू है। इन उपर्युक्त छह जिलों में 1 जुलाई 2006 को किसानों के अतिदेय ऋणों पर समस्त ब्याज का अधित्याग अपेक्षित है और उस तारीख को उन पर कोई भी ब्याज भार नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2006 को अतिदेय ऋणों को एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्ष की अवधि में (चुकौती हेतु) पुनः निर्धारित किया जाना है। ऊपर दी गई व्यवस्था के अनुसार पुनर्निर्धारण करने के पश्चात् किसानों को नई आवश्यकता आधारित ऋण सुविधा दी जा सकती है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली राहत

4.41 हाल ही की बाढ़ के संदर्भ में जिसकी वजह से देश के विभिन्न भाग प्रभावित हुए हैं, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों को वैकल्पिक सुविधा जैसे कि अस्थायी परिसर से शाखाओं, एक्सटेंशन काउंटरों और दूःरस्थ कार्यालयों का संचालन तथा एटीएम की संचालन व्यवस्था पुनःस्थापित करने के माध्यम से अपना खाता चलाने में मदद देना सुनिश्चित करें।

4.42 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा नए खाते खोलना सुसाध्य बनाने के लिए, विशेषकर सरकार/अन्य एजेंसियों द्वारा दी जानेवाली विभिन्न प्रकार की राहतें प्राप्त करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'केवाइसी' प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के साथ खाते खोलें, यदि एक वर्ष में उनके खाते में जमा शेष 50,000 रुपए से अधिक न होती हो अथवा यदि प्रदान की जानेवाली राहत राशि (यदि अधिक हो) तथा खाते में कुल जमा रुपए 1,00,000 अथवा स्वीकृत राहत राशि (यदि अधिक हो) से अधिक न होती हो।

4.43 समाशोधन सेवा में सातत्य सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे 20 बड़े शहरों में 'ऑन सिटी बैक अप सेंटर' खोलें तथा शेष शहरों के लिए कारगर तथा कम लागत वाला निपटान समाधान खोजें। ग्राहकों की निधि संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे अधिक राशि के चेक भुनाने पर विचार करें। वे ईएफटी/ईसीएस या डाक सेवा के लिए शुल्क हटाने पर भी विचार कर सकते हैं ताकि प्राकृतिक विपदा से प्रभावित व्यक्तियों के खातों में निधियों का आवक अंतरण सुकर हो सके।

4.44 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि बिना किसी जमानत के स्वीकृत किए जाने वाले उपभोग ऋण की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया जाए और यदि राज्य सरकारों ने कोई भी जोखिम निधि न गठित की हो तब भी ये ऋण उपलब्ध कराए जाएं । मौजूदा ऋणों की पुनर्संरचना करते समय बकाया फसल ऋणों और मीयादी कृषि ऋणों के मूलधन के साथ-साथ उस पर उपचित ब्याज भी मीयादी ऋणों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चुकौती के लिए यह पुनर्संरचना अवधि 3 से 5 वर्ष हो सकती है। जहां नुकसान बड़ा भयंकर है वहां बैंक चुकौती की अवधि बढ़ाकर 7 वर्ष कर सकते हैं और अत्यंत भयावह स्थितियों वाले मामलों में इसे बिना अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति के बढ़ाकर 10 वर्ष कर सकते हैं ।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में कर्ज के बोझतले दबे किसानों को राहत

4.45 केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में 25 विनिर्दिष्ट जिलों के कर्ज में डूबे किसानों के लिए राहत उपायों का एक पैकेज अनुमोदित किया है। तदनुसार, इन राज्यों में सभी शहरी सहकारी बैंकों तथा बहु-राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि विनिर्दिष्ट जिलों में सभी किसानों के ऋण खातों को, जो कि 1 जुलाई 2006 से अतिदेय हैं, एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया जाए तथा उस पर देय ब्याज पूरी तरह से (1 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार) छोड़ दिया जाए। ऐसे किसानों को नया वित्त भी प्रदान किया जाए।

आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राहत उपाय

4.46 वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणाओं के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे आपदाग्रस्त किसानों को जिनके खाते प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले पुनर्निर्धारित/परिवर्तित किए जा चुके हैं और साथ ही ऐसे किसान जो परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने बकाया ऋणों की चुकौती में चूक कर रहे हैं, को भी एकबारगी निपटान योजनाओं (ओटीएस) के लाभ दिए जाएं। सभी बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से पारदर्शी एकबारगी निपटान योजना संबंधी नीतियां तैयार करें।

4.47 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि शाखाओं में ग्राहकों को दी जानेवाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से वे यह सुनिश्चित करें कि खातेदारों को जारी किए जानेवाली पास बुकों/खाता विवरणों में अनिवार्यतः शाखा का पूरा पता और टेलिफोन नंबर हो।

ग्राहक सेवाएं

4.48 बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में बैंकों को सक्षम बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को एक्सटेंशन काउंटरों पर निम्नलिखित सीमित लेनदेन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई :(i) जमा/आहरण लेन-देन; (ii) ड्राफ्ट जारी करना और उनका नकदीकरण तथा डाक अंतरण; (iii) यात्री चेक जारी करना और उनका नकदीकरण; (iv) बिलों की वसूली; (v) अपने ग्राहकों की मीयादी जमाराशियों की बिना पर अग्रिम (एक्सटेंशन काउंटर के संबंधित अधिकारी की मंजूरकारी शक्ति के भीतर) और (vi)प्रधान कार्यालय/आधार शाखा द्वारा स्वीकृत मात्र 10 लाख रुपए तक के ऋणों की सीमा तक के अन्य ऋणों (केवल व्यक्तियों के लिए) का संवितरण।

4.49 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'बैंक प्रभारों की तर्क संगति सुनिश्चित करने हेतु योजना निर्माणट के संबंध में गठित कार्य दल की सिफारिशें जैसी कि बैंक द्वारा स्वीकार की गई हैं, कार्यान्वित करें। उन्हें यह भी कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को सेवा प्रभार सामने - सामने बताए जाते हैं और ग्राहक को पूर्व नोटिस के साथ ही कार्यान्वित किए जाते हैं।

4.50 मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सेवा प्रभार निर्धारित करने का निर्णय बैंक विशेष के निदेशक मंडलों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे सेवा प्रभार निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि लगाए जानेवाले प्रभार तार्किक, सेवाएं देने की लागत के अनुरूप हों तथा कम मूल्य के/ कम मात्रा में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को इसका दंड न भुगतना पड़े। सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित फार्मेट में विभिन्न सेवा प्रभारों के विवरण अपने कार्यालयों/ शाखाओं के साथ-साथ अपनी वेबसाइटों पर भी दर्शाएं और उन्हें अद्यतन रखें। इन्हें स्थानीय भाषा में भी दर्शाया जाना चाहिए।

4.51 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपनी वेबसाइटों के होम पेज के आकर्षक स्थान पर 'सेवा प्रभार और शुल्कट शीर्षक के अंतर्गत कुछ सेवा प्रभारों और शुल्कों के विवरण दर्शाएं और अद्यतन करें जिससे कि बैंक ग्राहक उन्हें सुगमता से देख सकें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे अपने होम पेज पर ही शिकायत निवारण हेतु संपर्क अधिकारी के नाम के साथ एक शिकायत फार्म भी उपलब्ध कराएं। फार्म में दर्शाया जाए कि शिकायत निवारण का प्रथम स्थान स्वयं बैंक है और एक माह के भीतर बैंक में शिकायत का निवारण न होने पर शिकायतकर्ता बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

4.52 शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि डुप्लीकेट डीडी जारी करने के अनुरोध प्राप्त होते ही वह एक पखवाड़े के भीतर जारी कर दिए जाएं। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर ऐसे विलंब के लिए ग्राहक को ब्याज देकर भरपाई करें।

4.53 रिज़र्व बैंक/बैंकिंग लोकपाल को मिली शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों को ड्रॉप बाक्स में चेक डालने के लिए मजबूर न करें और चेक ड्राप बॉक्स पर यह दर्शाएं कि 'ग्राहक काउंटर पर भी अपने चेक देकर अदायगी पर्ची पर उसकी पावती प्राप्त कर सकते हैं'।

4.54 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने सभी बचत खाता धारकों (व्यक्ति) को अनिवार्यतः पासबुक सुविधा प्रदान करें क्योंकि छोटे ग्राहकों के लिए खाता विवरण की जगह यह ज्यादा सुविधाजनक है। इसके अलावा वे ऐसी पासबुक देने की लागत ग्राहकों से न वसूलें।

4.55 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा रुपए में पूर्णांकित न करके जारी (अर्थात् रुपए और पैसे में अंकित) किए गए चेक उनके द्वारा अस्वीकार अथवा अनादृत न किए जाएं । बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि संबंधित स्टाफ इन अनुदेशों से भलीभांति परिचित हो ताकि सामान्य जनता को कोई कष्ट न हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका जो स्टाफ रुपए-पैसों में जारी किए गए ऐसे चेकों/ड्राफ्टों को लेने से मना करे उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। बैंकों को यह नोट करने के लिए भी सूचित किया गया कि उपर्युक्त अनुदेशों की अवहेलना करने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के प्रावधानों के तहत उन पर दंड लगाया जा सकता है।

4.56 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति पर सामान्यतः इस बात का जोर दें कि वह नामन करे। बैंक जमाकर्ता को नामन सुविधा के लाभों से अवगत कराए और फिर भी यदि वह व्यक्ति नामन करना चाहे तो बैंक उससे कहे कि वह इस संबंध में एक पत्र लिखकर दे कि वह नामन नहीं करना चाहता। यदि वह व्यक्ति ऐसा पत्र देने में आनाकानी करे तो बैंक उसके खाता खोलने वाले फार्म पर यह तथ्य रिकार्ड करे और यदि उसे अन्यथा पात्र पाया जाए तो खाता खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए।

4.57 यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लगाई जानेवाली ब्याज दरें अविनियमित हैं किंतु एक खास स्तर से आगे की ब्याज दरें कुसीदिक (सूदखोर जैसी) जान पड़ती हैं और वे सामान्य बैंकिंग व्यवहार के अनुरूप नहीं थीं। अतएव शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं बनाएं

जिससे कि कुसीदिक ब्याज जिसमें प्रोसेसिंग और अन्य प्रभार शामिल हैं, ऋण और अग्रिमों पर उनके द्वारा न लगाया जाए।

अन्य नीतिगत पहलें

म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों का वितरण

4.58 राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों जिन्होंने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं, को कतिपय निर्दिष्ट मानदंडों के अधीन अपनी यूनिटों के विपणन हेतु म्यूच्युअल फंडों के साथ करार करने की अनुमति दी गई है।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार चलाना

4.59 राज्य के सहकारी समितियां अधिनियम अथवा बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, को कतिपय निर्दिष्ट मानदंड पूरे करने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I और II लाइसेंस के लिए अनमुमति प्रदान की गई है। मौजूदा दो शहरी सहकारी बैंक, जिनके पास श्रेणी I लाइसेंस है, के अलावा दो और बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I लाइसेंस दिया गया था। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II लाइसेंस वाले बैंकों को कतिपय निर्दिष्ट गैर-व्यापारिक चालू खाता लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी / विप्रेषित करने की अनुमति है। यह भी निर्णय लिया गया कि संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के रूप में काम करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को कोई भी नया प्राधिकार न दिया जाए।

ओटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम) लगाना

4.60 सुदृढ़ अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अधीन चुनिंदा आफसाइट / आन-साइट एटीएम लगाने की अनुमति दी गई। एटीएम रखने की अनुमति वाले बैंक एटीएम-कम-डेबिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी और/या एटीएम की साझेदारी के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है।

एक्सटेंशन काउंटरों को स्वयं पूर्ण शाखा में बदलना

4.61 कुछ राज्य सरकारों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके लाए गए विनियामक समन्वय के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में पंजीकृत वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं, को कतिपय शर्तों के अधीन मौजूदा एक्सटेंशन काउंटरों को स्वयंपूर्ण शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति देने पर रिज़र्व बैंक विचार करेगा।

बीमा कारोबार

4.62 वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणानुसार राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं, को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने पर बिना जोखिम सहभागिता के कार्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने की अनुमति दी गई थी : (क) शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम निवल मालियत 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए और (ख) इसे ग्रेड III या II के रूप में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए। राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों के मामले में जिन बैंकों ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनके लिए मौजूदा मानदंड जारी रहेंगे।

एन आर ई/एन आर ओ खाते रखने के लिए मानदंड

4.63 राज्यों में पंजीकृत बैंक जिन्होंने पर्यवेक्षी और विनियामक समन्वय हेतु रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे बैंक जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं, को कतिपय पात्रता मानदंड पूरे करने पर एनआरई खाता खोलने की अनुमति दी गई थी। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को एनआरओ जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। उन्हें ये खाते एक निर्धारित समय सीमा में बंद करने भी जरूरी हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक एनआरओ खाते रख सकते हैं और ऐसा उनके पुनः नामोद्दिष्ट होने जैसे कि खाता धारक के अनिवासी बन जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप होगा। इसके अलावा, आवधिक रूप से ब्याज जमा होने को छोड़कर इन खातों में नए जमा अनुमत नहीं हैं। तथापि, प्राथमिक व्यापारी श्रेणी-I लाइसेंस धारक शहरी सहकारी बैंकों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं हैं।

लघु और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी निपटान योजना (ओटीएस) संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

4.64 लघु एवं मध्यम क्षेत्र में दीर्घकालिक अनर्जक आस्तियों के निपटान हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किए गए थे कि वे संबंधित राज्यों के राज्य सहकारी समितियां अधिनियम / नियमों में प्रचलित कानूनी स्थिति के मद्देनज़र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक योजना अधिसूचित करें। इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में निदेशकों/उनके संबंधियों/फर्मों या कंपनियों जिनमें कि निदेशकों के हित हैं, द्वारा लिए गए/ गारंटीकृत ऋण और इरादतन की गई चूक, धोखाधड़ियां और भ्रष्टाचारों के मामले नहीं कवर किए गए हैं।

किसान विकास पत्र की खरीद के लिए ऋणों की स्वीकृति

4.65 किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए ऋणों की स्वीकृति से नयी बचतों को बढ़ावा नहीं मिलता। इसके बजाय यह बैंक जमाराशियों के रूप में वर्तमान बचतों की अल्प बचत लिखतों में ले जाता है तथा इस प्रकार ऐसी योजनाओं के प्रयोजन को ही समाप्त कर देता है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे किसान विकास पत्रों सहित लघु बचत लिखतों की खरीद/ उनमें निवेश के लिए ऋण स्वीकृत न करें।

शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी को बढ़ाना

4.66 शेयर पूँजी और प्रतिधारित आय सहकारी बैंकों की स्वाधिकृत निधियां हैं। न्यूनतम अवरुद्ध अवधि के बाद सदस्य अपनी शेयर पूँजी वापस ले सकते हैं तथा इसमें स्थायी ईक्विटी जैसी कोई बात नहीं है। सहकारी बैंकों को भी प्रीमियम पर शेयर जारी करने की अनुमति नहीं है। विनियामक पूँजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों और शहरी सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक कार्यदल का गठन किया जाए जो अंतर्ग्रस्त मुद्दों की जाँच करे तथा शहरी सहकारी बैंकों की पूँजी निधियाँ बढ़ाने के लिए वैकल्पिक लिखतों/साधनों की पहचान करे (बॉक्स IV.2)।

बैंक तथा शाखा लाइसेंसीकरण

4.67 मई 1993 में लाइसेंस संबंधी मानदंड आसान करने के फलस्वरूप जून 2001 तक 800 से अधिक बैंकिंग लाइसेंस जारी किये गये। तथापि, यह पाया गया कि इन नये लाइसेंसशुदा शहरी सहकारी बैंकों में से एक तिहाई के लगभग अल्प अवधि के भीतर वित्तीय दृष्टि से कमजोर हो गये। इस प्रकार उस क्षेत्र की वृद्धि की गति को कम करने की जरूरत थी। तदनुसार, बड़ी संख्या में मौजूदा शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त ढाँचा बनाये जाने तक और अधिक बैंक और शाखा लाइसेंसीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। मार्च 2007 के अंत में 1813 बैंकों में से 925 यूनिट बैंक थे, जो प्रधान कार्यालय - सह-शाखा के रूप में कार्यरत थे। रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में यह निर्णय लिया गया कि उन पात्र लाइसेंसशुदा बैंकों से शाखा लाइसेंस स्वीकार करने का आवेदन लेने पर विचार किया जाए, जिनकी निवल मालियत रुपए 10 करोड़ से कम न हो तथा। प्रस्तावित बैंक सहित प्रति बैंक औसत निवल मालियत 'ए' और 'बी' श्रेणी के केंद्रों में 2 करोड़ रुपए तथा 'सी' और 'डी' श्रेणी के केंद्रों में 1 करोड़ रुपए से कम न हो। बैंकों की पात्रता का निर्णय मार्च 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर लिया जाता है।

निदेशों के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंक

4.68 श्रेणीबद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई की रूपरेखा के आधार पर अथवा अन्य बातों के बीच बैंक पर भगदड़ जैसी आकस्मिक गतिविधियों के कारण शहरी सहकारी बैंकों को निदेश जारी किये जाते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं - जमाराशि स्वीकार करने/आहरित करने पर प्रतिबंध, ऋणों के विस्तार पर प्रतिबंध या पाबंदी, बैंक के दिन-प्रति-दिन के कार्यों के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्थापना व्ययों से इतर व्यय को वहन करना। निदेश के तहत रखे गये बैंकों पर निगरानी रखी जाती है तथा अपनी अपर्याप्तता को सुधारने की बैंकों की योग्यता के आधार पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जाता है। पिछले वर्ष में 10 शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में 2006-07 के दौरान, 23 शहरी सहकारी बैंकों को निदेश के तहत रखा गया। मार्च 2007 के अंत में निदेश के तहत रखे गये शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 73 थी जो मार्च 2006 के अंत के 75 की तुलना में कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.2)।

परिसमापनाधीन शहरी सहकारी बैंक

4.69 मार्च 2006-07 के अंत में 254 शहरी सहकारी बैंक परिसमापन के विभिन्न चरणों में थे जबकि मार्च 2006 के अंत में इनकी संख्या 226 थी (परिशिष्ट सारणी IV.3)। उन राज्यों, जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, में अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप परिसमापन की प्रक्रिया सरल हो गई है क्योंकि निर्णय 'टैफकब' की सिफारिशों के आधार पर लिए जाते हैं। पहले बैंक के समापन की मांग का बैंक और क्षेत्र द्वारा विरोध किया जाता था जो अकसर राज्य सरकारों द्वारा मांग पूरी करने में विलंब के रूप में परिणित होता था।

परोक्ष निगरानी

4.70 रिज़र्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाने वाली सभी पर्यवेक्षी एवं विनियामक विवरणियां (ओएसएस सहित) तैयार करने एवं भेजने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक परोक्ष निगरानी साफ्टवेयर विकसित किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा इन विवरणियों को ई-मेल से रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय के डेटाबेस में स्वतः अपलोड किया जाता है तथा उसे इंफीनेट पर रात में केंद्रीय कार्यालय के सर्वर में भेज दिया जाता है। सतत पर्यवेक्षण के प्रति किये जाने वाले प्रयासों के भाग के रूप में व्यवसाय आसूचना साफ्टवेयर का प्रयोग करके आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि बैंकों के समक्ष मौजूद दबाव के आरंभिक संकेतकों का पीछा किया जा सके तथा बहिर्वासी बैंकों, अर्थात ऐसे बैंक जो पूँजी पर्याप्तता, आस्तियों की गुणवत्ता, चलनिधि, आय, आदि जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों के संबंध में उचित सीमा में नहीं आते हैं, उनकी पहचान की जा सके। परोक्ष निगरानी निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में भी कार्य करती है क्योंकि आँकड़ों को विश्लेषित फार्म में प्रस्तुत किया जाता है जिससे सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों

बॉक्स IV.2 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पूँजी जुटाने संबंधी मुद्दों पर कार्य दल की रिपोर्ट

पिछले डेढ़ दशकों में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने अपूर्व वृद्धि दर्ज की है। तथापि, क्षेत्र में कुछ कमजोरियाँ दिखायी दी हैं जिससे जनता के विश्वास में कमी आयी है जो विनियामकों और उस क्षेत्र में अछा कार्य कर रही इकाइयों के लिए चिंता की बात है। शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है - ईक्विटी/अर्ध-ईक्विटी निवेशों को आकृष्ट करने की उनकी योग्यता। वर्तमान में, शहरी सहकारी बैंकों के पास ऐसी निधियाँ जुटाने के लिए सीमित साधन हैं तथा उनकी शेयर पूँजी भी हटायी जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी के मुदे की जाँच करने और उनकी पूँजी निधियाँ बढ़ाने के लिए वैकल्पिक लिखतों/साधनों की पहचान करने के लिए एक कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एक कार्यदल (अध्यक्षः एन.एस.विश्वनाथन) गठित किया गया।

दल की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- जहाँ कम पूँजी अथवा ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंक संभावित निवेशकों की पहचान कर सकते हैं, जहाँ व्यक्तिगत शेयरधारिता पर अधिनियम में निर्धारित मौद्रिक अधिकतम सीमा उस मार्ग से शेयर पूँजी बढ़ाने में अवरोध बन जाती है। ऐसे मामलों में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे अधिसूचना जारी कर अथवा अधिनियम में यथावश्यक संशोधन कर व्यक्तिगत शेयरधारिता पर वर्तमान अधिकतम मौद्रिक सीमा से शहरी सहकारी बैंकों को छूट प्रदान करें।
- ईक्विटी अथवा अर्ध-ईक्विटी वाली विशिष्टताओं से युक्त स्थिर और दीर्घावधि निधियां जुटाने के लिए लिखतों और साधनों का प्रावधान करना:
  - i) शहरी सहकारी बैंकों को अप्रतिभूत, गौण (जमाकर्ताओं के दावों के प्रति), अपरिवर्तनीय, मोचनीय डिबेंचर/बांड जारी करने की अनुमति दी जाए जिनमें उनके कार्यक्षेत्र के भीतर और बाहर रहने वालों के द्वारा अभिदान किया जा सके। ऐसी लिखतों के माध्यम से जुटायी गयी निधियों को टीयर II पूँजी के रूप में माना जाए, बशर्ते ऐसी लिखतें कुछ निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप हों। ये बांड परांकन और सुपुर्दगी द्वारा अंतरणीय बनाये जा सकते हैं।
  - ii) शहरी सहकारी बैंकों को विशिष्ट शर्तों पर विशेष शेयर जारी करने की अनुमति दी जाए। बैंकों को भी प्रीमियम पर ऐसे शेयर जारी करने की अनुमति दी जाए, जिसे रिज़र्व बैंक के परामर्श से सहकारी समिति के संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। विशेष शेयर मताधिकार रहित, शाश्वत और पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी द्वारा अंतरणीय होने चाहिए। उन्हें सिर्फ साधारण शेयर से वरीय श्रेणी में रखा जाए तथा टीयर I पूँजी के रूप में माना जाए।
  - iii) श्रेणी निर्धारण संबंधी अपेक्षा के बारे में रिज़र्व बैंक अपवाद बना सकता है ताकि वाणिज्य बैंक गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी विशेष शेयरों और टीयर II बांडों में निवेश कर सकें। शहरी सहकारी बैंकों को अन्य शहरी सहकारी बैंकों के टीयर II बांडों में निवेश करने की भी अनुमति दी जाए। रिज़र्व बैंक एक ऐसी उपयुक्त सीमा निर्धारित करे जो निवेशकर्ता बैंक और प्राप्तकर्ता बैंक की निवल स्वाधिकृत निधियों से संबद्ध हो।
  - iv) शहरी सहकारी बैंकों को सहकारी समितियों के संबंधित रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति से विशेष शर्तों पर मोचनीय संचयी अधिमान शेयर रिज़र्व बैंक के परामर्श से, जारी करने की अनुमति दी जाए। कुछ निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप होने की शर्त पर इन्हें टीयर II पूँजी के रूप में माना जाए।
  - v) अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के रूप में निधियां जुटाने के लिए निर्धारित सीमा को हटाने हेतु बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं अन्य अधिनियमों में ऐसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं, वहाँ आवश्यक संशोधन किये जाएं।
  - vi) शहरी सहकारी बैंकों को इस बात की अनुमति दी जाए कि वे 15 साल से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियां जुटायें तथा ऐसी जमाराशियों को टीयर II पूँजी के रूप में माना जाए बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल होगा कि वे अन्य जमाराशियों के प्रति गौण होंगी तथा डीआइसीजीसी की सुरक्षा के लिए अपात्र होंगी।
  - vii) जहाँ ऋणात्मक निवल मालियत वाले बैंक मौजूदा जमाराशियों के परिवर्तन के जरिये बांड, अधिमान शेयर तथा लंबी परिपक्वता वाली जमाराशियों के जरिये टीयर II पूँजी जुटाते हैं, वहाँ रिज़र्व बैंक सामान्य नियम के अपवाद के रूप में इन्हें विनियामक पूंजी के भाग के रूप में मान सकता है, भले ही टीयर I पूँजी ऋणात्मक हो।
- चूँकि प्रतिधारित आय स्वाधिकृत निधियों का एकमात्र स्रोत है, रिज़र्व बैंक भारत सरकार को सुझाव दे सकता है कि वह तीन वर्ष की अवधि के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर आय कर लागू करना आस्थगित कर दे और तब तक वैकल्पिक लिखतें भी ठोस रूप ले लेंगी।
- चूँकि शहरी सहकारी बैंकों को जोखिम आस्तियों के प्रति अनुपात के रूप में पूँजी पर्याप्तता जोड़ने की व्यवस्था में लाया जा रहा है, अतः उधारकर्ता-से-उधारकर्ता आधार पर ऋण के प्रति शेयर का अनुपात निर्धारित करना जरूरी नहीं होगा और इसलिए ऋण से शेयर को जोड़ने के वर्तमान अनुदेश समाप्त कर दिये जाएं।
- जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के प्रस्तावित मानक का संबंध है, जिसके तहत बाहरी देयताओं के रूप में सहकारिताओं की शेयर पूँजी मानने की अपेक्षा की गयी है, कार्यदल ने सिफारिश की है कि सहकारी समिति अधिनियमों में पूँजी निकालने के लिए रखे गये प्रतिबंधों को देखते हुए तथा शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूँजी के कमोबेश स्थिर रहने संबंधी आनुभविक साक्ष्य को हिसाब में लेते हुए उसे ईक्विटी के रूप में माना जाता रहे और इसकी गणना विनियामक प्रयोजनों के लिए टियर I पूँजी के रूप में की जाए।
- कार्यदल ने पाया है कि इस क्षेत्र के लिए संघीय विन्यास अंतिम समाधान हो सकता है। तथापि, इसके लिए न सिर्फ सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है अपितु पर्यवेक्षी और विनियामक प्रथाओं में परिवर्तन भी अपेक्षित हैं। अतः, दल ने यह सिफारिश की है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभवों और प्रणालियों पर विचार करते हुए उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त विधायी और पर्यवेक्षी रूपरेखा के सृजन के समग्र मुद्दे पर अलग से जाँच की जाए।

की प्रबंध सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विश्लेषणात्मक परिणाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी हाल हाल ही में परिष्कत ओ एस एल सफ्टवेअर में दिए गए है। साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों की प्रबंध सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विश्लेषणात्मक परिणाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी हाल ही में परिष्कृत ओएसएल साफ्टवेयर में दी गई है।

4.71 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे परोक्ष निगरानी साफ्टवेयर में दिये गये एएलएम मॉड्यूल के माध्यम से संरचनात्मक चलनिधि विवरण तथा ब्याज दर संवेदनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। यह अपेक्षा की गयी कि संरचनात्मक चलनिधि विवरण जून 2007 के अंतिम सूचित शुक्रवार अर्थात 22 जून 2007 से पाक्षिक अंतराल पर तैयार किया जाए तथा ब्याज दर संवेदनात्मकता विवरण जून 2007 के महीने से शुरू कर माह के अंतिम सूचित शुक्रवार को मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाए।

4.72 चूँकि वाणिज्य बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के बीच पर्यवेक्षी प्रक्रिया में गुरुतर समाभिरूपता है, अतः शहरी सहकारी बैंकों के रेटिंग मॉडल को संशोधित कर उसे वाणिज्य बैंकों के संशोधित रेटिंग मॉडल के अनुरूप बनाया गया। टियर I और टियर II शहरी सहकारी बैंकों के नये रेटिंग मॉडल को मार्च 2008 से प्रारंभ किए गए निरीक्षण चक्र के साथ अपनाये जाने के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया (बॉक्स IV.3)।

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन

शहरी सहकारी बैंकों की रूपरेखा

4.73 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कई संस्थाएं आती है जिनमें आकार, व्यवसाय के स्वरूप और भौगोलिक विस्तार संबंधी अंतर हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के पास जमाराशियों का लगभग 4.4 प्रतिशत तथा बैंकिंग प्रणाली के अग्रिमों का 3.9 प्रतिशत है और उनके पास 7.1 मिलियन उधारकर्ता और 50 मिलियन से अधिक जमाकर्ता हैं।

4.74 पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रेड I और II बैंकों की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि हुई, जबकि ग्रेड III और IV बैंकों की संख्या में गिरावट आयी। मार्च 2007 के अंत में ग्रेड III और ग्रेड IV के शहरी सहकारी बैंकों की संख्या घटकर 563 रह गयी (शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या का 31.1 प्रतिशत), जबकि मार्च 2006 के अंत में यह 677 (कुल का 36.5 प्रतिशत) थी (सारणी IV.2)। अधिकांश केंद्रों में ग्रेड I और II के बैंकों की संख्या में वृद्धि और ग्रेड III और IV के बैंकों की संख्या में गिरावट देखी गई। ग्रेड I और II के बैंकों की संख्या में सामान्य सुधार बड़े पैमाने पर 'टैफकब' के तहत परामर्शी प्रक्रिया के स्वास्थ्य को प्रभाव को दर्शाता है (सारणी IV.2)।

4.75 इस क्षेत्र में जनता का विश्वास शहरी सहकारी बैंकों के जमा आधार में हुई वृद्धि में परिलक्षित होता है। शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमाराशियों में 2005-06 में हुई 8.6 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 2006-07 के दौरान 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुछ बड़े बैंकों के अलावा, अधिकांश शहरी सहकारी बैंक छोटे से लेकर मध्यम आकार के हैं (सारणी IV.4)। मार्च 2007 के अंत में, कुल 1,813 शहरी सहकारी बैंकों में से 34.5 प्रतिशत शहरी

बॉक्स IV.3 : शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित कैमेल्स रेटिंग मॉडल

वर्तमान में, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः 'केमेल्स' (वाणिज्य बैंकों जैसा) पर आधारित पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल और 'सीएईएल' पर आधारित सरलीकृत रेटिंग मॉडल प्रचलित हैं। गैर-अनुसूचित और अननुसूचित दोनों प्रकार के शहरी सहकारी बैंकों के लिए वित्तीय मानदण्डों अर्थात सीआरएआर, निवल अनर्जक आस्तियां, निवल लाभ और सीआरआर/एसएलआर पर आधारित ग्रेड I से IV तक में शहरी सहकारी बैंकों की पर्यवेक्षी ग्रेडिंग की प्रणाली लागू हैं। जहाँ शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षी रेटिंग को बोर्ड के स्तर के पदाधिकारियों के ही सामने प्रकट किया जाता है, वहीं ग्रेड की जानकारी संबंधित बैंकों तथा सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को (ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत बैंकों के मामले को छोड़कर, जहाँ बैंक / सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को ग्रेड की जानकारी नहीं दी जाती) दी जाती है।

सहकारी और वाणिज्य बैंकों के बीच पर्यवेक्षी और विनियामक समभिरूपता लाने के लिए शासन की संरचना तथा एमआइएस के स्तर एवं शहरी सहकारी बैंकों में प्रचलित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को खोये बिना, शहरी सहकारी बैंकों के रेटिंग मॉडल को संशोधित किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों का संशोधित रेटिंग मॉडल वाणिज्य बैंकों के संशोधित रेटिंग मॉडल के अनुरूप है तथा साथ ही दर-निर्धारित (रेटेड) मानदंडों में उपयुक्त अनुकूलन किया गया है ताकि उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य, एमआइएस के स्तर और प्रचलित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंक बनाम वाणिज्य बैंक के बारे में अनुचित रूप से बाधा न खड़ी की जाए। इसके अलावा, मॉडल के अनुकूलन के समय अन्य बातों के साथ प्रबंधन की संरचना की असमानताओं, विनियमित संस्थाओं के आकार, उन पर वर्तमान में लागू विनियमनों, बैंकिंग प्रौद्योगिकी के प्रयोग के स्तर को भी हिसाब में लिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाणिज्य बैंकों की औसत सकल और निवल अनर्जक आस्तियाँ, विशेषतः कठोर अनर्जक आस्तियाँ और लागत-आय अनुपात की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों की औसत सकल और निवल अनर्जक आस्तियां काफी अधिक हैं, उपयुक्त आशोधन किये गये हैं।

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में प्रचलित लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित चुनाव और कार्पोरेट शासन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन शीर्ष के तहत उपयुक्त अनुकूलन किया गया है। प्रशासकों के तहत कार्य कर रहे शहरी सहकारी बैंकों, जिनके बोर्डों को अधिक्रमित किया गया है, के प्रबंधन शीर्ष के तहत भी उपयुक्त आशोधन किए गए हैं (काफी बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंक प्रशासकों के तहत कार्य कर रहे हैं, उनके बोर्डों को विभिन्न कारणों से अधिक्रमित किया गया है)।

मौजूदा वर्तमान द्विस्तरीय विनियामक युग को ध्यान में रखते हुए संशोधित ऊकैमेल्स मॉडल, जो वाणिज्य बैंकों के लिए अपनाये गये संशोधित मॉडल के काफी अनुरूप है, को 100 करोड़ रुपए और अधिक की जमाराशियों वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए अपनाया जाएगा तथा उसके संशोधित सरलीकृत पाठ को रुपए 100 करोड़ से कम जमाराशि वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए अपनाया जाएगा। ए से डी के तहत चार पैमानों में शहरी सहकारी बैंकों की रेटिंग करने की वर्तमान प्रणाली के विपरीत, प्रधान दर-निर्धारण (रेटिंग) के सकारात्मक और ऋणात्मक स्वगुणार्थों का प्रयोग करते हुए 'ए+' से 'डी' के तहत दस पैमानों में उनका दर निर्धारण किया जाएगा - उदाहरणार्थ, 'ए+', 'ए', 'ए-'। 100 करोड़ रुपए और अधिक की जमाराशि वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी अनुशासन के तहत लाया जाएगा। संशोधित रेटिंग मॉडल को अप्रैल 2008 वर्ष से शुरू होने वाले निरीक्षण चक्र से अर्थात 31 मार्च 2008 की उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू किया जाएगा तथा वर्तमान ग्रेडिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा।

सारणी IV.2: शहरी सहकारी बैंकों की केंद्र-वार श्रेणियां

केंद्र	श्रेणी I		श्रेणी II		श्रेणी III		श्रेणी IV		**योग**	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	**2006**	**2007**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**
अहमदाबाद	136	114	50	88	67	42	43	40	**296**	**284**
बंगलूर	90	99	76	92	85	55	46	42	**297**	**288**
भोपाल	16	12	28	24	17	15	14	9	**75**	**60**
भुवनेश्वर	1	2	6	4	3	4	4	4	**14**	**14**
चंडीगढ़	10	9	1	3	1	–	4	4	**16**	**16**
चेन्नई	54	69	32	34	39	22	7	6	**132**	**131**
देहरादून	–	4	–	–	–	1	–	2	**–**	**7**
गुवाहाटी	6	6	4	6	4	4	4	1	**18**	**17**
हैदराबाद	48	65	43	33	18	7	15	11	**124**	**116**
जयपुर	25	24	10	13	3	1	1	1	**39**	**39**
जम्मू	2	3	–	–	2	1	–	–	**4**	**4**
कोलकाता	30	31	11	10	3	1	7	9	**51**	**51**
लखनऊ	47	44	13	17	9	4	8	5	**77**	**70**
मुंबई	173	117	128	178	84	76	71	80	**456**	**451**
नागपुर	53	17	45	76	43	39	33	39	**174**	**171**
नई दिल्ली	12	12	1	1	–	–	2	2	**15**	**15**
पटना	3	5	1	–	1	–	–	–	**5**	**5**
रायपुर	–	5	–	5	–	–	–	4	**–**	**14**
तिरुवनंतपुरम	10	14	11	14	28	23	11	9	**60**	**60**
योग	**716**	**652**	**460**	**598**	**407**	**295**	**270**	**268**	**1,853**	**1,813**

– : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : मार्च 2006 के अंत में भोपाल के आंकड़ों रायपुर के आंकड़े और लखनऊ के आंकड़ों में देहरादून के आंकड़े शामिल हैं।

सहकारी बैंकों की जमाराशियां 10 करोड़ रुपए से कम थीं। तथापि, उनके पास कुल जमाराशियों का सिर्फ 3.1 प्रतिशत था। दूसरी ओर, 250 करोड़ रुपए और अधिक की जमाराशियों वाले 77 बैंकों की जमाराशियाँ कुल जमाराशियों की आधी थीं। इनमें से 1,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की जमाराशियों वाले 15 बैंकों के पास मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमाराशियों का 27.1 प्रतिशत था। कुल मिलाकर, 250 करोड़ रुपए से कम जमा आधार वाले 95.8 प्रतिशत बैंकों के पास जमाराशियों का 50 प्रतिशत था, जबकि 250 करोड़ रुपए और उससे अधिक जमा आधार वाले 4.2 प्रतिशत बैंकों के पास शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की जमाराशियों का शेष 50 प्रतिशत था जो शहरी सहकारी बैंकों के बीच जमाराशियों के अत्यधिक विषम वितरण को दर्शाता है।

4.76 तिरपन शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित होने का दर्जा प्राप्त था और उनके पास शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का काफी बड़ा भाग था तथा आस्तियों/जमाराशियों/निवेशों/ऋणों और अग्रिमों के अर्थ में उनका हिस्सा 40 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था। दूसरी ओर, 1,760 गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास शेष हिस्सा था (सारणी IV-5)।

सारणी IV.3: शहरी सहकारी बैंकों की श्रेणीवार स्थिति का सारांश

मार्च के अंत में	शा.स. बैं. की संख्या	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी I+II	श्रेणी III+IV	श्रेणी (I+II) कुल से प्रतिशत के रूप में	श्रेणी III+IV कुल से प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005	1,872	807	340	497	228	1,147	725	61	39
2006	1,853	716	460	407	270	1,176	677	63	37
2007	1,813	652	598	295	268	1,250	563	67	31

सारणी IV.4: शहरी सहकारी बैंको का जमाराशिवार विभाजन
(मार्च 2007 के अंत में)

क्रम सं.	जमाराशि आधार (करोड़ रुपए)	श.स.बैंकों की सं.		जमाराशियां	
		सं.	कुल में अंश (प्रतिशत)	राशि (करोड़ रुपए)	कुल में अंश (प्रतिशत)
	1	2	3	4	5
1.	> 1,000	15	0.8	32,748	27.1
2.	500 से < 1,000	17	0.9	11,897	9.8
3.	250 से < 500	45	2.5	16,152	13.4
4.	100 से < 250	143	7.9	22,042	18.1
5.	50 से < 100	206	11.4	14,948	12.4
6.	25 से < 50	315	17.4	11,283	9.3
7.	10 से < 25	446	24.6	8,198	6.8
8.	< 10	626	34.5	3,715	3.1
	कुल	1,813	100.0	1,20,983	100.0

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन, वित्तीय कार्यनिष्पादन और आस्ति गुणवत्ता

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन

4.77 2006-07 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के व्यावसायिक परिचालन में 5.9 प्रतिशत से काफी कम दर पर विस्तार हुआ, जबकि इसकी तुलना में उसी अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 24.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी (सारणी IV.6)। फलस्वरूप, मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों का सापेक्ष्य आस्ति आकार एक वर्ष पूर्व के 5.0 प्रतिशत के स्तर से गिरकर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों का लगभग 4.0 प्रतिशत रह गया। शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं की संरचना मोटे तौर पर पिछले साल के स्तर पर थी। देयता पक्ष की मुख्य मद जमाराशि कुल संसाधनों का लगभग 75.7 प्रतिशत है। 2006-07 के दौरान उधार में 46.1 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई जबकि 'अन्य देयताओं' में थोड़ी (1.8 प्रतिशत) वृद्धि हुई। 2006-07 में पूंजी और आरक्षित निधियों में पिछले वर्ष के क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत की तुलना में

सारणी IV.6: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रु.)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़
	2006	2007 अ	2006-07
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	3,488 (2.3)	3,884 (2.4)	11.4
2. सांविधिक आरक्षित निधियां	10,485 (6.9)	10,867 (6.8)	3.6
3. जमाराशियां	1,14,060 (75.6)	1,20,983 (75.7)	6.1
4. उधार	1,781 (1.2)	2,602 (1.6)	46.1
5. अन्य देयताएं	21,140 (14.0)	21,515 (13.5)	1.8
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,50,954 (100.0)**	**1,59,851 (100.0)**	**5.9**
आस्तियां			
1. उपलब्ध नकदी	1,558 (1.0)	1,639 (1.0)	5.2
2. बैंकों के पास शेष	9,037 (6.0)	9,806 (6.1)	8.5
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	1,835 (1.2)	1,859 (1. 2)	1.3
4. निवेश	50,395 (33.4)	47,316 (29.6)	-6.1
5. ऋण और अग्रिम	71,641 (47.5)	78,660 (49.2)	9.8
6. अन्य आस्तियां	16,488 (10.9)	20,571 (12.9)	24.8

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।
स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंको के तुलनपत्र ।

11.4 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष के प्रमुख घटक ऋण और अग्रिम एवं निवेश का हिस्सा कुल

सारणी IV.5 : शहरी सहकारी बैंकों की रूपरेखा
(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रु.)

संवर्ग	श.स.बैंकों की सं.	आस्तियां	जमाराशि	निवेश	ऋण तथा अग्रिम
1	2	3	4	5	6
1. सभी शहरी सहकारी बैंक	**1,813 (100.0)**	**1,59,851 (100.0)**	**1,20,983 (100.0)**	**47,316 (100.0)**	**78,660 (100.0)**
2. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	53 (2.9)	71,562 (44.8)	51,173 (42.3)	20,279 (42.9)	32,884 (41.8)
3. गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	1,760 (97.1)	88,290 (55.2)	69,810 (57.7)	27,037 (57.1)	45,776 (58.2)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल से शहरी सहकारी बैंकों का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

आस्तियों का क्रमशः 49.2 प्रतिशत और 29.6 प्रतिशत था। जहाँ 2006-07 में वर्ष के दौरान जमाराशियों में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं ऋणों और अग्रिमों में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा निवेश में 6.1 प्रतिशत की गिरावट आयी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

4.78 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल ऋण और अग्रिम के 60.0 प्रतिशत तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से कमजोर वर्गों को देय उधार के 25.0 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों ने कुल ऋण का 56.0 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल ऋण का 25.9 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दिया। इसप्रकार, हालांकि शहरी सहकारी बैंक थोड़े मार्जिन से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा करने में चूक गये, पर उन्होंने कमजोर वर्गों को ऋण की अपेक्षाएं पूरी कर लीं। (सारणी IV.7)।

4.79 मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों के निवेश का बड़ा भाग (93.1 प्रतिशत) सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी निवेश था (सारणी IV.8)। जहाँ केंद्र सरकार

सारणी IV.7 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम - 2006-07

खण्ड	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग	
	राशि (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिम में अंश (प्रतिशत)	राशि (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिम में अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
कृषि और संबंधित कार्य	2,190	2.8	1,010	1.3
कुटीर और लघु उद्योग	12,125	15.4	1,397	1.8
सड़क और जल परिवहन परिचालक	2,147	2.7	497	0.6
निजी खुदरा व्यापार (आवश्यक वस्तुएं)	2,034	2.6	761	1.0
खुदरा व्यापार (अन्य)	4,699	6.0	1,069	1.3
छोटे कारोबारी उद्यम	6,079	7.7	1,698	2.2
प्रोफेशनल और स्व-नियोजित व्यक्ति	2,685	3.4	927	1.2
शैक्षिक ऋण	628	0.8	232	0.3
आवास ऋण	10,247	13.0	3,092	3.9
उपभोग ऋण	1,169	1.5	709	0.9
सॉफ्टवेयर उद्योग	55	0.1	7	0.0
कुल	**44,058**	**56.0**	**11,399**	**14.5**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी IV.8 : शहरी सहकारी बैंकों का निवेश

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़
	2006	2007अ	2006-07
1	2	3	4
कुल निवेश (क + ख)	**50,395 (100.0)**	**47,316 (100.0)**	**-6.1**
क. एसएलआर निवेश (i से v)	**47,635 (94.5)**	**44,060 (93.1)**	**-7.5**
i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	28,178 (55.9)	28,158 (59.5)	-0.1
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	3,902 (7.7)	3,534 (7.5)	-9.4
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	935 (1.9)	835 (1.8)	-10.7
iv) राज्य सहकारी बैंकों में मीयादी जमाराशियां	4,704 (9.3)	4,932 (10.4)	4.9
v) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में की मीयादी जमाराशियां	9,916 (19.7)	6,601 (14.0)	-33.4
ख. गैर एसएलआर निवेश (सरकारी क्षेत्र/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बांडों में, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के शेयरों में अथवा यूटीआई की यूनिटों में)	**2,760 (5.5)**	**3,256 (6.9)**	**18.0**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।

की प्रतिभूतियों में निवेश कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर था, वहीं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में तेज गिरावट आयी। 2006-07 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों तथा गैर-एसएलआर निवेशों को छोड़कर हर श्रेणी के निवेश में गिरावट आयी।

पूंजी पर्याप्तता

4.80 मार्च 2007 के अंत में, कुल 1,813 शहरी सहकारी बैंकों में से 1,496 शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम आस्तियों के प्रति पूँजी का अनुपात 9 प्रतिशत और उससे अधिक था (सारणी IV.9)।

सारणी IV.9: सभी शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर-वार विभाजन

(मार्च 2007 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

सीआरएआर का दायरा (प्रतिशत)	<3	3 to 6	6 to 9	≥9	**महायोग**
1	2	3	4	5	6
गैर-अनुसूचित	202	48	57	1,453	1,760
अनुसूचित	7	0	3	43	53
सभी शहरी सहकारी बैंक	**209**	**48**	**60**	**1,496**	**1,813**

अ : अनंतिम

सारणी IV.10: शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मार्च के अंत में	रिपोर्ट प्रस्तुत करनेवाले शसबैंकों की संख्या	सकल अनर्जक आस्तियां (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अनर्जक आस्तियां (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3	4	5	6
2004	1,926	15,406	22.7	8,242	2.1
2005	1,872	15,486	23.2	8,257	12.3
2006	1,853	13,506	18.9	6,335	8.8
2007अ	1,813	13,363	17.0	6,044	7.7

अ : अनंतिम

आस्तियों की गुणवत्ता

4.81 वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार आया, जैसा कि कुल और प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियों (सकल और निवल) में गिरावट में प्रतिबिंबित होता है। तथापि, मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां 17.0 प्रतिशत (सकल) और 7.7 प्रतिशत (निवल) थीं, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के क्रमशः 2.4 प्रतिशत (सकल)और 1.0 प्रतिशत (निवल) की तुलना में अधिक थीं (सारणी IV.10)।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का परिचालन और कार्य-निष्पादन

4.82 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियां एक वर्ष पहले के 15.1 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 10.6 प्रतिशत की कम दर से बढ़ीं (सारणी IV.11)। पिछले वर्ष की तुलना में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां उच्चतर दर से बढ़ीं। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उधार ली गयी राशियां बढ़ीं हालांकी कुल देयताओं में उनका हिस्सा 2 प्रतिशत से कम रहा। आस्ति पक्ष में, जहाँ ऋणों और अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर दर पर वृद्धि हुई, वहीं निवेश में पिछले वर्ष की तेज वृद्धि की तुलना में गिरावट आयी (सारणी IV.11)।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.83 2006-07 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आय और व्यय में क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान आय पक्ष में, जहां ब्याज आय 6.5 प्रतिशत बढ़ी वहीं ब्याजेतर आय में मामूली गिरावट दिखाई दी। इसी तरह, व्यय पक्ष में, 2006-07 में जहाँ शहरी सहकारी बैंकों का ब्याज व्यय बढ़ा वहीं ब्याजेतर व्यय में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई

सारणी IV.11: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़
	2006	2007अ	2006-07
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	899 (1.4)	1,018 (1.4)	13.2
2. आरक्षित निधि	5,439 (8.4)	5,918 (8.3)	8.8
3. जमाराशियां	45,297 (70.0)	51,173 (71.5)	13.0
4. उधार	922 (1.4)	1,350 (1.9)	46.4
5. अन्य देयताएं	12,145 (18.8)	12,103 (16.9)	-0.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**64,702 (100.0)**	**71,562 (100.0)**	**10.6**
आस्तियां			
1. नकदी	386 (0.6)	426 (0.6)	10.4
2. बैंक शेष	4,227 (6.5)	4,700 (6.6)	11.2
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	618 (1.0)	1,095 (1.5)	77.1
4. निवेश	22,593 (34.9)	20,279 (28.3)	-10.2
5. ऋण और अग्रिम	27,960 (43.2)	32,884 (46.0)	17.6
6. अन्य आस्तियां	8,918 (13.8)	12,178 (17.0)	36.6

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के तुलनपत्र।

दी। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की निवल ब्याज आय 2006-07 में बढ़कर 1,641 करोड़ रुपए हो गई जबकि 2005-06 में यह 1,396 करोड़ और 2004-05 में 1,094 करोड़ रुपए थी (सारणी IV.12)।

4.84 2006-07 में जहां परिचालन लाभ 2.2 प्रतिशत बढ़े वहीं निवल लाभ में 14.0 प्रतिशत तक गिरावट आई जो प्रावधानों, आकस्मिकताओं, करों, आदि में सुदृढ़ वृद्धि दर्शाता है।

गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन और कार्य-निष्पादन

4.85 पहली बार, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के तुलनपत्र के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। 2006-07 में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के समेकित तुलनपत्र में अनुसूचित शहरी

सारणी IV.12: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

	2004-05 सं	2005-06 सं	2006-07 अ	प्रतिशत घटबढ़ 2005-06	प्रतिशत घटबढ़ 2006-07
1	2	3	4	5	6
क. आय (i+ii)	4,182	4,499	4,748	7.6	5.5
	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज आय	3,675	3,912	4,166	6.4	6.5
	(87.9)	(87.0)	(87.7)		
ii. ब्याजेतर आय	507	587	582	15.8	-0.9
	(12.1)	(13.0)	(12.3)		
ख. कुल व्यय (i+ii)	3,560	3,653	3,883	2.6	6.3
	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याज व्यय	2,581	2,516	2,525	-2.5	0.4
	(72.5)	(68.9)	(65.0)		
ii. ब्याजेतर व्यय	979	1,137	1,358	16.1	19.4
जिसमें से :	(27.5)	(31.1)	(35.0)		
वेतन बिल	557	634	650	13.8	2.5
	(15.6)	(17.4)	(16.7)		
ग. लाभ					
i. परिचालन लाभ राशि	622	846	865	36.0	2.2
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्ययकर	371	332	423	-10.5	27.4
iii. निवल लाभ राशि	251	514	442	104.8	-14.0
iv. आगे ले जाई गई संचित हानि (-)/अधिशेष (+)	-2,201	-2,032	-1,996	-7.7	-1.8

अ : अनंतिम सं : संशोधित

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश हैं।

स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंको के तुलनपत्र ।

सहकारी बैंकों के 10.6 प्रतिशत की तुलना में 2.4 प्रतिशत की काफी कम दर से वृद्धि हुई (सारणी IV.13)। जहाँ गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां धीमी गति से बढ़ीं, वहीं उधार राशियों में तेज वृद्धि दर्ज की गयी। आस्तिपक्ष की ओर, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंको के ऋण और अग्रिम में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उनके निवेश में गिरावट आयी।

शहरी सहकारी बैंक - क्षेत्रीय परिचालन

4.86 सभी राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों का विस्तार विषम रूप में हुआ है तथा वे मुख्यतः पांच राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में, अर्थात आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्रित हैं।मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों का लगभग 80 प्रतिशत तथा कुल शाखाओं का 85 प्रतिशत पांच राज्यों यथा आंध प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र (गोवा सहित) और तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित) में कार्यरत है। अकेले महाराष्ट्र (गोवा सहित) में शहरी सहकारी बैंकों की कुल शाखाओं की लगभग 53 प्रतिशत शाखाएं है। मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों की 7,453 शाखाओं में से 894 इकाई बैंक थे अर्थात वे बैंक जो प्रधान कार्यालय सह शाखा के रूप में कार्य करते हैं। महाराष्ट्र (गोवा सहित), गुजरात और कर्नाटक में इकाई बैंकों की संख्या सर्वाधिक (60 प्रतिशत) थी (सारणी IV.14)।

4.87 मार्च 2007 के अंत में समग्र शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की जमाराशियों का 88.2 प्रतिशत तथा ऋण का 89.8 प्रतिशत भाग

सारणी IV.13: गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां*

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में 2006	मार्च के अंत में 2007अ	प्रतिशत घटबढ़ 2006-07
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	2,589	2,867	10.7
	(3.0)	(3.2)	
2. सांविधिक आरक्षित	5,046	4,949	-1.9
	(5.9)	(5.6)	
3. जमाराशियां	68,763	69,810	1.5
	(79.7)	(79.1)	
4. उधार	859	1,252	45.8
	(1.0)	(1.4)	
5. अन्य देयताएं	8,994	9,412	4.6
	(10.4)	(10.7)	
कुल देयताएं/आस्तियां	**86,251**	**88,290**	**2.4**
	(100.0)	**(100.0)**	
आस्तियां			
1. उपलब्ध नकदी	1,171	1,213	3.6
	(1.4)	(1.4)	
2. बैंक में जमा-शेष	4,810	5,106	6.2
	(5.6)	(5.8)	
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	1,217	764	-37.2
	(1.4)	(0.9)	
4. निवेश	27,802	27,037	-2.8
	(32.2)	(30.6)	
5. ऋण और अग्रिम	43,680	45,776	4.8
	(50.6)	(51.8)	
6. अन्य आस्तियां	7,571	8,394	10.9
	(8.8)	(9.5)	

* अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के तुलनपत्र।

सारणी IV.14: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण

राज्य	मार्च 2007 के अंत में				मार्च 2006 (सं) के अंत में				मार्च 2005 (सं) के अंत में			
	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	इकाइ शहरी सहकारी बैंक	बैंकों की शाखाएं #	विस्तार पटलोंकी संख्या	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	इकाइ शहरी सहकारी बैंक	बैंकों की शाखा #	विस्तार पटलोंकी संख्या	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	इकाइ शहरी सहकारी बैंक	बैंकों की शाखा #	विस्तार पटलोंकी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	116	87	273	5	124	95	281	5	127	97	305	10
असम/मणिपुर/ मेघालय/मिजोरम /त्रिपुरा	17	13	28		18	14	29		18	14	29	
बिहार/झारखण्ड	5	4	6	1	5	4	6	1	5	4	6	1
छत्तीसगढ़	14	10	20	1								
गुजरात	284	151	924	4	296	163	966	7	308	175	990	3
जम्मू और कश्मीर	4	1	16	4	4	1	16	4	4	1	16	4
कर्नाटक	288	153	848	16	297	153	870	18	296	153	880	21
केरल	60	17	324	2	60	17	325	2	60	17	325	2
मध्य प्रदेश*	60	45	80		75	58	103	4	77	58	106	4
महाराष्ट्र (गोवा सहित)	622	237	4010	138	630	240	4027	139	633	240	4020	139
नई दिल्ली	15	6	60	1	15	6	60	1	15	6	60	1
उड़ीसा	14	5	51	4	14	5	51	4	12	4	46	4
पंजाब/हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश	16	10	39	3	16	10	39	3	17	10	39	3
राजस्थान	39	19	142	7	39	19	142	7	39	19	142	7
तमिलनाडु/ पांडिचेरी	131	60	311	0	132	62	312		133	63	313	2
उत्तर प्रदेश**	70	42	173	27	77	45	218	30	77	45	218	30
उत्तराखंड	7	3	45	2								
पश्चिम बंगाल/सिक्किम	51	31	103	2	51	31	103	2	51	31	103	2
कुल	1813	894	7453	217	1853	923	7548	227	1872	937	7598	233

सं : संशोधित
* : मार्च 2005 और मार्च 2006 के अंत के छत्तीसगढ़ के आंकड़े शामिल।
** : मार्च 2005 और मार्च 2006 के अंत के आंकड़ों में उत्तराखंड शामिल हैं।
# : कार्यालयसह शाखा सहित।

आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक महाराष्ट्र और तामिलनाडु में केंद्रित है। अकेले महाराष्ट्र में जमाराशियों का 64.7 प्रतिशत तथा कुल अग्रिमों का 66.2 प्रतिशत है। मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंक की उपस्थिति वाले जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थी तथा उसके बाद उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान था (सारणी VI.15)।

4.88 मार्च 2007 के अंत में, चुनिंदा केंद्रों पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में विभिन्न केंद्रों के बीच व्यापक अंतर था। ऋण-जमा अनुपात अहमदाबाद में सर्वाधिक (69.7 प्रतिशत) था तथा उसके बाद नागपुर (67.6 प्रतिशत) और मुंबई (63.5 प्रतिशत) का स्थान था। जमाराशियों का सर्वाधिक हिस्सा (81.1 प्रतिशत) मुंबई में था (सारणी IV.16)।

4.89 मार्च 2007 के अंत में पांच केंद्रों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलूर, चेन्नै, मुंबई और नागपुर में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास सभी गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पूँजी का तीन चौथाई से अधिक तथा आरक्षित निधियों, जमा और अग्रिम का लगभग चार बटा पाँच हिस्सा था (सारणी IV.17)। गैर

सारणी IV.15: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण
(मार्च 2006 के अंत में)

	राज्य	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	जमाराशियों की मात्रा (करोड़ रुपए में)	शहरी सहकारी बैंकों की शाखा वाले जिलों की कुल संख्या
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	116	2,665	21
2.	असम	9	208	1
3.	बिहार	3	26	2
4.	छत्तीसगढ़	14	233	7
5.	गोवा	6	982	5
6.	गुजरात	284	14,660	25
7.	हरियाणा	7	192	7
8.	हिमाचल प्रदेश	5	176	8
9.	जम्मू और कश्मीर	4	211	4
10.	झारखण्ड	2	8	2
11.	कर्नाटक	288	8,277	25
12.	केरल	60	2,878	14
13.	मध्य प्रदेश	60	827	48
14.	महाराष्ट्र	616	78,280	34
15.	मणिपुर	3	108	2
16.	मेघालय	3	45	1
17.	मिजोरम	1	17	1
18.	नई दिल्ली	15	922	1
19.	उड़ीसा	14	617	10
20.	पांडिचेरी	1	79	1
21.	पंजाब	4	382	6
22.	राजस्थान	39	1,624	24
23.	सिक्किम	1	2	1
24.	तमिलनाडु	130	2,884	30
25.	त्रिपुरा	1	10	1
26.	उत्तर प्रदेश	70	1,998	37
27.	उत्तरखंड	7	813	7
28.	पश्चिम बंगाल	50	1,859	11
	कुल	**1,813**	**1,20,983**	**336**

सारणी IV.17: गैर-अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक
(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

केंद्र	शेयर पूंजी	निर्बंध आरक्षित निधि	जमाराशि	ऋण और अग्रिम	मांग तथा आवधिक देयताएं	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
अहमदाबाद	329	1,768	9,512	5,572	10,348	58.6
बंगलूर	383	561	7,946	5,332	8,255	67.1
भोपाल	41	31	827	455	962	55.0
भुबनेश्वर	32	31	617	419	633	68.0
चंडीगढ़	33	63	750	426	767	56.8
चेन्नई	154	137	2,963	2,273	412	76.7
देहरादुन	12	68	813	3,238	820	50.7
गुवाहाटी	14	30	388	187	422	48.2
हैदराबाद	106	166	1,955	1,144	2,731	58.5
जयपुर	81	59	1,624	958	1,732	59.0
जम्मू	4	7	210	113	209	53.5
कोलकाता	131	190	1,861	1,211	2,094	65.0
लखनऊ	127	87	1,720	1,092	1,977	63.5
मुम्बई	1,019	1,026	27,870	19,251	30,591	69.1
नागपुर	252	436	6,687	4,499	6,648	67.3
नई दिल्ली	44	147	922	421	989	45.6
पटना	3	6	34	20	36	58.4
रायपूर	8	16	233	70	226	30.1
तिरुवनंतपुरम	94	120	2,878	1,921	3,042	66.8
कुल	**2,867**	**4,949**	**69,810**	**45,776**	**75,721**	**65.6**
ज्ञापन मद:						
प्रमुख केन्द्रों का हिस्सा*	74.5	79.4	78.8	80.7	78.0	

* : कुल में अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई, मुंबई और नागपुर का हिस्सा

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में भी व्यापक अंतर देखे गए। चेन्नै में ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक (76.7 प्रतिशत) था, जबकि रायपुर में सबसे कम (30.1 प्रतिशत) था। तीन केंद्रों का ऋण-जमा अनुपात 50 प्रतिशत से कम था।

सारणी IV.16: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक
(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

केन्द्र	संख्या	पूंजी	आरक्षित निधि	जमाराशि	ऋण और अग्रिम	मांग तथा आवधिक देयताएं	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदाबाद	8	109	2,829	5,148	3,590	6,233	69.7
बंगलूर	1	6	23	331	189	470	57.1
हैदराबाद	3	31	62	710	432	405	60.8
लखनऊ	1	6	12	278	149	304	53.6
मुम्बई35	781	2,848	41,494	26,353	39,501	63.5	
नागपुर	5	85	144	3,212	2,171	3,000	67.6
कुल	**53**	**1,018**	**5,918**	**51,173**	**32,884**	**49,913**	**64.3**

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

4.90 ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं की पहुँच व्यापक है विशेषकर समाज के ग्रामीण तथा कमजोर वर्गों तक। ग्रामीण ऋण और जमा संग्रहण के प्रबंध में उनकी भूमिका को मानते हुए, हाल के वर्षों में इन संस्थाओं की परिचालनात्मक अर्थक्षमता और वित्तीय स्वास्थ्य बहाल करने के प्रयास किये गये हैं।

4.91 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की कार्यप्रणाली और उनके कार्यनिष्पादन में उच्च अनर्जक आस्तियों/ खराब वसूली तथा संचित हानियों समेत कई प्रकार की कमजोरियां बनी हुई थीं। 31 मार्च 2006 को 31 में से चार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, 366 में से 88 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, 1,05,735 में से 53,626 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 19 में से 8 सूचित करने वाले राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा 696 में से 194 सूचित करने वाले प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को हानि उठानी पड़ी जिसकी मात्रा कुल मिलाकर 1,601 करोड़ रुपए (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को छोड़कर) थी।

4.92 उक्त को देखते हुए, रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने ग्रामीण ऋण संस्थाओं की वृद्धि और विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 2006-07 में आरंभ किये गये पर्यवेक्षी उपायों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

ग्रामीण सहकारी बैंकों का विनियमन

4.93 फज़िल्का जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. तथा अंबाला जिला मध्यवर्ती केंद्रीय सहकारी बैंक लि. को 2006-07 के दौरान बैंकिंग लाइसेंस स्वीकृत किया गया। 31 मार्च 2007 को लाइसेंसशुदा राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कुल संख्या क्रमशः 14 और 75 थी। विद्यमान स्थिति के अनुसार दो राज्य सहकारी बैंकों तथा 9 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35.क के तहत रिज़र्व बैंक के निदेश के तहत रखा गया है और उन्हें नयी जमाराशियां स्वीकार करने, निर्धारित राशि से अधिक की जमाराशियां निकालने की अनुमति देने, ऋण एवं अग्रिम स्वीकार करने से मना किया गया है। तीन अन्य जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (शिवगंगई जि.म.स.बैं, विजय नगरम जि.म.स.बैं. और श्री काकुलम जि.म.स.बैं.) पर उधारकर्ताओं की कतिपय श्रेणियों, आदि पर लगाए गए निदेश 2006-07 में (अप्रैल से मार्च) पूरी तरह से वापस ले लिए गए। वर्ष के दौरान कोई लाइसेंस/लाइसेंस का आवेदन निरस्त/अस्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष के दौरान किसी राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42 के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल कर अनुसूचित होने की स्थिति प्रदान नहीं की गयी है। अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या 16 बनी रही। 30 जून 2007 को 31 में से 7 राज्य सहकारी बैंकों और 367 में से 127 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 11(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। इसी तरह, छह राज्य सहकारी बैंकों और 127 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(क) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जिसका निहितार्थ यह है कि वे दावा उद्भूत होने पर वे अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि अदा करने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही, 14 राज्य सहकारी बैंकों और 333 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(3)(ख) का अनुपालन नहीं किया।

नियमित वसूली काउंटरों पर चेकों की वसूली

4.94 रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग लोकपाल को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बैंकों की कई शाखाएं काउंटर पर चेक स्वीकार नहीं कर रही हैं तथा वे ग्राहकों को चेक ड्राप बॉक्स में चेक डालने के लिए विवश कर रही हैं। अतः सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए, पर साथ ही नियमित वसूली काउंटरों पर चेकों की पावती की सुविधा भी ग्राहकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। साथ ही, ग्राहक द्वारा काउंटर पर चेक प्रस्तुत किये जाने पर किसी भी शाखा को पावती देने से इनकार नहीं करना चाहिए। जहाँ-कहीं चेक ड्रॉप बॉक्स की सुविधा लागू की गयी है, यह आवश्यक है कि ग्राहक को उन्हें उपलब्ध दोनों विकल्पों अर्थात ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने अथवा काउंटर पर उन्हें प्रस्तुत करने की जानकारी दी जाए ताकि वे इस बारे में सूचित निर्णय ले सकें। बैंकों को यह भी सूचित किया जाए कि वे अंग्रेजी, हिंदी और राज्य की संबंधित क्षेत्रीय भाषा में चेक ड्रॉप बॉक्स में हमेशा यह दर्शाएं कि 'ग्राहक काउंटर पर चेक प्रस्तुत कर जमापर्ची पर पावती ले सकते हैं'।

नोट पैकेट को स्टेपल करने की मनाही

4.95 सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे नोट पैकट को स्टेपल करना बंद करें तथा इसके बजाय उन पर कागज की पट्टी लगाएं। साथ ही, उन्हें यह भी सूचित किया गया कि नोटों को पुनर्निर्गमनीय और गैर-निर्गमनीय नोटों के रूप में छांटकर अलग करें तथा सिर्फ स्वच्छ नोट ही जनता को जारी करें। गंदे नोटों को स्टेपल रहित दशा में करेंसी चेस्टों के माध्यम से आवक प्रेषण में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे बैंक नोटों के वाटरमार्क विंडो पर कुछ भी न लिखें।

लघु बचतों में निवेश के लिए ऋणों की स्वीकृति पर प्रतिबंध

4.96 राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि लघु बचत लिखतों यथा किसान विकास पत्र की खरीद के लिए ऋण की स्वीकृति लघु बचत योजनाओं के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। लघु बचत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है - लघु बचतकर्ताओं के लिए बचत का मार्ग बनाना तथा बचतों को प्रोन्नत करना और लोगों में मितव्ययिता की आदत पैदा करना। किसान विकास पत्रों को अर्पित करने/ उनमें निवेश करने के लिए ऋण स्वीकृत करने से नयी बचतों को बढ़ावा नहीं मिला। यह बैंक जमाराशियों के रूप में मौजूदा बचतों को लघुबचत लिखतों में पहुँचा देता है तथा इस प्रकार ऐसी योजनाओं के मुख्य उद्देश्य को समाप्त कर देता है। अतः, सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसान विकास पत्र सहित लघु बचत लिखतों की खरीद/में निवेश करने के लिए कोई ऋण मंजूर न किया जाए।

विभिन्न ब्याज तथा अन्य प्रभार लगाने की मनाही

4.97 वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के फलस्वरूप सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया कि वे उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित कुसीदात्मक ब्याज न लगाया जाए। लघु मूल्य के ऋणों, विशेषतः व्यक्तिगत ऋणों तथा उसी प्रकार के अन्य ऋणों तथा उसी प्रकार के अन्य ऋणों के बारे में सिद्धांत और प्रकियाएं निर्धारित करने में बैंकों से अपेक्षित है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्थूल दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें : (i) ऐसे ऋणों की स्वीकृति के लिए उपयुक्त पूर्वानुमोदन प्रक्रिया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ संभावित उधारकर्ता के नकदी प्रवाह को हिसाब में लिया जाय; (ii) प्रतिभूति की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी तथा उसके मूल्य को हिसाब में लेने के लिए उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग के संबंध में और जोखिम के प्रश्न पर विचार करते हुए पर्याप्त और उचित माने गये जोखिम प्रीमियम को समाविष्ट करने हेतु अन्य बातों के साथ प्रभारित ब्याज दर; (iii) भुगतान किये जाने वाले ऋण को प्रदान करने में बैंक द्वारा वहन की गयी कुल लागत तथा उस लेनदेन से उचित रूप में प्रत्याशित प्रतिलाभ की मात्रा का ध्यान रखते हुए ऋण पर लगाये जानेवाले ब्याज और अन्य प्रभारों सहित उधारकर्ता की कुल लागत को उचित ठहराया जाए; (iv) ऐसे ऋणों पर लगाये जाने वाले प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित ब्याज पर उपयुक्त अधिकतम सीमा, जिसका उपयुक्त रूप से प्रचार किया जाए।

ग्रामीण सहकारी संरचना का पर्यवेक्षण

4.98 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(6) के तहत प्राप्त शक्तियों के अनुसार नाबार्ड राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों, राज्य सहकारी विपणन संघों का ऐच्छिक निरीक्षण करने के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता है। नाबार्ड के पर्यवेक्षण का उद्देश्य है सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय एवं परिचालनात्मक सुदृढ़ता तथा प्रबंधकीय क्षमता का आकलन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इन बैंकों के कार्य संबंधित अधिनियमों/नियमों, विनियमों, उप-विधियों, आदि के उपबंधों के अनुरूप किये जाएं ताकि उनके जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। यह संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थोपाय का भी सुझाव देता है ताकि वे ग्रामीण ऋण के वितरण में अधिक सक्षम भूमिका अदा कर सकें। संशोधित रणनीति के तहत निरीक्षण में बैंकों की कार्यप्रणाली के प्रमुख क्षेत्रों पर जो पूँजी पर्याप्तता, आस्ति की गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली अनुपालन से संबंधित हैं, अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।

4.99 वर्ष 2005-06 से नाबार्ड द्वारा किये जानेवाले सांविधिक/ ऐच्छिक निरीक्षणों की बारंबारता बढ़ा दी गयी। तदनुसार क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गयी न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाले सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सांविधिक निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है। धनात्मक निवल मालियत वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांविधिक निरीक्षण के साथ-साथ शीर्ष सहकारी समितियों/संघों का दो वर्ष में एक बार ऐच्छिक निरीक्षण करना जारी है। वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 416 सहकारी बैंकों (31 राज्य सहकारी बैंक, 247 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 57 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सांविधिक निरीक्षण तथा 18 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और शीर्ष सहकारी समिति का ऐच्छिक निरीक्षण किया।

4.100 वर्ष के दौरान पर्यवेक्षण बोर्ड की तीन बार बैठकें हुई (राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए)। पर्यवेक्षण बोर्ड ने इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया (i) निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यप्रणाली; (ii) छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहकारी ऋण संस्थाओं तथा दिवालिया हुए राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती

सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली; (iii) वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के पुनर्जीवन पैकेज के तहत राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विरुद्ध अपेक्षित विनियामक कार्रवाई की आवश्यकता और मात्रा; (iv) राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन, खयानत, आदि की समीक्षा; (v) बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा; (vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(क) (i) और (ii) का अनुपालन, उनकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, समामेलन की स्थिति और निरीक्षण रणनीति की समीक्षा; (vii) धारा 11 गैर-अनुपालक/पुनरनुपालित बैंकों की समीक्षा; (viii) बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा; (ix) सत्वर विनियामक कार्रवाई के लिए अर्थोपाय; (x) पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं, साधनों और लिखतों में सुधार की गुंजाइश; (xi)कृषि अग्रिमों पर चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति; (xii) बैंकों के विरुद्ध शिकायतों की प्रगति और निपटान की प्रणाली तथा उनकी शिकायतों के निवारण के लिए रणनीति; एवं (xiii) सहकारी बैंकों के लिए लेखा-परीक्षा प्रणाली की समीक्षा, लेखा-परीक्षा रेटिंग बनाम पर्यवेक्षी रेटिंग के मानदण्ड।

4.101 पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा सूचित किये गये अनुसार, जनता से सूचना में अधिक भागीदारी के लिए सहकारी बैंकों के तुलनपत्र का उपयुक्त दावात्याग के साथ नाबार्ड की वेबसाइट पर रखे गए हैं। सहकारी बैंकों को भी सूचित किया गया कि वे अपनी शाखाओं में संक्षिप्त तुलनपत्र दर्शाएं। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर सुधार पैकेज के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन निष्पादित करने वाले राज्यों में स्थित सहकारी बैंकों के मामले में सुधार और अनुपालन की मात्रा के आकलन के लिए विनियामक कार्रवाई हेतु अलग ट्रिगर पॉइंट प्रक्रिया विकसित की जा रही है।

सहकारी बैंकों का प्रबंधन

4.102 जिन सहकारी बैंकों में बोर्डों का अधिक्रमण किया गया उनकी संख्या अधिक थी, भले ही अधिक्रमता के तहत आने वाले बोर्डों का प्रतिशत मार्च 2005 के अंत के 48.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2006 के अंत में 45.7 प्रतिशत हो गया। मार्च 2006 के अंत में ग्रामीण सहकारी बैंकों के सभी खंडों के लिए अधिक्रमणाधीन बोर्डों की संख्या और उनके अनुपात में गिरावट आयी, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक इसका अपवाद था जिनमें थोड़ी बढ़त हुई (सारणी IV.18)।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की रूपरेखा

4.103 2005-06 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं में (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों सहित) 4.2 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई। 31 मार्च 2006 को इन संस्थाओं के पास कुल मिलाकर 3,38,927 करोड़ रुपए की आस्तियाँ, 1,53,516 करोड़ रुपए की जमाराशियां और 2,01,118 करोड़ रुपए का ऋण था। मार्च 2006 के अंत में उनके द्वारा धारित कुल आस्तियां अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों का 12.2 प्रतिशत थीं। तथापि, 2005-06 में सामान्य लाभ से समग्र घाटे में जाने से वित्तीय कार्यनिष्पादन में पहले से चल रही अस्थिर स्थिति में और गिरावट आयी। हानि उठाने वाली संस्थाओं की संख्या लाभ उठाने वाली संस्थाओं की तुलना में काफी अधिक बनी रही। संस्थावार, जहाँ अल्पावधि और दीर्घावधि विन्यास के ऊपरी स्तर ने लाभ कमाया, वहीं निचले स्तर (अर्थात प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने हानि उठायी। ग्रामीण सहकारी बैंकों, विशेषतः दीर्घावधि विन्यास, के बारे में 2005-06 के दौरान अधिक अनर्जक आस्तियों और कम वसूली निष्पादन के कारण समस्या गंभीर हो गयी। जहाँ अल्पावधि विन्यास के निचले स्तर (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) का वसूली कार्य-निष्पादन खराब हो गया, वहीं उनकी आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया (सारणी IV.19)।

सारणी IV.18: अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड

(मार्च 2006 के अंत में)

विवरण	रा.स.बै.	त्रि.म.स.बै.	रा.स.कृ.ग्रा.वि.बै.	प्रा.स.कृ.ग्रा.वि.बै.	कुल
1	2	3	4	5	6
(i) संस्थाओंकी कुल संख्या	31	366	20	696	1,113
(ii) उन संस्थाओंकी कुल संख्या-जहाँ बोर्ड अधिक्रमण के अधिन हैं	12	160	7	330	509
अधिक्रमणाधीन बोर्डों से प्रतिशत ((i) के प्रतिशत के रूप में (ii))	**38.7**	**43.7**	**35.0**	**47.4**	**45.7**

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.19: ग्रामीण सहकारी बैंकों की रूपरेखा

(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधी		कुल
	रासबैं	जिमसबैं	प्राकृसस	रासकृग्राविबैं	प्रासकृग्राविबैं	
1	2	3	4	5	6	7
क. सहकारी बैंकों की संख्या	31	366*	1,06,384	20	696**	**1,07,497**
ख. तुलनपत्र संकेतक ^						
i) स्वाधिकृत निधि (पूंजी+आरक्षित)	10,545	23,450	9,292	3,352	3,380	**50,019**
ii) जमाराशि	45,405	87,532	19,561	636	382	**1,53,516**
iii) उधार	16,989	24,217	41,018	17,075	13,066	**1,12,365**
iv) जारी किए गए ऋण और अग्रिम	48,260	73,583	42,920	2,907	2254	**1,69,924**
v) बकाया ऋण और अग्रिम	39,684	79,202	51,779	17,713	12,740	**2,01,118**
vi) कुल देयताएं/आस्तियां	76,481	143,090	73,387+	24,604	21,365	**3,38,927**
ग. वित्तीय कार्य निष्पादन ^						
i) लाभ पानेवाली संस्थाएं						
क) संख्या	27	278	44,321	11	331	**44,968**
ख) हानि की राशि	408	1,116	1,064	335	328	**3,251**
ii) हानिग्रस्त संस्थाएं						
क) संख्या	4	88	53,050	8	194	**53,344**
ख) हानि की राशि	30	913	1,920	247	411	**3,521**
iii) समग्र लाभ /हानि (-)	378	203	-856	88	-83	**-271**
iv) संचित हानि	274	5,275	N.A.	918	2,672	**9,139**
घ. अनर्जक आस्तियां ^						
i) राशि	6,360	15,712	15,476@	5,786	4,554	**47,888**
ii) बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	16.0	19.8	30.4#	32.7	35.4	**23.8**
iii) मांग की तुलना में ऋण की वसूली (%)	87	69	62.1	47	48	

उ.न. : उपलब्ध नहीं
* : भारतीय रिज़र्व बैंक से द्विभाजन योजना का अनुमोदन न मिलने कारण पंजाब के तरन तारन जि.म.स.बैंक को शामिल नहीं किया गया है।
** : हरियाणा में 48 प्रा.स.कृ.ग्रा.बैंकों को 19 जि.म.स.बैंक के रूप में और उड़ीसा में दो प्रा.स.कृ.ग्रा.बैंकों को मान्यता मिलने के कारण संख्या में कमी हुई है।
+ : कार्यशील पूंजी।
@ : कुल अतिदेयता।
^ : आंकड़े सूचना देनेवाले सहकारी बैंकों पर आधारित हैं और हो सकता है कि परिशिष्ट सारणियों के आंकड़ों से मेल न खाएं।
# : मांग से अतिदेयता का प्रतिशत
स्रोत : नाबार्ड और नाफ्सकोब।

ग्रामीण सहकारी बैंक - अल्पावधि विन्यास

राज्य सहकारी बैंक

4.104 प्रमुख संघटकों (अर्थात पूँजी, आरक्षित निधि, जमा, उधार और अन्य देयताओं) के रूप में राज्य सहकारी बैंकों की देयताओं की संरचना मार्च 2005 के अंत तथा मार्च 2006 के बीच मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही ((सारणी IV.20)। जमाराशियां उनके संसाधनों में प्रमुख बनी रहीं जबकि कुल देयताओं में जमाराशियों के हिस्से में थोड़ी गिरावट आयी। उधार में वृद्धि ऊँची बनी रही जो विस्तार के लिए बाहरी स्रोतों पर उनकी निर्भरता दर्शाती है। आस्ति पक्ष में, निवेश में तेज वृद्धि हुई जबकि ऋणों और अग्रिमों में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.105 जहाँ राज्य सहकारी बैंकों के परिचालनगत लाभ में 2005-06 के दौरान 8.3 प्रतिशत की गिरावट आयी, वहीं मुख्यतः प्रावधानीकरण में काफी गिरावट आने के कारण उनके निवल लाभ में 32.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी IV.21)। सूचना देने वाले 31 राज्य सहकारी बैंकों में से 27 ने कुल 408 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जबकि 4 ने 30 करोड़ रुपए की हानि उठायी। ब्याज आय ने राज्य सहकारी बैंकों की कुल आय में लगभग 94 प्रतिशत का अंशदान किया क्योंकि उनके पास ब्याजेतर आय के बहुत सीमित संसाधन थे। दूसरी ओर, उनके परिचालन व्यय बढ़ते रहे।

सारणी IV.20: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घटबढ़	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,012 (1.4)	1,114 (1.5)	6.5	10.1
2. रिजर्व	8,488 (11.8)	9,431 (12.3)	12.8	11.1
3. जमाराशियां	44,335 (61.7)	45,405 (59.4)	2.0	2.4
4. उधार	14,602 (20.3)	16,989 (22.2)	17.2	16.3
5. अन्य देयताएं	3,388 (4.8)	3,542 (4.6)	-1.0	4.5
कुल देयताएं / आस्तियां	**71,825 (100.0)**	**76,481 (100.0)**	**5.9**	**6.5**
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	6,600 (9.2)	4,323 (5.7)	10.3	-34.5
2. निवेश	23,303 (32.4)	27,694 (36.2)	5.0	18.8
3. ऋण और अग्रिम	37,353 (52.0)	39,684 (51.9)	6.4	6.2
4. अन्य आस्तियां	4,569 (6.4)	4,781 (6.2)	0.2	4.6

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं से प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. मणिपुर तथा केरल राज्य के सहकारी बैंकों के 2005-06 वर्ष के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.21: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	प्रतिशत में अंतर	
			2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**5,772 (100.0)**	**5,656 (100.0)**	**-4.5**	**-2.0**
i) ब्याज आय	5,382 (93.2)	5,320 (94.1)	1.3	-1.2
ii) अन्य आय	390 (6.8)	336 (5.9)	-46.7	-13.8
ख. व्यय (i+ii+iii)	**5,486 (100.0)**	**5,278 (100.0)**	**-3.3**	**-3.8**
i) व्यय किया गया ब्याज	3,701 (67.5)	3,658 (69.3)	-7.4	-1.2
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,259 (22.9)	1,039 (19.7)	4.6	-17.5
iii) परिचालन व्यय	526 (9.6)	581 (11.0)	11.6	10.5
उनमें से: वेतन बिल	369 (6.7)	381 (7.2)	16.5	3.3
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	1,545	1,417	-2.0	-8.3
ii) निवल लाभ	286	378	-23.6	32.2
घ. कुल आस्तियां	**71,825**	**76,481**	**5.9**	**6.5**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर के राज्य सहकारी बैंको के 2005-06 के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली कार्यनिष्पादन

4.106 कुल तथा प्रतिशत दोनों ही रूपों में 2005-06 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की समग्र अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत पिछले वर्ष इसमें गिरावट देखी गयी। वर्ष के दौरान अवमानक आस्तियों में गिरावट तथा संदिग्ध और हानि आस्तियों में वृद्धि के साथ आस्ति में काफी गिरावट जारी रही। वसूली कार्यनिष्पादन भी कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा। पिछले वर्षों के अनुरूप, राज्य सहकारी बैंक 2005-06 के दौरान प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं आराम से पूरी करने में समर्थ रहे ((सारणी IV.22)।

क्षेत्रीय आयाम

4.107 अखिल भारतीय स्तर पर मांग के अनुपात में राज्य सहकारी बैंकों का वसूली कार्यनिष्पादन 2004-05 के 86 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 87 प्रतिशत हो गया। विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में से अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, मिजोरम और पुदुचेरी में वसूली कार्यनिष्पादन में सुधार आया, जबकि महाराष्ट्र, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में इसमें गिरावट आयी। 2005-06 में अंडमान एवं निकोबार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु नामक राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंकों ने 90 प्रतिशत से अधिक वसूली दर्ज की।

4.108 सत्ताईस राज्य सहकारी बैंकों ने लाभ कमाया, जबकि चार राज्य सहकारी बैंकों ने हानि उठायी। इक्कीस राज्य सहकारी बैंकों ने 2005-06 में उच्चतर लाभ कमाया, जबकि पांच राज्य सहकारी बैंकों (जम्मू-कश्मीर, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और पुदुचेरी राज्यों में) ने कम लाभ कमाया। जहाँ केरल के राज्य सहकारी बैंकों ने पिछले वर्ष के स्तर पर लाभ बनाये रखा, वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ स्थित राज्य सहकारी बैंकों ने वर्ष के दौरान हानि उठायी (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

सारणी IV.22: राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	**6,073 (100.0)**	**6,360 (100.0)**	**-5.2**	**4.7**
i) अवमानक	2,962 (48.8)	2,498 (39.3)	-7.8	-15.7
ii) संदिग्ध	1,975 (32.5)	2,234 (35.1)	-33.4	13.1
iii) हानि आस्तियां	1,136 (18.7)	1,628 (25.6)	402.7	43.3
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**16.3**	**16.0**		
ज्ञापन मद:				
i) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत में)	86	87		
ii) अपेक्षित प्रावधान (करोड़ रु.)	2,806	3,314	-18.3	18.1
iii) किया गया प्रावधान (करोड़ रु.)	2,982	3,558	-19.3	19.3

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड ।

4.109 मार्च 2006 के अंत में राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों में व्यापक घट-बढ़ देखी गयी। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में अनर्जक आस्तियां 3.0 प्रतिशत से कम थीं, जबकि कुछ अन्य राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड) में अनर्जक आस्तियां 50 प्रतिशत से अधिक थीं। 31 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में से सिर्फ नौ में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 10 प्रतिशत से कम था। राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की वसूली दर में भी उल्लेखनीय घट-बढ़ हुई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अंडमान और निकोबार, द्वीपसमूह, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में कार्यरत राज्य सहकारी बैंकों ने 2005-06 में 90 प्रतिशत से अधिक वसूली दर्ज की। तथापि, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा जैसे कई राज्यों में वसूली की दर 50 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

4.110 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के व्यावसायिक परिचालनों में 2005-06 में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गयी। देयता पक्ष में, जमाराशियों का हिस्सा थोड़ा घटकर 61.2 प्रतिशत हो गया जबकि यह निधीयन का प्रमुख स्रोत बना रहा। वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में तेज वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष में, जहाँ ऋणों और अग्रिमों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं निवेशों में सामान्य वृद्धि (1.9 प्रतिशत) देखी गयी (सारणी IV.23)।

सारणी IV.23: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत मे		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	4,342	4,748 (3.3)	11.4 (3.3)	9.3
2. आरक्षित निधि	16,156	18,702 (12.1)	6.1 (13.1)	15.8
3. जमाराशियां	82,129	87,532 (61.6)	3.8 (61.2)	6.6
4. उधार	22,575	24,217 (16.9)	11.4 (16.9)	7.3
5. अन्य देयताएं	8,174	7,891 (6.1)	14.4 (5.5)	-3.5
कुल देयताएं / आस्तियां	**1,33,377 (100.0)**	**1,43,090 (100.0)**	6.1	7.3
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	8,567	10,695 (6.4)	11.4 (7.5)	24.8
2. निवेश	35,937	36,628 (26.9)	2.2 (25.6)	1.9
3. ऋण और अग्रिम	73,125	79,202 (54.8)	8.9 (55.4)	8.3
4. अन्य आस्तियां	15,748	16,565 (11.8)	0.5 (11.6)	5.2

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. आरक्षित में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.111 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि के बावजूद, उनकी आय और व्यय दोनों में 2005-06 में गिरावट आयी। तथापि, आय में तेज गिरावट आयी, जिसके फलस्वरूप परिचालन और निवल लाभ में तेज गिरावट आयी। ब्याज आय कुल आय का लगभग 90 प्रतिशत थी जबकि ब्याज व्यय कुल व्यय का लगभग दो तिहाई था। राज्य सहकारी बैंकों की तरह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की ब्याजेतर आय में भी गिरावट आयी। तथापि, डीसीसीबी द्वारा किये गये प्रावधानों और आकस्मिकताओं में भी वृद्धि दर्ज की गयी। 2005-06 के दौरान, सूचित करने वाले 366 डीसीसीबी में से 278 ने 1,116 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि 88 डीसीसीबी ने 913 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की (सारणी IV.24)।

सारणी IV.24: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	प्रतिशत घट-बढ़	
			2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**12,731 (100.0)**	**11,688 (100.0)**	**6.9**	**-8.2**
i) ब्याज आय	11,420 (89.7)	10,687 (91.4)	3.6	-6.4
ii) अन्य आय	1,310 (10.3)	1,000 (8.6)	47.6	-23.7
ख. व्यय (i+ii+iii)	**11,759 (100.0)**	**11,481 (100.0)**	**-0.4**	**-2.4**
i) व्यय किया गया ब्याज	7,405 (63.0)	6,577 (57.3)	1.2	-11.2
ii) प्रावधान और आकस्मिक खर्च	2,125 (18.1)	2,563 (22.3)	-12.0	20.6
iii) परिचालन खर्च	2,230 (19.0)	2,341 (20.4)	7.7	5.0
जिसमें से: वेतन बिल	1,607 (13.7)	1,648 (14.4)	5.3	2.6
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	3,096	2,769	22.8	-10.6
ii) निवल लाभ	971	207	799.3	-78.7
घ. कुल आस्तियां	**1,33,377**	**1,43,090**	**6.1**	**7.3**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. आरक्षित में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.25: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	**14,520 (100.0)**	**15,712 (100.0)**	**-10.1**	**8.2**
i) अवमानक	6,468 (44.5)	6,905 (43.9)	-23.3	6.8
ii) संदिग्ध	6,053 (41.7)	6,699 (42.6)	-0.2	10.7
iii) हानि आस्तियां	1,999 (13.8)	2,109 (13.4)	21.3	5.5
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**19.9**	**19.8**		
ज्ञापन मद:				
i) मांग की तुलना में वसूली	72	69		
ii) अपेक्षित प्रावधान	8,678	8,713	37.8	0.4
iii) किया गया प्रावधान	11,387	9,440	65.0	-17.1

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

स्रोत : नाबार्ड ।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली कार्य-निष्पादन

4.112 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का अनुपात 2005-06 के दौरान कमोबेश अपरिवर्तित रहा। तथापि, आस्तियों की सभी श्रेणियों में आस्तियों में काफी गिरावट देखी गयी। वर्ष के दौरान वसूली कार्यनिष्पादन में गिरावट आयी। वर्ष के दौरान किये गये प्रावधानों में, पिछले वर्ष की तीव्र वृद्धि की तुलना में, गिरावट आयी (सारणी IV.25)।

क्षेत्रीय आयाम

4.113 सूचना देने वाले 366 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में से 278 ने 1,116 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जबकि 88 डीसीसीबी ने 913 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की। 19 राज्यों में से 14 राज्यों में कार्यरत डीसीसीबी ने लाभ कमाया जबकि पांच राज्यों (जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु) के डीसीसीबी ने हानि उठायी। 2005-06 के दौरान, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में लाभ कमाने वाले डीसीसीबी की संख्या बढ़ गयी। महाराष्ट्र में, जहाँ लाभ कमाने वाले डीसीसीबी की संख्या बढ़ी, वहीं लाभ की मात्रा में गिरावट आयी। सात राज्यों (हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) में हानि उठाने वाले डीसीसीबी की संख्या तथा उनके द्वारा वहन की गयी समग्र हानि में वृद्धि हुई (सारणी IV.26 तथा परिशिष्ट सारणी IV.7)।

4.114 मार्च 2006 के अंत में राज्यों में डीसीसीबी के बारे में अनर्जक आस्तियों के अनुपात में 5.2 प्रतिशत से 68.7 प्रतिशत की बीच उल्लेखनीय घट-बढ़ हुई। सिर्फ तीन राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब) में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 10 प्रतिशत से कम था, जबकि झारखंड (68.7 प्रतिशत) तथा बिहार (57.6 प्रतिशत) में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, तीन राज्यों राजस्थान, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जहाँ परंपरागत रूप से कम अनर्जक आस्तियां (20 प्रतिशत से कम) थीं, अनर्जक आस्तियाँ वर्ष के दौरान बढ़ गयीं। जम्मू और कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्यों में, जिनमें पहले से ही अनर्जक आस्तियों का स्तर ऊँचा (20 प्रतिशत से अधिक) था, वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई। अनर्जक आस्तियों के अनुपात में झारखंड में सबसे तेज गिरावट (10.4 प्रतिशत) देखी गयी तथा कर्नाटक में सर्वाधिक वृद्धि (12.7 प्रतिशत) देखी गयी। अखिल भारतीय स्तर पर, 2005-06 के दौरान, डीसीसीबी का वसूली कार्यनिष्पादन खराब होकर 72.2 प्रतिशत से गिरकर 69.2

सारणी IV.26: लाभ/हानि उठानेवाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक-राज्यवार

(मार्च की स्थितीं)

	2004-05				2005-06			
	लाभ		हानि		लाभ		हानि	
राज्य	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र	66	262.89	4	11.48	64	213.64	5	15.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	54	123.6	10	16.23	52	92.72	12	28.0
पूर्वी क्षेत्र	70	121.03	34	155.78	74	159.19	30	174.0
पश्चिमी क्षेत्र	35	295.39	14	169.49	34	244.23	15	245.8
दक्षिण क्षेत्र	70	552.42	10	85.9	54	406.6	26	450.0
अखिल भारतीय	**295**	**1355.33**	**72**	**438.88**	**278**	**1116.38**	**88**	**913.2**

टिप्पणी : 2005-06 के आंकड़े अंतिम है और रिपोर्टिंग बैंको पर आधारित हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

प्रतिशत रह गया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों में आम तौर पर डीसीसीबी द्वारा वसूली की स्थिति खराब हुई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में 2005-06 के दौरान वसूली की दर 80 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

4.115 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का आधार स्तरीय टियर हैं, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष लेनदेन करती हैं, अल्पावधि और मध्यावधि तक के ऋण स्वीकृत करती हैं और साथ ही वितरण और विपणन के कार्य करती हैं। तथापि, बड़ी संख्या में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्राथमिक तौर पर अपनी निधियों, जमाराशियों में उल्लेखनीय क्षरण तथा कम वसूली दरों के कारण गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई नीतियां अपनायी गयी हैं। नाबार्ड सहकारी विकास निधि में से प्राथमिक कृषि ऋण समिति में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समर्थन दे रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की कुल संख्या पिछले वर्ष के 108,779 से घटकर 2005-06 में 106,384 हो गयी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सदस्यता भी 3.8 प्रतिशत गिरकर 123 मिलियन रह गयी। तथापि, उधारकर्ता सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष के 35.4 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 46 मिलियन हो गयी जो कुल सदस्यता का 37.6 प्रतिशत है (सारणी IV.27)।

परिचालन

4.116 जमाराशियों में मध्यम वृद्धि के आधार पर वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कुल संसाधनों में वृद्धि हुई परंतु उनकी कार्यशील पूँजी थोड़ी अर्थात 2.7 प्रतिशत की कमी आई। आस्ति की ओर पूर्ण रूप से अल्पकालीन ऋणों में वृद्धि के कारण ऋण संविभाग में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके कारण आंशिक रूप से उधार लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई। परंतु बकाया कुल ऋणों में अधिकाधिक चुकौतियों के कारण (सारणी IV.28) वृद्धि दर मंद रही।

वित्तीय कार्य संपादन

4.117 वर्ष 2005-06 के दौरान लाभ कमाने वाली और हानि उठाने वाली दोनों ही प्रकार की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में कमी हुई है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा कमाए गए कुल लाभ में वृद्धि हुई और हानि उठाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की हानि में कमी आई है। कुल मिलाकर 44,321 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने 1,064 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जबकि 53,050 प्राथमिक कृषि ऋण

सारणी IV.27: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां-सदस्यता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में	
	2005	2006
1	2	3
1. समितियों की संख्या	108,779	106,384
2. कुल सदस्यता (मिलियन में)	127.41	122.56
जिसमें से:		
क) अनु. जाति	30.93	30.58
ख) अनु. जनजाति	11.80	11.66
3. उधारकर्ताओं की कुल संख्या (मिलियन में)	45.07	46.08
जिसमें से:		
क) अनु. जाति	7.25	6.98
ख) अनु. जनजाति	3.46	3.33
4. कुल कर्मचारियों की संख्या	388,118	241,609

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाफस्कोब।

सारणी IV.28: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	68,423	69,871	12.5	2.1
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	9,197	9,292	9.5	1.0
क. प्रदत्त पूंजी	5,571	5,644	7.8	1.3
जिसमें से:				
सरकार का अंशदान	621	622	-1.4	0.2
ख. कुल रिजर्व	3,626	3,648	12.2	0.6
3. जमाराशियां	18,976	19,561	4.6	3.1
4. उधार	40,250	41,018	17.5	1.9
5. कार्यशील पूंजी	75,407	73,387	21.5	-2.7
ख. आस्तियां				
1. कुल जारी ऋण (क+ख)*	39,212	42,920	11.7	9.5
क) अल्पावधि	31,887	35,624	8.7	11.7
ख) मध्यावधि	7,325	7,296	26.4	-0.4
2. कुल बकाया ऋण (क+ख)+	48,785	51,779	11.2	6.1
क) अल्पावधि	32,481	34,140	5.4	5.1
ख) मध्यावधि	16,304	17,639	24.8	8.2
ग. अतिदेय राशि				
1. कुल मांग	47,785	50,979	8	6.7
2. कुल वसूली	31,733	35,503	13.6	11.9
3. कुल शेष (अतिदेय) (क+ख)	16,052	15,476	-1.5	-3.6
क) अल्पावधि	11,656	11,387	-5.1	-2.3
ख) मध्यावधि	4,396	4,089	12.2	-7.0
4. कुल मांग में अतिदेय का प्रतिशत	33.6	30.4		

* : वर्ष के दौरान. + : वर्ष के प्रारंभ में

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाफस्कोब

समितियों को 1,920 करोड़ रुपए की हानि हुई। इसके परिणामस्वरूप एक समूह के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वर्ष 2004-05 के दौरान हुए 1,261 करोड़ रुपए की कुल हानि की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान 857 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान कुल मांग और कुल वसूलियां, दोनों में वृद्धि हुई। परंतु वसूलियों में वृद्धि काफी तेज रही। इसके परिणामस्वरूप कुल मांग के प्रतिशत के रूप में, कुल अतिदेय राशियों में वर्ष 2004-05 के दौरान 33.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2005-06 में तेजी से कमी आई और ये 30.4 प्रतिशत पर आ गईं ।

क्षेत्रीय आयाम

4.118 औसत रूप में पूरे देश में मार्च 2006 की समाप्ति पर एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति ने 7 गांवों की आवश्यकता पूर्ति की । केवल पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र और केरल) में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या बहुत अधिक थी क्यों कि वहां औसतन एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति दो गांवों की आवश्यकता की पूर्ति करती थी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत रूप से उक्त सेवाओं की कमी है (सारणी IV.29 तथा परिशिष्ट सारणी IV.8)।

4.119 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उगाही गई जमाराशियों का औसत आकार 18.4 लाख रुपए था। केरल में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की औसत जमाराशियां किसी भी अन्य राज्य से बहुत अधिक अर्थात 563 लाख रुपए थीं। तमिलनाडु, उड़ीसा और पुदुचेरी राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उगाही गई जमाराशियों का औसत आकार क्रमशः 57 लाख रुपए, 59 लाख रुपए और 91 लाख रुपए था। अन्य अधिकतर राज्यों में उगाही गई औसत जमाराशियाँ नगण्य थीं।

4.120 ग्यारह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, झारखंड, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, गोवा और गुजरात) में लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या और उनके द्वारा कमाए गए लाभ की राशि हानि उठाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों एवं उनके द्वारा उठाई गई हानियों की राशि से अधिक थी। तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और केरल) में हानि उठाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उठाई गई हानियों की राशियां, लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लाभों से अधिक थीं। अन्य पंद्रह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी और तमिलनाडु) में हानि उठाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या और उनके द्वारा उठाई गई हानि की राशि, लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या और उनके द्वारा कमाए, पाए लाभ से अधिक थीं। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पीएसीएस ने समग्र लाभ कमाया, हालांकि वहाँ हानि उठाने वाली पीएसीएस की संख्या लाभ कमाने वाली पीएसीएस की संख्या से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

4.121 31 मार्च 2006 की यथास्थिति 1,06,376 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में से 66,525 (63.5 प्रतिशत) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थक्षम, 29,684 (27.9 प्रतिशत) समितियां आंशिक रूप से अर्थक्षम, 4,631 (4.4 प्रतिशत) निष्क्रिय, 1998 (1.9 प्रतिशत) समाप्त और 3,538 (2.4 प्रतिशत) अन्य थीं। निष्क्रिय और समाप्त प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक (1,282) और उसके बाद नागालैंड (1,034) तथा गुजरात (942) में थी (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

सारणी IV.29: प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनिंदा संकेतक – 2004-05

क्रम सं.	राज्य	प्राकृसस की संख्या	ग्रामों की संख्या	औसत जमाराशियां (लाख रुपए)	कार्यशील पूंजी (लाख रुपए)	लाभ प्राप्त समितियां		हानिग्रस्त समितियां	
						संख्या	राशि (लाख रुपए)	संख्या	राशि लाख रुपए)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	**13,480**	**74,988**	**13.2**	**12,34,264**	**8,398**	**20,086**	**4,198**	**9,009**
1.	चंडीगढ़	16	22	0.2	23	14	5	1	12
2.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	हरियाणा	2,441	7,132	13.1	5,03,523	1,198	3,709	1,243	3,906
4.	हिमाचल प्रदेश	2,086	19,388	31.4	93,743	1,701	937	318	84
5.	जम्मू और कश्मीर	187	2,950	4.9	9,976	22	15	165	130
6.	पंजाब	3,978	12,428	15.0	4,16,652	2,403	3,595	1,171	1,574
7.	राजस्थान	4,772	33,068	4.1	2,10,347	3,060	11,825	1,300	3,303
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**3,535**	**35,546**	**3.9**	**6,40,096**	**600**	**7,841**	**867**	**10,253**
8.	अरुणाचल प्रदेश	31	3,649	–	5,64,249	20	25	6	8
9.	असम	809	23,422	0.6	7,533	309	7,639	419	9,909
10.	मणिपुर	186	–	35.0	45,904	–	–	108	201
11.	मेघालय	179	5,780	0.5	1,283	60	27	119	33
12.	मिज़ोरम	175	660	0.1	175	59	70	4	10
13.	नागालैंड	1,719	969	3.7	11,246	–	–	–	–
14	सिक्किम	166	166	–	146	56	6	37	4
15.	त्रिपुरा	270	900	0.3	9,560	96	75	174	89
	पूर्वी क्षेत्र	**28,830**	**271,438**	**11.2**	**9,10,708**	**10,971**	**3,517**	**16,455**	**7,742**
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप	46	204	0.4	638	7	1	37	4
17.	बिहार	5,936	45,098	1.0	44,337	1,168	520	3,953	64
18.	झारखंड	208	5,185	6.1	1,523	203	91	–	–
19.	उड़ीसा	3,860	43,303	58.8	4,96,403	1,415	1,290	2,352	4,757
20.	पश्चिमी बंगाल	18,780	177,648	4.7	3,67,807	8,178	1,615	10,113	2,918
	मध्य क्षेत्र	**15,381**	**193,562**	**4.5**	**5,72,972**	**7,401**	**9,041**	**5,080**	**14,718**
21.	छत्तीसगढ़	1,373	20,841	12.3	87,193	811	1,153	562	1,681
22.	मध्य प्रदेश	4,633	54,017	9.2	3,48,022	1,792	6,008	2,450	12,847
23.	उत्तराखंड	446	5,900	6.6	11,830	262	107	100	37
24.	उत्तर प्रदेश	8,929	112,804	0.8	1,25,927	4,536	1,774	1,968	153
	पश्चिमी क्षेत्र	**29,607**	**54,701**	**1.1**	**15,57,894**	**12,588**	**21219**	**16,266**	**47,458**
25.	गोवा	75	242	28.9	5,203	54	115	21	29
26.	गुजरात	8,487	16,997	2.1	5,29,421	5,027	3,763	2,880	3,487
27.	महाराष्ट्र	21,045	37,462	0.7	10,23,270	7,507	17341	13,365	43,941
	दक्षिणी क्षेत्र	**15,543**	**84,938**	**86.2**	**29,85,282**	**4,357**	**18,074**	**10,160**	**1,02,867**
28.	आंध्र प्रदेश	4,491	30,715	17.2	5,64,249	1,002	4,015	3,194	17,851
29.	कर्नाटक	4,911	34,069	20.9	4,70,393	1,732	4,621	2,811	8,239
30.	केरल1,600	1,556	562.9	11,31,095	772	4,807	762	8,224	
31.	पांडिचेरी	52	287	90.7	7,671	21	1	31	4
32.	तमिलनाडु	4,489	18,311	56.6	8,11,874	830	4,629	3,362	68,549
	अखिल-भारत कुल	**106,376**	**715,173**	**18.4**	**7,338,667**	**44,321**	**71936**	**53,050**	**192,048**

– : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : दादरा और नगर हवेली के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

स्रोत : नाफस्कोब।

ग्रामीण सहकारी बैंक - दीर्घकालीन ढांचा

ढांचा, विस्तार और वृद्धि

4.122 मार्च 2006 के अंत में दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे में 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा 696 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) थे। 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से (जिनकी 864 शाखाएं थी) शाखाओं के साथ 8 ऐकिक ढांचे थे और 12 संघीय या मिश्रित स्वरूप के थे। उन राज्यों में, जहां दीर्घकालीन ढांचा उपलब्ध नहीं था, वहां राज्य सहकारी बैंकों के प्रथक अनुभाग दीर्घ कालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केवल तीन राज्यों (असम, मणिपुर और त्रिपुरा) में ही दीर्घकालीन ढांचा उपलब्ध था। मार्च 2006 में परिचालनगत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) की संख्या, मार्च 2005 में 727 से घट कर 696 रह गई।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

परिचालन

4.123 वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्तियों/देयताओं में पिछले वर्ष के 3.8 प्रतिशत की तुलना में 1.4 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि हुई। देयताओं के पक्ष पर जमाराशियों की वृद्धि दर में अत्यधिक कमी आई जबकि उधार ली गई राशियों की दर में, जो कि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संसाधनों का मुख्य स्रोत हैं, आंशिक कमी दर्ज की गई। आस्ति पक्ष की ओर वर्ष 2004-05 में ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए निवेश संविभाग को खोलकर उपयोग करने की जो प्रवृत्ति देखी गई थी, वह रुक गई क्योंकि इस वर्ष राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने नए निवेश किए। परंतु 2005-06 के दौरान उनके द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों की वृद्धि दर घट गई (सारणी IV.30)।

वित्तीय कार्यसंपादन

4.124 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आय में तेजी से वृद्धि हुई और उनका व्यय पर्याप्त रूप से कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के परिचालनगत लाभ में बहुत वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान प्रावधानों और आकस्मिक खर्चों में भी कमी आई। वर्ष 2005-06 के दौरान एससीएआरडीबी के वित्तीय कार्य संपादन ने पलटा खाया और वर्ष 2004-05 के दौरान 163 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में वर्ष 2005-06 में 262 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया (सारणी IV.30)। परंतु 20 एससीएआरडीबी में से 8 ने हानि उठाई। असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लाभ की स्थिति में आ गए (परिशिष्ट सारणी IV.9)। वर्ष के दौरान निवल लाभ होने के परिणामस्वरूप, संचित हानियां मार्च 2005 के अंत में 1,098 करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2006 के अंत में 918 करोड़ रुपए रह गईं।

सारणी IV.30: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	791 (3.3)	801 (3.2)	3.6	1.3
2. रिज़र्व	2,165 (8.9)	2,354 (9.6)	-40.5	8.7
3. जमाराशियां	608 (2.5)	636 (2.6)	16.0	4.7
4. उधार	17,182 (70.8)	17,075 (69.4)	1.5	-0.6
5. अन्य देयताएं	3,525 (14.5)	3,738 (15.2)	131.0	6.0
कुल देयताएं /आस्तियां	**24,271 (100.0)**	**24,604 (100.0)**	**3.8**	**1.4**
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	360 (1.5)	365 (1.5)	-46.7	1.4
2. निवेश	1,867 (7.7)	1,885 (7.7)	-19.2	1.0
3. ऋण और अग्रिम	17,403 (71.7)	17,713 (72.0)	7.0	1.8
4. अन्य आस्तियां	4,641 (19.1)	4,641 (18.8)	12.2	0.0

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. रिजर्व में लाभ-हानि खाते के प्रावधान एवं जमा शेष शामिल हैं।
3. जम्मू और कश्मीर राज्य के आं कड़े 2004 से एवं मणिपुर के आं कड़े 2002 से दोहराए गए हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली कार्यसंपादन

4.125 वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्तियों में कुल मिलाकर और कुल ऋण संविभाग की तुलना में दोनों में ही वृद्धि जारी रही। यद्यपि वृद्धि की यह दर धीमी थी। परंतु वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों में वृद्धि पूरी तरह से 'अवमानक श्रेणी' में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के कारण थी। 'संदिग्ध' और 'हानि' श्रेणी में अनर्जक आस्तियों में वर्ष के दौरान कमी आई। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में वसूली कार्यसम्पादन में अत्यधिक भिन्नता परिलक्षित हुई। परंतु समग्र रूप से वसूली कार्यसम्पादन में वर्ष के दौरान सुधार हुआ। अनर्जक आस्तियों

सारणी IV.31: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**2,145 (100.0)**	**2,369 (100.0)**	**3.0**	**10.5**
i) ब्याज आय	2,100 (97.9)	2,269 (95.8)	2.5	8.0
ii) अन्य आय	45 (2.1)	101 (4.3)	28.2	124.3
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,308 (100.0)**	**2,107 (100.0)**	**4.8**	**-8.7**
i) व्यय किया गया ब्याज	1,371 (59.4)	1,335 (63.4)	-5.0	-2.6
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	727 (31.5)	531 (25.2)	31.9	-27.0
iii) परिचालन व्यय	209 (9.1)	241 (11.4)	1.5	15.2
जिसमें: वेतन बिल	165 (7.2)	181 (8.6)	1.9	9.7
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	564	793	30.4	40.5
ii) निवल लाभ	-162.6	262.1	36.6	-261.2
घ. कुल आस्तियां	**24,271**	**24,604**	**3.8**	**1.4**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल से प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. जम्मू तथा कश्मीर के आंकड़े 2003-04 से एवं मणिपुर के आंकड़े 2001-02 से दोहराए गए हैं।
3. राज्यों में रासकृग्रावि बैंकों के लिए वर्ष 2005-06 के लिए आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
4. आंकड़ा स्रोतों की भिन्नता के कारण आंकड़े परिशिष्ट सारणी IV.9 से भिन्न हो सकते हैं।
5. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के दौरान प्रावधानीकरण की अपेक्षा और किए गए प्रावधान में वृद्धि हुई (सारणी IV.29)।

क्षेत्रीय आयाम

4.126 11 राज्यों में परिचालनरत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने लाभ कमाया और 8 राज्यों में उक्त बैंकों ने हानि उठाई (1 राज्य के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी)। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा कमाए जाने वाले लाभ में चार राज्यों (राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश) में वर्ष के

सारणी IV.32: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण				
कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	**5,437 (100.0)**	**5,786 (100.0)**	**25.4**	**6.4**
i) अवमानक	3,288 (60.5)	3,758 (65.0)	25.0	14.3
ii) संदिग्ध	2,129 (39.2)	2,011 (34.8)	26.2	-5.5
iii) हानि आस्तियां	20 (0.4)	17 (0.3)	0.0	-16.9
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**31.2**	**32.7**		
ज्ञापन मदें:				
i) मांग की तुलना में वसूली	44	47		
ii) अपेक्षित प्रावधान	1,024	1445	22.9	41.1
iii) किया गया प्रावधान	1,097	1573	31.8	43.4

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

दौरान सुधार आया, जबकि चार राज्यों (पंजाब, असम, गुजरात और केरल) में लाभों में कमी आई। तीन राज्यों (हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी) में तीन राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने वर्ष 2004-05 के दौरान हुए निवल लाभ की तुलना में इस वर्ष हानियां उठाई और इस प्रकार उनका कार्यसंपादन इस वर्ष के दौरान और खराब रहा। हरियाणा, त्रिपुरा और बिहार में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा उठाई गई हानियाँ इस वर्ष और बढ़ गई जबकि उड़ीसा तथा जम्मू और कश्मीर में इन हानियों में कमी आई (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

4.127 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में विभिन्न राज्यों में मार्च 2006 के अंत में अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां शून्य (पंजाब) से 100 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। चार अन्य राज्यों (उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और केरल) में अनर्जक आस्तियां 20 प्रतिशत से कम थीं। छह राज्यों (असम, मणिपुर, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) में अनर्जक आस्तियों का अनुपात 50.0 प्रतिशत से अधिक था। वसूली के अनुपात में भी 1.9 प्रतिशत (बिहार) से 94.1 (पंजाब) प्रतिशत तक की बहुत भिन्नता थी। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की औसत वसूली, वर्ष 2004-05 के दौरान 44.00 प्रतिशत की कुल मांग से वर्ष 2005-06 के दौरान बढ़कर 47.3 प्रतिशत हो

गई। 12 राज्यों में वसूली की दर 50 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

परिचालन

4.128 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्तियों / देयताओं में वर्ष 2005-06 के दौरान मध्यम वृद्धि हुई। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की भांति, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने निधियों की अपनी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति उधारियों से की जो वर्ष के दौरान मध्यम रूप से बढ़ीं। परंतु निधियों के एक दूसरे स्रोत - उनकी प्रारक्षित राशियों में पिछली वर्ष की प्रवृत्ति को उलटते हुए तेजी से वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष में निवेशों में कमी आई और ऋण एवं अग्रिमों में आंशिक वृद्धि हुई (सारणी IV.33)।

सारणी IV.33: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	920 (4.5)	922 (4.3)	0.7	0.2
2. रिजर्व	2,196 (10.8)	2,665 (12.5)	-25.4	21.4
3. जमाराशियां	364 (1.8)	382 (1.8)	-7.8	4.9
4. उधार	12,750 (62.5)	13,066 (61.2)	7.3	2.5
5. अन्य देयताएं	4,184 (20.4)	4,330 (22.5)	23.6	3.5
कुल देयताएं / आस्तियां	**20,413 (100.0)**	**21,365 (100.0)**	**4.6**	**4.7**
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	209 (1.0)	224 (1.1)	-9.2	7.3
2. निवेश	804 (3.9)	778 (3.6)	3.1	-3.3
3. ऋण और अग्रिम	12,622 (61.9)	12,740 (59.6)	11.6	0.9
4. अन्य आस्तियां	6,778 (33.2)	7,623 (35.7)	-5.8	12.5

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल से प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. आरक्षित निधि में लाभ-हानि खाते के प्रावधान और ऋण शेष शामिल हैं।
3. तमिलनाडु और केरल राज्य के प्रासकृग्राबि बैंक के आंकड़े 2005- 06 के लिए पिछले वर्ष स दोहराए गए हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं

स्रोत : नाबार्ड।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.129 2005-06 के दौरान पीसीएआरडीबी के वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट आयी। पीसीएआरडीबी की निवल ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। व्यय पक्ष में, वर्ष के दौरान परिचालनगत व्यय को भी नियंत्रित रखा गया। तथापि, ब्याजेतर आय में आयी तीव्र गिरावट के फलस्वरूप परिचालन लाभ में तीव्र गिरावट आयी। प्रावधानों और आकस्मिकताओं में तेज वृद्धि के साथ इसके जुड़ने के फलस्वरूप 2004-05 के निवल लाभ की तुलना में 2005-06 के दौरान निवल घाटा हुआ। 2005-06 में, 331 पीसीएआरडीबी ने 328 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जबकि हानिग्रस्त 194 पीसीएआरडीबी ने 411 करोड़ रुपए की हानि उठायी। समग्र हानि में वृद्धि के कारण मार्च 2005 के अंत के 2,475 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2006 के अंत में पीसीएआरडीबी की संचित हानियां बढ़कर 2,672 करोड़ रुपए हो गईं (सारणी IV.34, परिशिष्ट सारणी IV.10)।

आस्ति की गुणवत्ता और वसूली कार्यनिष्पादन

4.130 कुल ऋणों और अग्रिमों की समग्र राशि तथा प्रतिशत दोनों ही रूपों में पीसीएआरडीबी की समग्र अनर्जक आस्तियों में 2005-06 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी। 'अवमानक' आस्ति श्रेणी की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि देखी गयी, जबकि 'संदिग्ध' और 'हानि' आस्ति की श्रेणी की अनर्जक आस्तियों में गिरावट दर्ज की गयी। समस्त तथा अधिकांश राज्यों के वसूली कार्यनिष्पादन में भी गिरावट देखी गयी। वर्ष के दौरान प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं में गिरावट देखी गयी। फलस्वरूप किये गये प्रावधानों में भी कुछ गिरावट देखी गयी। पिछले वर्ष की तरह, किये गये प्रावधान, प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा से अधिक थे (सारणी IV.35)।

क्षेत्रीय आयाम

4.131 12 राज्यों में कार्यरत 696 पीसीएआरडीबी में से 525 के बारे में ही सूचना उपलब्ध है । जहां 331 पीसीएआरडीबी ने लाभ कमाया वहीं 194 घाटे में रहे। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में कोई भी पीसीएआरडीबी लाभ नहीं कमा रही थी (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

4.132 मार्च 2006 के अंत में सभी राज्यों में पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियों का अनुपात 20.0 प्रतिशत से अधिक रहा। पंजाब में कार्यरत पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियों का अनुपात सबसे कम (21.1 प्रतिशत) था तथा तमिलनाडु में यह अनुपात सबसे अधिक (69.9 प्रतिशत) था। उड़ीसा और महाराष्ट्र में कार्यरत पीसीएआरडीबी की अनर्जक आस्तियां 40 प्रतिशत से अधिक थीं जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल

सारणी IV.34: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद			प्रतिशत घटबढ़	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**2,345**	**2,123**	**30.8**	**-9.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) ब्याज आय	1,465	1,690	-0.4	15.4
	(62.5)	(79.6)		
ii) अन्य आय	880	433	174.2	-50.8
	(37.5)	(20.4)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**1,986**	**2,232**	**-3.1**	**12.4**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) व्यय किया गया ब्याज	1,130	1,239	-1.3	9.6
	(56.9)	(55.5)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	545	698	-10.9	28.1
	(27.5)	(31.3)		
iii) परिचालन व्यय	311	295	6.4	-5.1
	(15.6)	(13.2)		
जिसमें से: वेतन बिल	204	205	0.1	0.5
	(10.3)	(9.2)		
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	904	589	155.4	-34.8
ii) निवल लाभ	359	-109	-239.2 *	-130.3
घ. कुल आस्तियां	**20,413**	**21,365**	4.6	4.7

*: 2003-04 के दौरान 258 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल से प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 2005-06 के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
3. अलग-अलग आंकड़ा स्रोत के कारण आंकड़े सारणी परिशिष्ट IV-10 के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं ।

स्रोत : नाबार्ड।

में यह 30 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट सारणी IV.10)। तीन राज्यों (हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु) में पीसीएआरडीबी की औसत वसूली कुल मांग के 60 प्रतिशत से अधिक थी। सात और राज्यों (पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और केरल) में पीसीएआरडीबी की वसूली दर 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच रही। शेष दो राज्यों (हरियाणा और महाराष्ट्र) में वसूली की दरें 40 प्रतिशत से नीचे थीं (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

सारणी IV.35: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां	**4,056**	**4,554**	**1.0**	**12.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) अवमानक	2,161	2,635	3.9	21.9
	(53.3)	(57.9)		
ii) संदिग्ध	1,845	1,873	-2.4	1.5
	(45.5)	(41.1)		
iii) हानि आस्तियां	50	46	6.4	-8.0
	(1.2)	(1.0)		
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**32.1**	**35.7**		
ज्ञापन मदें:				
ग. मांग की तुलना में वसूली	**54**	**48**		
घ. अपेक्षित प्रावधान	**872**	**745**	**-7.6**	**-14.6**
ङ. किया गया प्रावधान	**910**	**786**	**-3.5**	**-13.6**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
स्रोत : नाबार्ड।

4. व्यष्टि वित्त (माइक्रो फाइनांस)

4.133 राष्ट्रीकरण के बाद के युग में, भारत में बैंकिंग प्रणाली में अप्रत्याशित वृद्धि हुई तथा इसकी उपलब्धियां अपूर्व रहीं। इसके बावजूद, 1980 के दशक के प्रायोगिक अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि बड़ी संख्या में सर्वाधिक गरीब जनता औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की पहुँच से परे बनी हुई है। यह महसूस किया गया कि वर्तमान बैंकिंग नीतियां, प्रणाली और प्रक्रियाएं तथा जमाराशियां एवं ऋण उत्पाद गरीब जनता की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी करने के उपयुक्त नहीं थे। बैंक और गरीब जनता दोनों के लिए कम खर्चीली तथा अनुकूल अनुपूरक ऋण सुपुर्दगी प्रणाली विकसित करने के लिए वर्तमान बैंकिंग प्रणाली के अलावा व्यष्टि-वित्त पहल को भारत में प्रोत्साहित किया गया। ये पहल दो मॉडल अर्थात स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम और व्यष्टि वित्त संस्थाओं के मॉडल पर केंद्रित हैं।

स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम

4.134 स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम को 1989 में कार्रवाई अनुसंधान परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। परियोजना के निष्कर्ष से 1992 में प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी जिसमें रिज़र्व बैंक से नीतिगत समर्थन मिला। प्रायोगिक परियोजना को तीन एजेंसियों अर्थात स्वयं सहायता समूह, बैंक

और गैर-सरकारी संगठनों के बीच भागीदारी मॉडल के रूप में अभिकल्पित किया गया। स्वयं सहायता समूह से ऐसी अपेक्षा की गयी कि गरीब द्वारा सामूहिक निर्णय लेने को सुकर बनाया जाए तथा 'डोरस्टेप बैंकिंग' की सुविधा दी जाए। ऋण के थोक विक्रेता के रूप में बैंकों को संसाधन उपलब्ध कराया जाना था, जबकि गैर सरकारी संगठनों को गरीबों को संगठित करने, उनको सक्षम बनाने और उन्हें सशक्त करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने की एजेंसी के रूप में कार्य करना था।

4.135 उक्त कार्यक्रम देशभर के 500 स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने की प्रायोगिक परियोजना से काफी आगे बढ़ गया है। उसने गरीबों के लिए बैंकिंग के मुख्य कार्यक्रम के रूप में अपनी क्षमता साबित की है, जिसमें मुख्यतः सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, शिल्पी और कारीगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फेरीवाले और विक्रेता जैसे छोटे कारोबार में संलग्न अन्य लोग शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य फायदे हैं - बैंकों को ऋणों की समय पर चुकौती, गरीबों और बैंकों दोनों की लेनदेन लागत में कटौती, गरीबों के लिए दहलीज़ पर 'बचत और ऋण' की सुविधा तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपयोग न की गयी व्यावसायिक संभावना का दोहन। यह एक व्यापक पहुँच वाले कार्यक्रम के रूप में शुरू हुए इस कार्यक्रम का लक्ष्य न सिर्फ मितव्ययिता और ऋण को बढ़ावा देना था अपितु इसने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति भी काफी योगदान दिया।

2006-07 के दौरान प्रगति

4.136 स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में व्यष्टि वित्त के प्रमुख मॉडल के रूप में बना रहा। 2006-07 के दौरान, 686,408 नये स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ ऋण से संबद्ध किया गया और इस प्रकार ऋण संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 2.92 मिलियन हो गयी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 457,410 मौजूदा स्वयं सहायता समूहों को पुनः वित्त प्राप्त हुआ। 2006-07 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को वितरित बैंक ऋण की मात्रा 6,643 करोड़ रुपए थी और इस प्रकार मार्च 2007 तक स्वयं सहायता समूहों को वितरित संचयी बैंक ऋण रुपए 18,041 करोड़ हो गया। कार्यक्रम की अपूर्व व्यापकता के कारण 41 मिलियन से अधिक गरीब घरों को औपचारिक बैंकिंग तंत्र से व्यष्टि वित्त प्राप्त हुआ जिससे 2005-06 की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी (सारणी IV.36)।

4.137 2006-07 के दौरान, नाबार्ड ने पहचान किये गये 13 प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में, जिनमें अधिकांश ग्रामीण गरीब रहते हैं, नामतः उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को तेज किया। तदनुसार, इन राज्यों में त्वरित गति से कार्यक्रम का विस्तार हुआ, जो दक्षिण क्षेत्र में आरंभिक स्थानीकरण से उल्लेखनीय बदलाव का

सारणी IV.36: स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	बैंकों द्वारा वित्तपोषित कुल स्वयं सहायता समूह (संख्या हजारों में)		बैंक ऋण		पुनर्वित्त	
	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी
1	2	3	4	5	6	7
1992-99	33	33	57	57	52	52
1999-00	82	115	136	193	98	1507
	(147.9)	(247.9)	(138.1)	(238.1)	(88.6)	(188.6)
2000-01	149	264	288	481	251	401
	(82.3)	(129.9)	(112)	(149.2)	(155.5)	(167.0)
2001-02	198	461	545	1,026	396	796
	(32.6)	(74.9)	(89)	(113.4)	(57.9)	(98.8)
2002-03	256	717	1,022	2,049	622	1,419
	(29.5)	(55.4)	(87)	(99.6)	(57.2)	(78.1)
2003-04	362	1079	1,856	3,904	706	2,125
	(41.4)		(81)	(90.6)	(13.4)	(49.7)
2004-05	539	1,618	2,994	6,898	968	3,092
	(49.1)	(50.0)	(61)	(76.7)	(37.1)	(45.5)
2005-06	620	2,239	4,499	11,398	1,068	4,160
	(15.0)	(38.3)	(50.3)	(65.2)	(10.3)	(34.5)
2006-07	686	2,924	6,643	18,041	1,299	5,459
	(11.0)	(30.6)	(47.6)	(58.3)	(21.6)	(31.2)

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
2. 2006-07 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.37: स्वयं सहायता समूहों की ऋण संबद्धता में क्षेत्रवार वृद्धि

क्षेत्र	ऋण संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या				ऋण संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या			
	2000-01		मार्च 2001 के अंत में संचयी		2006-07		मार्च 2007 के अंत में संचयी	
	संख्या	कुल में हिस्सा	संख्या	कुल में हिस्सा	संख्या	कुल में हिस्सा	संख्या	कुल में हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी	4,221	3.0	9,012	3.4	48,921	7.1	182,018	6.3
पूर्वोत्तर	160	0.1	477	0.2	29,237	4.2	91,754	3.1
पूर्वी	11,057	7.9	22,252	8.4	131,530	19.2	525,881	17.8
मध्य	8,631	6.2	28,851	10.9	64,814	9.5	332,729	11.4
पश्चिमी	6,911	4.9	15,543	5.9	104,193	15.2	270,447	9.3
दक्षिण	109,218	77.9	187,690	71.2	307,713	44.8	1,522,144	52.0
कुल	**140,198**	**100.0**	**263,825**	**100.0**	**686,408**	**100.0**	**2,924,973**	**100.0**

टिप्पणी : 2006-07 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

संकेत है। दक्षिणेतर क्षेत्रों का संचयी भाग मार्च 2001 के अंत के 29 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 48 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.37)।

4.138 बैंकों के स्वयं सहायता समूह संविभाग में लेनदेन की कम लागत और अनर्जक आस्तियों के प्रायः शून्य स्तर ने स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम को बैंकों के लिए उपयोगी वाणिज्यिक प्रस्ताव बना दिया है। विभिन्न एजेंसियों के सापेक्ष्य हिस्से के रूप में, वाणिज्यिक बैंक ऋण संबद्ध तथा ऋण संवितरित स्वयं सहायता समूहों दोनों की संख्या के रूप में अगुआ बने हुए हैं। यद्यपि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थान बैंकों के बाद दूसरा है, कुल में उनका हिस्सा हाल के वर्षों में गिरा है। ऋण संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या के रूप में सहकारी बैंकों का हिस्सा 14 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा तथा वर्ष के दौरान संवितरित ऋण में उनके हिस्से में गिरावट आयी (सारणी IV.37)।

4.139 लगभग 2.9 मिलियन स्वयं सहायता समूहों में से, एक मिलियन से अधिक परिपक्व स्वयं सहायता समूह हैं तथा उन्होंने बैंकिंग तंत्र से कई ऋण प्राप्त किये है। ऐसे परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को व्यष्टि उद्यम लेने में सक्षम बनाना विकास की योजना बनाने वालों के लिए चुनौती है। 2005-06 में नाबार्ड ने कुशलता को अपग्रेड करने तथा परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए धारणीय जीविका का विकास करने के लिए एक केंद्रित और स्थान-विशिष्ट उद्यम विकास कार्यक्रम शुरू किया। 2006-07 में, स्वयं सहायता समूह के 7,579 सदस्यों को शामिल करते हुए 297 व्यष्टि उद्यम विकास कार्यक्रम शुरू किये गये। जिन व्यष्टि उद्यमों के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया उनमें बकरी पालन, कुकुरमुत्ते की खेती, पापड़, अगरबत्ती बनाने, मोमबत्ती बनाने, जूट उत्पाद बनाने जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

4.140 पिछले वर्षों में स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम के तहत उभरे तीन मॉडलों में से, स्वयं सहायता समूहों के लगभग 81.1 प्रतिशत को मॉडल II के तहत बैंकों द्वारा वित्तपोषित किया गया, जिसमें गैर सरकारी संगठन और सरकारी एजेंसियां शामिल थीं (सारणी IV.39)।

4.141 नाबार्ड ने भी 2005-06 के दौरान परिपक्व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच व्यष्टि उद्यमों के संवर्धन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की। यह प्रायोगिक परियोजना नौ जिलों में लागू की जा रही है जो नौ राज्यों में फैले हैं। 'व्यष्टि उद्यम संवर्धन एजेंसी' के रूप में कार्यरत चौदह गैर सरकारी संगठन नयी दिल्ली आधारित 'विपणन और अनुसंधान दल' नामक संगठन के तकनीकी दिशा-निर्देश के तहत प्रायोगिक परियोजना को लागू कर रहे हैं। 2006-07 के दौरान, 'व्यष्टि उद्यम संवर्धन एजेंसी' ने जिलों का ब्यौरेवार सर्वेक्षण पूरा किया। सर्वेक्षण ने विशिष्ट तौर पर उन मौजूदा अवसरों तथा कृषि एवं कृषीतर कार्यकलापों के लिए आपूर्ति एवं मांग के स्वरूप की पहचान की, जिन्हें पहचान किये गये परियोजना क्षेत्र में धारणीय आय के लिए परियोजना के आधार पर लिया जा सके। सर्वेक्षण के विश्लेषण के अलावा, सहभागिता प्रक्रियाओं और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परामर्श से उपयुक्त कार्यकलापों की पहचान शुरू की गयी। स्वयं सहायता समूह के अभिज्ञात सदस्यों के साथ चर्चा और परामर्श के बाद तथा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 'व्यष्टि उद्यम संवर्धन एजेंसी' द्वारा कार्रवाई योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। कौशल को अपग्रेड करने तथा बाजार में उत्पादों की बेहतर स्वीकार्यता के लिए व्यष्टि उद्यम विशिष्ट प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है। अब तक 14 स्वयं सहायता समूहों में से चार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है और 31.19 लाख रूपए की सहायता से 141 माइक्रो एंटरप्राइज स्थापित किए जा चुके हैं।

सारणी IV.38: संबद्धता स्थिति - एजेंसी वार*
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या (हजार में)				संवितरित बैंक ऋण			
	2005-06	2006-07	प्रतिशत घटबढ़		2005-06	2006-07	प्रतिशत घटबढ़	
			2005-06	2006-07			2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्यि बैंक	1,188 (53.0)	1,595 (55.0)	40.9	34.3	6,988 (61.0)	11,397 (63.0)	68.0	63.09
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	740 (33.0)	911 (31.0)	31.2	23.1	3,322 (29.0)	5,031 (28.0)	58.2	51.4
सहकारी बैंक	310 (14.0)	418 (14.0)	46.9	34.8	1,087 (10.0)	1,597 (9.0)	69.8	46.9
अन्य	271 (12.1)	–	–	–	0.52 (0.005)	15 (0.1)	–	–
कुल	**2,239 (100.0)**	**2,924 (100.0)**	**38.4**	**30.6**	**11,398 (100.0)**	**18,040 (100.0)**	**65.2**	**58.3**

*: अवधि के अंत की संचयी स्थिति।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल से प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

व्यष्टि वित्त संस्था-बैंक संपर्क

4.142 देश में व्यष्टि वित्त संस्थाएं विभिन्न कानूनी प्ररूपों में कार्य कर रही हैं। इन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है (i) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी; (ii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882/ सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1920 अथवा धार्मिक एवं धर्मादा सार्वजनिक न्यासों से संबंधित किसी राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास; (iii) राज्य सहकारी समिति अधिनियम अथवा प्राथमिक सहायता प्राप्त या परस्पर लाभ वाली सहकारी समिति अधिनियम बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 या भारत में प्रवृत्त सहकारी समिति संबंधी किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समिति; (iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत और रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण से विशेष रूप से छूट प्राप्त अलाभकारी कंपनी; और (v) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एवं रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी।

4.143 वित्त मंत्री ने 2005-06 के बजट भाषण में इशारा किया था कि सरकार बड़े पैमाने पर व्यष्टि वित्त संस्थाओं को संवर्धित करना चाहती है। तदनुसार नाबार्ड के पास रखी गयी 'व्यष्टि वित्त विकास निधि' को 'व्यष्टि-वित्त विकास और ईक्विटी निधि' के रूप में पुनर्नामित किया गया तथा इसकी मूल निधि को रुपए 100 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 200 करोड़ कर दिया गया।

4.144 2006-07 में, व्यष्टि वित्त संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा बैंकों के साथ व्यष्टि वित्त संस्थाओं के संपर्क के संवर्धन के प्रयास किये गये। व्यष्टि वित्त संस्थाओं की रेटिंग के लिए बैंकों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने की योजना को व्यापक आधार प्रदान करते हुए मार्च 2008 तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, 'एमएफडीईएफ से व्यष्टि वित्त संस्थाओं के पूँजी/ईक्विटी समर्थन' नामक योजना प्रारंभ की गयी ताकि व्यष्टि वित्त संस्थाएं बैंकों से वाणिज्यिक और अन्य निधियां प्राप्त करने के लिए पूँजी/ ईक्विटी को उत्तोलित (लीवरेज) कर सकें। वर्ष के दौरान तीन व्यष्टि वित्त संस्थाओं को 3 करोड़ रुपए तक का पूँजीगत समर्थन प्रदान किया गया।

4.145 साथ ही, व्यष्टि वित्त क्षेत्र की व्यवस्थित वृद्धि के संवर्धन के लिए नाबार्ड ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से व्यष्टि वित्त क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007 तैयार किया। उक्त विधेयक लोकसभा में 20 मार्च 2007 को पेश किया गया। इसे आगे के विचार-विमर्श के लिए संसद की 'स्थायी समिति' के हवाले किया गया है।

4.146 व्यष्टि वित्त प्रणाली को सुधारने तथा इसकी पहुँच को व्यापक बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के बावजूद, प्रणाली को वर्तमान में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (बॉक्स IV.4)।

बॉक्स IV.4 : व्यष्टि वित्त : भविष्य की चुनौतियां और रणनीति

व्यष्टि वित्त गरीबों के जीवन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसने उनकी आय के स्तर में उचित वृद्धि तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार के लिए कार्य किया है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन और अंतर्वेशक वृद्धि के संवर्धन में व्यष्टि वित्त द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा किये जाने की आशा है । तथापि, अभी भी गरीब जनता की ऋण की मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर है। कुछ अनुमानों के अनुसार : भारत में गरीब जनता का ऋण-समर्थन लगभग 4,50,000 करोड़ रुपए आँका गया है। कुछ व्यष्टि स्तरीय अध्ययन यह बताते हैं कि गरीब जनता आज भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर बनी हुई है जो घरेलू मांग के 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है। तथापि व्यष्टि वित्त प्रणाली के सामने कई चुनौतियां हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन : स्वयं सहायता समूहों का दक्षिण क्षेत्र के पक्ष में विषम वितरण है। तथापि, दक्षिणेतर राज्यों में स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और ऋण संपर्क में हुई तीव्र प्रगति के कारण हाल के वर्षों में दक्षिणी राज्यों की प्रमुखता में गिरावट आयी है। तथापि, देश में कुल स्वयं सहायता समूह ऋण संपर्कों का 50 प्रतिशत से अधिक दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तथापि, जिन राज्यों में गरीबों का हिस्सा अधिक है, उनमें व्याप्ति अपेक्षाकृत कम है।

स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता : आय की धारणीयता स्वयं सहायता समूह की गुणवत्ता पर निर्भर है। अतः, स्वयं सहायता समूह की गुणवत्ता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। स्वयं सहायता समूह- बैंक संपर्क कार्यक्रम की तीव्र वृद्धि के कारण उनकी गुणवत्ता दबाव में आ गयी है। स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं (i) समूहों के संवर्धन में कुछ सरकारी विभागों का लक्ष्य अभिमुख दृष्टिकोण; (ii) धारणीय आधार पर पोषण करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अपर्याप्त प्रोत्साहन; तथा (iii) अपने समूह का प्रबंधन करने में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के कौशल का निम्न स्तर।

कार्यक्रम की शक्ति इस तथ्य से उद्भूत होती है कि सरकार प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यक्रम के तहत ऋण की तुलना में कार्यक्रम के तहत ऋण की वसूली का स्तर काफी अधिक है। तथापि, वसूली का स्तर उच्चतर बनाये रखने के लिए स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता काफी महत्त्वपूर्ण है।

स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं, बैंकों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण : कार्यक्रम की सफलता गुणवत्ता समूहों के संवर्धन में स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं द्वारा अदा की गयी भूमिका तथा बैंक ऋण की आसान असुविधा रहित मुक्त रूप से उपलब्धता पर निर्भर है। बदले में, गुणवत्ता समूहों का संवर्धन स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं की आंतरिक शक्तियों - प्रबंधकीय और वित्तीय पर निर्भर है। अतः, जिला स्तर पर गुणवत्ता संसाधन केंद्रों के अभाव और कार्यक्रम कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न कर्मिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के बारे में पर्याप्त कद्र की कमी के कारण विभिन्न पण धारियों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये क्षमता निर्माण एक चुनौती है।

ऋण से उद्यम की ओर अनुक्रम : अधिक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि स्वयं सहायता समूहों को निम्नलिखित के लिए प्रेरित किया जाए- उद्यम के परिपक्व स्तरों की ओर अनुक्रम, जीविका का विशाखीकरण, आपूर्ति श्रृंखला तक बढ़ी हुई पहुँच, पूँजी बाजार से संपर्क तथा उपयुक्त उत्पादन और अभिसंस्करण प्रौद्योगिकी।

स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के लिए जरूरी है कि स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय व उद्यम की स्थापना के लिए गैर-वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए समर्थ बनाया जाए। तथापि, इस क्षेत्र में अधिक अर्थक्षम और धारणीय जीविकाएं नहीं हैं। उसने समूहों को विकृत बना दिया है, अर्थात ऋण संपर्क के आरंभिक कुछ दौरों के बाद पुराने स्वयं सहायता समूह बैंकों से ऋण नहीं ले रहे हैं। व्यष्टि उद्यम संवर्धन का कार्य आत्मविश्वास, निवेश की योग्यता तथा समूहों के बीच असमान होने से बाजार के अवसरों तक अभिगम जैसे कारकों के कारण और अधिक संयोजित हो गया है।

स्वयं सहायता समूह संघों का उदय : हाल में, कई स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं ने स्वयं सहायता समूहों का संघ बनाना शुरू कर दिया है ताकि उनके कुछ कार्य उनके द्वारा कम खर्चीले और धारणीय रूप में किये जा सकें। तथापि, संघ निर्माण क्षमता के प्रति कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये हैं। ऐसा कोई स्थापित मॉडल नहीं है जिसे पूरे देश में प्रतिकृत किया जा सके।

स्वयं सहायता समूह संघों का उदय सौदेबाजी की सामूहिक शक्ति और किफायत के योग को दर्शाता है। वे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को हल करने के मंच हैं। तथापि, हर अतिरिक्त स्तर उसकी लागत को बढ़ाता है और इस प्रकार प्राथमिकताओं को कमजोर बनाता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संघों की गुणवत्ता अच्छी हो। संघों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह का संघ बनाने के काम में लगी हुई निगरानी संस्थाओं द्वारा सावधानी बरते जाने की जरूरत है। पहला स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता के आधार पर संघ विकसित किये जाने चाहिए तथा समूह को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वह संघ में शामिल हो या नहीं। दूसरा, संघों को सदस्य-स्वामित्व वाली, सदस्य-संचालित संस्थाओं के रूप में विकसित किये जाने की जरूरत है ताकि वे अपने घटकों - स्वयं सहायता समूह - की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक रूप में कार्य कर सकें। तीसरा, संघों की प्रक्रिया एवं प्रणाली को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाए ताकि ये संघ प्रवर्तक पर हमेशा के लिए निर्भर न रहें तथा उचित अवधि के भीतर स्वयं प्रबंधित बन जाएं।

ऋण वितरण की ऊंची लागत : ऋण की कम मात्रा और आकार तथा निधियों की लागत के कारण वित्तीय सेवा प्रदान करने के अर्थ में व्यष्टि वित्त संस्था मॉडल तुलनात्मक रूप में मँहगा है। काफी संख्या में व्यष्टि वित्त संस्थाएं सब्सिडी पर निर्भर रहती हैं तथा कुछ व्यष्टि वित्त संस्थाएं ही अपनी लागत के 80 प्रतिशत से अधिक को कवर कर पाती हैं। उनके द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की उच्च दर चिंता का विषय बन गयी है। जहाँ इस पर सहमति है कि व्यष्टि वित्त संस्थाओं द्वारा दी गयी सेवाओं की लागत अधिक है, वहीं ब्याज दर की निचली सीमा जिसे व्यष्टि वित्त संस्थाओं द्वारा प्रभारित करने की अनुमति दी जाए, के बारे में सहमति नहीं है। अतः उन्हें अपनी वित्तीय सेवाओं का दायरा और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी ताकि वे गरीब जनता द्वारा वहन किये जा सकने योग्य लागत पर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।

व्यष्टि वित्त संस्थाओं का क्षमता निर्माण: व्यष्टि वित्त संस्थाओं तथा उनके प्राथमिक पणधारियों की क्षमताओं का निर्माण किये बिना लचीली, ग्राहक संचालित और नयी व्यष्टि वित्त सेवाओं की गरीबों तक सफल सुपुर्दगी संभव नहीं होगी। समय की मांग है - सामाजिक मध्यस्थता, रणनीतिक संपर्कों जैसे विभिन्न पहलुओं में नवीनता लाना तथा गरीबों की जीविका के मुद्दों पर केंद्रित नया दृष्टिकोण तथा उनके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय उत्पादों की री-इंजीनियरिंग।

भविष्य की रणनीति : पिछले वर्षों में स्वयं सहायता समूह - बैंक संपर्क कार्यक्रम की अपूर्व वृद्धि के बावजूद, समाज का एक बड़ा भाग ऐसा है जिसकी पहुँच वित्तीय सेवाओं तक नहीं है। एक अनुमान द्वारा ऐसा सुझाया गया है कि कम आय समूह वाली सिर्फ 20 प्रतिशत जनता को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार वित्तीय सुविधा से वंचित जनता को समविष्ट करने के लिए वित्तीय सेवाओं की व्याप्ति, पहुँच और पैमाने को व्यापक बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

5. नाबार्ड और सहकारी क्षेत्र

4.147 नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को एक विकास बैंक के रूप में निम्नलिखित कार्य करने के लिए की गयी - (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के विभिन्न कार्य करने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शीर्ष वित्तीय एजेंसी का काम करना; (ii) निगरानी, पुनर्वास योजना के निर्माण, ऋण संस्थाओं के पुनर्विन्यास और कार्मिक प्रशिक्षण सहित ऋण सुपुर्दगी प्रणाली की अवशोषक क्षमता में सुधार लाने के लिए संस्था निर्माण के उपाय करना; (iii) क्षेत्र स्तर पर विकासात्मक कार्य में संलग्न सभी संस्थाओं के ग्रामीण वित्तपोषण संबंधी कामकाज में समन्वय करना तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, रिज़र्व बैंक तथा नीति निर्माण से संबद्ध अन्य राज्यस्तरीय संस्थाओं से संपर्क करना; और (iv) इसके द्वारा पुनर्वित्तपोषित परियोजनाओं पर निगरानी और उनका मूल्यांकन।

4.148 नाबार्ड का पुनर्वित्त राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्य बैंकों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध है, जबकि निवेश ऋण के अंतिम लाभार्थी व्यक्ति, भागीदारी संस्थाएं, कंपनियां, राज्य के स्वामित्व वाले निगम या सहकारी समिति होंगे। उत्पादन ऋण सामान्यतः व्यक्तियों को दिया जाता है।

नाबार्ड के संसाधन

4.149 2005-06 तक, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4ङ) के तहत नाबार्ड को दो सामान्य ऋण व्यवस्था दी ताकि वह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अल्पावधि अपेक्षाएं पूरी कर सके। 2005-06 (जुलाई-जून) के दौरान, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराने हेतु 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 3,000 करोड़ रुपए की सामान्य ऋण व्यवस्था स्वीकृत की गयी।। तथापि, नाबार्ड को 31 दिसंबर 2006 तक आहरणों तथा चुकौती के लिए 2005-06 के लिए स्वीकृत सामान्य ऋण व्यवस्था सीमा को परिचालित करने की अनुमति दी गयी। चूँकि 31 दिसंबर 2006 के बाद सीमा उपलब्ध नहीं थी अतः नाबार्ड को सूचित किया गया कि वह पर्याप्त राशि के लिए नियमित आधार पर बाजार में जाने पर विचार करे ताकि सामान्य ऋण व्यवस्था के आहरण के लिए दी गयी समयसीमा का अनुपालन हो सके। तदनुसार 31 जनवरी 2007 को पूर्ण बकाया राशि की चुकौती रिज़र्व बैंक को कर दी गयी।

4.150 2006-07 में नाबार्ड को संसाधनों की निवल वृद्धि 13,615 करोड़ रुपए थी और इस प्रकार उसने 199.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की। ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि और बांड जारी करना निधियों के दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्रोत थे। उक्त के अनुसार रिज़र्व बैंक को समग्र बकाया राशि की चुकौती करने के बाद नाबार्ड के पास वर्ष के दौरान उधार देने संबंधी कामकाज के लिए पर्याप्त राशि थी (सारणी IV.40)।

ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)

4.151 केंद्र सरकार की पहल पर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान

सारणी IV.39: मॉडलवार संबद्धता की स्थिति

मॉडल का प्रकार	31 मार्च 2006 की स्थिति		31 मार्च 2007 की स्थिति (अ)	
	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000)	बैंक ऋण (करोड़ रुपए)	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000)	बैंक ऋण (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
i. बैंक द्वारा विकसित, मार्गदर्शित और वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	449	1,637	566	2,383
	(20.1)	(14.4)	(19.4)	(13.2)
ii. एनजीओ / सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित एवं बैंकों द्वारा वित्तपोषिक स्वयं सहायता समूह	1,646	9,200	2,162	14,633
	(73.5)	(80.7)	(73.9)	(81.1)
iii. एनजीओ द्वारा विकसित एवं वित्तीय बिचौलियों के रूप में एनजीओं/औपचारिक एजेंसियों का इस्तेमाल करके बैंकों द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	143	561	197	1,024
	(6.4)	(4.9)	(6.7)	(5.7)
कुल (i+ii+iii)	**2,239**	**11,398**	**2,925**	**18,040**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकडे कुल में प्रतिशतता दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

करने हेतु 1995-96 में नाबार्ड के पास आरआइडीएफ की स्थापना की गयी। उसके बाद, निधि के लिए बारह श्रृंखलाओं में आबंटन किये गये। वाणिज्य बैंक अपने कृषि और या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कमी की मात्रा तक निधि में अंशदान करते हैं। 1999-2000 से, आरआइडीएफ की व्याप्ति को बढ़ाकर उसमें पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा ऋण के उपयोग को शामिल कर लिया गया है।

4.152 वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में 2006-07 के दौरान 4,000 करोड़ रुपए आबंटित करते हुए भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क संबंधी घटक के निधीयन के लिए आरआइडीएफ XII के तहत एक अलग गवाक्ष खोला गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 'राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी' नामक एक समिति को उक्त प्रयोजन के लिए नाबार्ड से उधार लेने के लिए अभिज्ञात किया गया है तथा आरआइडीएफ XII के तहत 4,000 करोड़ रुपए का ऋण भी मंजूर किया गया।

4.153 वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों से रुपए 6966 करोड़ की जमाराशियां मिलने के साथ आरआइडीएफ के तहत प्राप्त संचयी जमाराशियां 35,716 करोड़ रुपए की हो गयी (सारणी IV.41)।

4.154 I से XII श्रृंखला के तहत (भारत निर्माण को छोड़कर) आरआइडीएफ की कुल मात्रा 60,000 करोड़ रुपए हो गयी। 31 मार्च 2007 को आरआइडीएफ के तहत स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता क्रमशः 61,540 करोड़ रुपए तथा 37,560 करोड़ रुपए थी (सारणी IV.42)। आरआइडीएफ V को 30 जून 2006 को बंद कर दिया गया तथा 30 सितंबर 2006 तक उसके तहत संवितरण की अनुमति दी गयी। आरआइडीएफ VI से IX के तहत

सारणी IV.40: नाबार्ड के संसाधनों में निवल अभिवृद्धि

(राशि करोड़ रूपए)

संसाधन का प्रकार	2005-06	2006-07
1	2	3
1. पूंजी	–	–
2. रिजर्व और अधिशेष	775	828
3. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (एन आर सी) (i+ii)	42	42
i) दीर्घावधि परिचालन (एल टी ओ)निधि	31	31
ii) स्थिरीकरण निधि	11	11
4. जमाराशियां (i+ii)	4,827	6,185
i) साधारण जमाराशि	21	5
ii) आरआइडीएफ जमाराशि	4,806	6,180
5. उधार (i+ii+iii+iv+v)	873	5,058
i) बांड और डिबेंचर	3,609	8,079
ii) केंद्र सरकार से उधार	-4	-18
iii) भारतीय रिजर्व बैंक से उधार	-929	-2,998
iv) विदेशी मुद्रा ऋण	-3	-5
v) वाणिज्य बैंकों से उधार	-1,800	0
6. अन्य देयताएं	60	688
7. अन्य निधियां	249	814
कुल	**6,826**	**13,615**

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.41: आरआईडीएफ के अंतर्गत संगृहीत जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए)

Year	आरआई-डीएफ I	आरआई-डीएफ II	आरआई-डीएफ III	आरआई-डीएफ IV	आरआई-डीएफ V	आरआई-डीएफ VI	आरआई-डीएफ VII	आरआई-डीएफ VIII	आरआई-डीएफ IX	आरआई-डीएफ X	आरआई-डीएफ XI	आरआई-डीएफ XII	**कुल**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1995-96	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	350
1996-97	842	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,042
1997-98	188	670	149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,007
1998-99	140	500	498	200	–	–	–	–	–	–	–	–	1,338
1999-00	67	539	797	605	300	–	–	–	–	–	–	–	2,307
2000-01	–	161	412	440	851	790	–	–	–	–	–	–	2,654
2001-02	–	155	264	–	689	988	1,495	–	–	–	–	–	3,591
2002-03	–	–	188	168	541	817	731	1,413	–	–	–	–	3,857
2003-04	–	–	–	–	261	503	257	681	457	–	–	–	2,159
2004-05	–	–	–	–	125	488	752	1,213	1,354	422	–	–	4,353
2005-06	–	–	–	–	215	165	461	923	1,372	2,020	936	–	6,092
2006-07	–	–	–	–	70	161	202	561	752	2,288	1,586	1,346	6,966
कुल	**1,587**	**2,225**	**2,308**	**1,412**	**3,052**	**3,912**	**3,898**	**4,791**	**3,933**	**4,730**	**2,522**	**1,346**	**35,716**

सारणी IV.42: आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋण
(31 मार्च 2007 के अंत में)

आरआईडीएफ	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए)	वितरित ऋण (करोड़ रुपए)	मंजूर ऋण की तुलना में वितरित ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
I	1995	4,168	2,000	1,906	1,761	92.4
II	1996	8,193	2,500	2,636	2,398	91.0
III	1997	14,345	2,500	2,733	2,454	89.8
IV	1998	6,171	3,000	2,903	2,482	85.5
V	1999	12,234	3,500	3,472	3,055	88.0
VI	2000	43,295	4,500	4,504	3,957	87.9
VII	2001	24,781	5,000	4,625	3,947	85.4
VIII	2002	20,968	5,500	5,987	4,770	79.7
IX	2003	19,595	5,500	5,593	4,008	71.7
X	2004	17,524	8,000	8,117	4,732	58.3
XI	2005	30,434	8,000	8,509	2,456	36.0
XII	2006	42,317	10,000	10,555	1,541	46.9
कुल		**2,44,025**	**60,000**	**61,540**	**37,560**	**71.4**

स्रोत : नाबार्ड।

स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अवधि को 31 मार्च 2007 तक बढ़ा दिया गया ताकि राज्य सरकार चल रही परियोजनाओं को पूरा कर सकें तथा व्यय की प्रतिपूर्ति पा सकें।

4.155 आरआइडीएफ के तहत राज्यवार संचयी मंजूरी और वितरण संबंधी ब्यौरे परिशिष्ट सारणी IV.11 में दिये गये हैं।

नाबार्ड द्वारा प्रदत्त ऋण

4.156 नाबार्ड निम्नलिखित कार्यों के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सुविधाएं प्रदान करता है - मौसमी कृषि परिचालन; फसलों का विपणन; मत्स्यपालन कार्यकलाप; सहकारी बुनकर समिति का उत्पादन/ खरीद और विपणन कार्यकलाप; सर्वोच्च/क्षेत्रीय समितियों द्वारा धागे की खरीद और बिक्री; औद्योगिक सहकारिताओं का उत्पादन और विपणन कार्यकलाप; प्राथमिक कृषि ऋण समिति के माध्यम से अलग-अलग ग्रामीण कारीगरों का वित्तपोषण; उर्वरकों और सहायक कार्यकलापों की खरीद और बिक्री तथा विपणन कार्यकलाप। मौसमी कृषि परिचालन के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों में बदलते और अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि ऋण सुविधाएं प्रदान की गयीं। सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूँजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण प्रदान किये जाते हैं। 2006-07 के दौरान, नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्प और मध्यम अवधि के विभिन्न प्रयोजनों के लिए तथा राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋणों के रूप में 2005-06 के 13,099 करोड़ रुपए की तुलना में कुल 16,338 करोड़ रुपए की कुल ऋण सीमाएं स्वीकृत कीं। जहाँ राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वीकृत ऋण में वर्ष के दौरान गिरावट आयीं। तथापि, उन संस्थाओं द्वारा आहरित राशि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम थी। चुकौती भी उल्लेखनीय रूप से कम थी, जिससे जून 2007 के अंत में बकाया राशि में वृद्धि हुई (सारणी IV.43)।

नाबार्ड द्वारा प्रभारित ब्याज दरें

4.157 मीयादी ऋणों के लिए नाबार्ड द्वारा लगायी जानेवाली 14 मई 2007 से प्रभावी ब्याज दरें 9.0 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत के दायरे में थीं। 1 नवंबर 2007 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा मीयादी ऋणों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर 9.5 प्रतिशत से घटाकर 9.0 प्रतिशत कर दी गई । नाबार्ड द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर ऋण के आकार के प्रति तटस्थ रहीं हैं (सारणी IV.44)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

4.158 मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अल्पावधि ऋण हेतु अगस्त 1998 में शुरू की गयी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो फसलों के लिए ऋण के कारगर प्रवाह को सुकर बनाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उधारकर्ताओं की व्याप्ति का और विस्तार करने हेतु तथा कृषि के तहत ऋण के प्रवाह में सुधार लाने हेतु कृषि

सारणी IV.43: राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण

(राशि करोड़ रुपए)

श्रेणी	2005-06				2006-07			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक (क+ख)	**9,834**	**13,795**	**10,975**	**9,610**	**13,632**	**12,153**	**3,131**	**11,557**
क. अल्पावधि	9,319	12,594	10,764	7,539	13,404	12,093	3,045	9,512
ख. मध्यावधि	515	1,201	211	2,071	228	60	86	2,045
2. राज्य सरकारें								
दीर्घावधि	**23**	**47**	**65**	**387**	**20**	**16**	**68**	**335**
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क+ख)	**3,243**	**3,222**	**1,833**	**2,770**	**2,686**	**2,702**	**327**	**3,147**
क. अल्पावधि	2,761	2,613	1,831	2,142	2,686	2,702	326	2,519
ख. मध्यावधि	482	609	2	628	00	00	1	627
कुल जोड़ (1+2+3)	**13,099**	**17,063**	**12,873**	**12,767**	**16,338**	**14,871**	**3,526**	**15,039**

टिप्पणी : 1. अल्पावधि में मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) और मौसमी कृषि कार्यों से इतर कार्य (ओएसएओ) शामिल हैं।
2. एसएओ (एससीबी) की अवधि जुलाई से जून, एसएओ (आरआरबी) की अवधि जुलाई से जून, ओएसएओ (एससीबी) की अवधि अप्रैल से मार्च, ओएसएओ (आरआरबी) की अवधि जुलाई से जून है।
3. मध्यावधि में एमटी कनवर्शन और चलनिधि सहायता योजना शामिल है, एमटी (एससीबी) की अवधि जुलाई से जून, एमटी (आरआरबी) की अवधि जनवरी-दिसंबर है।
4. राज्य सरकार को दिए गए ऋण की अवधि अप्रैल से मार्च है।

स्रोत : नाबार्ड ।

एवं संबद्ध गतिविधियों तथा उपभोग आवश्यकताओं के लिए एक तर्क सम्मत मात्रा के लिए मीयादी क्रेडिट के साथ-साथ कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए यह योजना उधारकर्ताओं को दी गई हैं। इस प्रकार, व्यापक ऋण उत्पाद के लिए एकल गवाक्ष के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

4.159 2006-07 के दौरान, सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने क्रमशः 2.30 मिलियन, 4.81 मिलियन और 1.40 मिलियन कार्ड जारी किये (सारणी IV.45)। योजना शुरू होने से लेकर 31 मार्च 2007 तक बैंकिंग प्रणाली द्वारा जारी कुल 66.56 मिलियन कार्डों में से सबसे बड़ा हिस्सा सहकारी बैंकों

सारणी IV.44: कृषि / गैर कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत निवेश ऋण पर नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पर ब्याज दर*

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

ऋण का आकार	अंतिम लाभार्थी को ब्याज की दर			पुनर्वित्त पर ब्याज की दर	
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	एससीबी/ एससीएआरडीबी	वाणिज्य बैंक क्षेग्रावैं/पीयूसीबी	रासबैंक/ एससीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
25,000 रुपए तक	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशानुसार	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशानुसार	बैंक द्वारा जो भी निर्धारित की गई हो बशर्ते अंतिम उधारकर्ताओं के लिए न्यूनतम 12 प्रतिशत हो।	9.5	9
25,000 रुपए से अधिक तथा 2 लाख रुपए तक	वही	वही	वही	वही	वही
2. लाख रुपए से अधिक	वही	वही	वही	वही	वही

* : पुनर्वित्त पर उक्त ब्याज दर 14 मई 2007 से लागू है और वह ऋण के आकार के प्रति निष्क्रिय है।

टिप्पणी : 1. बाहरी सहायता से बनाई जा रही परियोजना के संबंध में संबंधित करार / मंजूरी में निहित प्रावधानों के अनुसार दरें लागू होगी।
2. उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पुनर्वित्त की 9 प्रतिशत की ब्याज दर सभी एजेंसियों के लिए 28 मई 2007 से लागू है।
3. व्यष्टि वित्त संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की ब्याज दरें सीबी द्वारा उन्हें वित्तपोषण के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता की दरों से 3 प्रतिशत कम और न्यूनतम 9.5 प्रतिशत के अधीन हैं।

सारणी IV.45 :जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या : एजेंसीवार और वर्षवार

(31 मार्च 2007 की स्थिति)

(संख्या मिलियन में)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्य बैंक	**कुल**
1	2	3	4	**5**
1998-99	0.16	0.01	0.62	**0.78**
1999-00	3.60	0.17	1.37	**5.13**
2000-01	5.61	0.65	2.39	**8.65**
2001-02	5.44	0.83	3.07	**9.34**
2002-03	4.58	0.96	2.70	**8.24**
2003-04	4.88	1.28	3.09	**9.25**
2004-05	3.56	1.73	4.40	**9.68**
2005-06	2.60	1.25	4.17	**8.01**
2006-07	2.30	1.40	3.77*	**7.47**
कुल	**32.71**	**8.28**	**25.57**	**66.56**
कुल में अंश (प्रतिशत)	**49.1**	**12.4**	**38.4**	**100.0**

स्रोत : नाबार्ड

* : 31 दिसंबर 2006 तक आंकड़े उपलब्ध।

का था (49.1 प्रतिशत), जिसके बाद वाणिज्य बैंकों (38.4 प्रतिशत) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (12.4 प्रतिशत) का स्थान था। बैंकिंग प्रणाली, किसानों को ऋण की सुपुर्दगी की प्रक्रिया के रूप में किसान क्रेडिट कार्डों को मान्यता देने के बाद इनके जरिये फसल ऋण दे रहा है।

4.160 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में हुई राज्यवार प्रगति से यह प्रकट होता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी थे तथा देश भर में बैंकों द्वारा जारी कुल कार्डों का 75 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में जारी किया गया। तथापि, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में प्रगति धीमी थी (परिशिष्ट सारणी IV.12)।

4.161 कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने पर केंद्र सरकार के बल को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने बैंकों को सूचित किया कि वे किसी कारणवश किसान क्रेडिट कार्ड योजना से बाहर छूट गये चूककर्ताओं, मौखिक पट्टदारों, काश्तकारों, बँटाईदारों तथा नये किसानों सहित सभी किसानों की पहचान कर उन्हें समाविष्ट करें ताकि 31 मार्च 2007 तक योजना में सभी किसानों को शामिल किया जा सके। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया कि वे असुविधारहित मुक्त रूप में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें, सिर्फ किसान क्रेडिट कार्डों के जरिये फसल ऋण प्रदान करें तथा 'परिचालनों में गुणवत्ता' सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नवीकृत करें।

नाबार्ड द्वारा हाल ही में की गई पहलें

4.162 नाबार्ड द्वारा 2006-07 में शुरू की गई अनेक पहलों से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ने की आशा है (बॉक्स IV.5)।

ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का पुनर्जीवन

वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें

4.163 ग्रामीण सहकारी ऋण समिति के पुनर्जीवन संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष : प्रो.ए. वैद्यनाथन) ने पाया कि प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षेत्र दोनों में सहकारी ऋण संरचना के प्रशासन में विकृति थी और इसलिए उन्हें पुनर्जीवित और पुनर्विन्यास करने की जरूरत थी। कार्यदल की सिफारिशों का मुख्य केंद्र यह था कि राज्य सहकारी समिति अधिनियमों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में उपयुक्त संशोधन करके राज्य सरकारों के नियंत्रण और हस्तक्षेप को कम करके ऋण सहकारिताओं के स्वायत्त स्वरूप को बहाल किया जाए। साथ ही, कार्यदल ने यह भी सिफारिश की थी कि अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनः पूँजीकरण के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि संरचना की संचित हानियों का निधीयन किया जा सके, सामान्य लेखांकन प्रणाली विकसित की जा सके, प्रबंधन सूचना प्रणाली, कंप्यूटरीकरण और मानव संसाधन विकास के बारे में पहल किये जा सकें। संस्थागत, विधिक और विनियामक सुधारों के अधीन वित्तीय सहायता को 'बैंक-एंडेड' करने की सिफारिश की गयी।

4.164 कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने एक पुनर्जीवन पैकेज को अंतिम रूप दिया, जिसमें वित्तीय सहायता और विधिक एवं संस्थागत सुधार शामिल थे। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की वित्तीय सहायता में 31 मार्च 2004 को तुलनपत्र को साफ करना, न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं के लिए समर्थन, एकसमान लेखांकन और निगरानी प्रणाली विकसित करना, क्षमता निर्माण और कंप्यूटरीकरण शामिल होंगे। 13,596 करोड़ रुपए पर अनुमानित वित्तीय पैकेज का निधीयन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हानियों के मूल पर आधारित सीसीएस तथा वर्तमान वचनबद्धताओं द्वारा किया जाएगा।

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनर्जीवन - स्थिति

4.165 सत्रह राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र ने पैकेज स्वीकृत करने की ठसैद्धांतिकड स्वीकृति भेज दी है, जिनमें से तेरह राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल ने पैकेज लागू करने के बारे में केंद्र सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। पुनर्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन को दिशा-निर्देश देने और उन पर

बॉक्स IV.5 : ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के लिए नाबार्ड द्वारा की गई पहलें

2006-07 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने निम्नलिखित उपाय शुरू किये :

कृषक साथी योजना : देश में कृषक समुदाय को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है - संस्थागत ऋण की कमी। अधिकांश किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से वे गैर-संस्थागत स्रोतों, मुख्यतः साहूकारों से उधार लेने के लिए मजबूर हैं। ऐसे किसानों की मदद करने के लिए, कुछ बैंक ऋण पुनर्वित्त प्रॉडक्ट जैसे नये प्रॉडक्ट लाये हैं जिससे किसान साहूकारों को देय राशि चुकता कर 'वित्तीय समावेशन' के दायरे में आ जाएंगे। इस दिशा में बैंकों के प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए नाबार्ड ने उस प्रकार के उधार को पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र बना दिया है।

ग्रामीण विकास योजना : देश में अधिकांश गाँवों को अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सुरक्षित पेय जल, पावर, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच की कमी। उन्हें ध्यान में रखते हुए तथा गाँवों में संपूर्ण और समन्वित विकास लाने के लिए नाबार्ड ने 'ग्राम विकास कार्यक्रम' लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें प्रत्येक 'समन्वित विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना' में पाँच गांवों को तथा प्रत्येक 'जिला विकास प्रबंधक' जिले में एक गाँव को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य है वित्तीय समावेशन तथा गाँव की जनता की जीविका की सुरक्षा। नाबार्ड ने भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध किया है कि वे उसी प्रकार से 2-3 गाँवों को अंगीकार करें।

31 विपदाग्रस्त जिलों में जल विभाजक परियोजना :

1 जुलाई 2006 को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विपदाग्रस्त जिलों में प्रधानमंत्री के दौरे तथा अनेक सुधारक उपायों के बारे में उनकी घोषणा के क्षेत्र में छः प्रभावित जिलों में आजीविका समर्थक उपायों के साथ समन्वित जलविभाजक विकास हस्तक्षेप शुरू करने का निर्णय लिया है। जलविभाजक विकास कार्यक्रम को मिट्टी और जल संसाधनों के धारणीय प्रबंधन के संबंध में व्यष्टिस्तरीय मूलभूत सुविधा के विकास के लिए सहभागी कार्यक्रम के रूप में छः विपदाग्रस्त जिलों में से प्रत्येक में लगभग 15,000 हेक्टेयर में लागू किया जाएगा। बाद में, 25 विपदाग्रस्त जिलों में (आंध्र प्रदेश में 16, कर्नाटक में 6 और केरल में 3) वैसा ही कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया। कुल मिलाकर लगभग 465 छोटे जल विभाजकों को, अधिमानतः कुल 4,65,000 हेक्टेयर के समूहों में विकसित किया जाएगा। 300 करोड़ रुपए के आस-पास की कुल निधि अपेक्षा को नाबार्ड द्वारा रखे गये जलविभाजक विकास निधि से अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

जलविभाजक विकास संबंधी मध्यस्थता की अनुपूर्ति उपयुक्त कृषि-संबंधी मध्यस्थता द्वारा साथ-साथ की जाएगी तथा उसका संपूरण अनुरूप परिवार स्तरीय जीविका समर्थक कार्यकलापों यथा कृषि-बागबानी-वनवृक्ष विज्ञान विकास (वाड़ी विकास), पशुपालन, कृषि क्षेत्र से इतर कार्यों, व्यष्टि वित्त, विशेषतः किसानों के स्वयं सहायता समूह के बैंक संपर्क से किया गया। कार्यक्रम में भूमिहीन और महिला प्रमुख वाले परिवारों के लिए विशेष हस्तक्षेप तथा आवश्यकता आधारित समुदाय स्वास्थ्य और स्वच्छता उपायों की भी परिकल्पना की गयी है।

परियोजनाओं की पहले ही पहचान की गयी है तथा महाराष्ट्र के सभी छः जिलों में उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। लगभग 80,000 हेक्टेयर वाली कुल परियोजना की पहचान की गयी है तथा वे आंध्रप्रदेश में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कर्नाटक में लगभग 75 प्रतिशत जलविभाजकों / समूहों की पहचान की गयी है। केरल में भी कुल लगभग 15,000 हेक्टेयर के जलविभाजकों की पहचान की गयी है।

सारांश में अधिक से अधिक नवंबर 2007 तक लक्षित क्षेत्र के लिए जलविभाजकों की पहचान कर उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। इसी के साथ, सभी 31 विपदाग्रस्त जिलों में, संपूर्ण कार्यक्रम का कार्यान्वयन 3-4 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किये जाने की आशा है।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन सामान्यतः, दूरस्थ गाँवों में किया जा रहा है तथा इनके पूरा होने पर वित्तीय समावेशन तथा धारणीय रूप में समुदाय के लिए रहन-सहन का उचित स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसी आशा की जाती है कि परियोजना कार्यान्वयन अवधि के तत्काल बाद 2-3 वर्षों की अवधि में सभी 465 जलविभाजक परियोजना वाले गाँवों में 465 करोड़ रुपए का ऋण उठाना (प्रति परियोजना 100 लाख रुपए के औसत पर) प्रभावी होगा।

निगरानी रखने के लिए सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक राष्ट्रस्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया गया। कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में इस प्रयोजन के लिए राज्यस्तरीय और डीसीसीबी के स्तर पर कार्यान्वयन और निगरानी समितियों (एसएलआइसी और डीएलआइसी) का भी गठन किया गया है।

4.166 संचित हानियों की सही मात्रा ज्ञात करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की विशेष लेखा-परीक्षा के लिए क्षेत्र परीक्षित फार्मेट तैयार किया है। इसने 800 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने बदले में विशेष लेखा-परीक्षा करने के लिए विभागीय लेखा-परीक्षकों को प्रशिक्षित किया। ग्यारह राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाण, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की विशेष लेखा-परीक्षा की गई है। हरियाणा में 3 डीसीसीबी से संबद्ध प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पुनःपूंजीकरण सहायता प्रदान की गयी है। पुनर्जीवन पैकेज के तहत परिकल्पित सुधार उपायों के अनुरूप, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों ने अपने संबंधित सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन किया है। कई अन्य राज्य सरकारों द्वारा उसी प्रकार का संशोधन करने की प्रक्रिया जारी है। जहाँ तक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के स्टाफ और बोर्ड के सदस्यों की क्षमता निर्माण का प्रश्न है, नाबार्ड ने प्रशिक्षक सामग्री/प्रशिक्षक दिशानिर्देश तैयार किया है तथा 40 राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार किया है, जिन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समिति के स्टाफ/पदधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आधार स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना पहले से ही शुरू कर दिया है। नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए 'सामान्य लेखांकन

प्रणाली' हेतु दिशानिर्देश तैयार कर उपलब्ध करा दिया है। नाबार्ड के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी समिति प्राथमिक कृषि ऋण समिति के कंप्यूटरीकरण के साथ साफ्टवेयर आधारित लेखांकन और निगरानी प्रणाली विकसित करने संबंधी तकनीकी मानदंडों को अंतिम रूप दे रही है।

4.167 पैकेज लागू करने के बाद, उसके कई लाभ होंगे यथा (i) सहकारिताओं के तुलनपत्र को स्वच्छ करने सहित वित्तीय सुदृढ़ता, (ii) विशेषज्ञ बोर्ड और प्रबंधन; (iii) व्यवसाय संबद्ध निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता; (iv) जमाराशि जुटाकर और सहकारी क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं से संसाधन जुटाने की योग्यता; (v) कार्मिक नीति, स्टाफिंग, भर्ती, तैनाती और स्टाफ को क्षतिपूर्ति के मामलों में स्वायत्तता; (vi)चुनाव और और लेखापरीक्षा का समय पर होना; तथा (vii) सामान्य लेखांकन प्रणाली, एमआइएस और बेहतर आंतरिक जाँच तथा नियंत्रण सहित कंप्यूटरीकृत परिचालन जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक क्षमता में वृद्धि।

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनर्जीवन के लिए कार्यदल

4.168 दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनर्जीवन के लिए प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने अगस्त 2006 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार राज्य सरकारों की सलाह से उपायों का एक पैकेज तैयार कर रही हैं।